उत्कृष्ट पद्धतियां

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश

भाग–1

दीर्घकालीन योजना प्रभाग, नियोजन विभाग
योजना भवन, 9–सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ
http://planning.up.nic.in email : dirppd@nic.in

मुफ़्त टीका
मुफ़्त राशन

योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

सन्देश

विगत 04 वर्ष पूर्व जब प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार का चुनाव किया था, तत्समय देश–विदेश तथा जनमानस में प्रदेश की छवि अत्यंत खराब थी, लोगों में भय का माहौल व्याप्त था एवं निवेशक प्रदेश छोड़कर जा रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, वर्तमान सरकार ने अभिनव दृष्टिकोण अपनाकर प्रदेश के विकास हेतु सामाजिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये है, जिससे प्रदेश के लगभग 24 करोड़ लोगों को विभिन्न क्षेत्रो में लाभ प्राप्त हुआ है। प्रदेश सरकार ने जहाँ एक ओर उत्पादक क्षेत्रों को सहायता देकर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, वहीं दूसरी ओर, सामाजिक क्षेत्र का विस्तार कर निर्धन और कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी किया है। हमारे लिये यह गौरव का विषय है कि राज्य को निवेशको के लिए एक आकर्षक और व्यापार के अनुकूल गंतव्य के रूप मे परिवर्तित करने के प्रयास से उत्तर प्रदेश ने **'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'** की 12वीं रैंकिंग से 10 रैंक की छलांग लगाकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है एवं **'सकल राज्य घरेलू उत्पाद'** की वार्षिक रैंकिंग में भी उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है।

प्रदेश सरकार द्वारा सुशासन पर दिये गये विशेष बल ने तस्वीर परिवर्तित की है। वैश्विक महामारी कोविड–19 को नियंत्रित करने के हमारे सफल प्रयास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोविड–19 महामारी की चुनौती पूर्ण परिस्थितियों में आम जनमानस के बेहतर स्वास्थ्य का प्रबन्ध करने के साथ–साथ लोगो की आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों–परिस्थितियों पर पड़ने वाले गम्भीर प्रभाव से निपटना, प्रदेश सरकार के लिये कड़ी परीक्षा से कम नहीं था।

आप सभी के समक्ष विमोचित यह **'बेस्ट प्रैक्टिसेस 2020'** पुस्तिका विभिन्न जनपदों के ऐसे अभिनव प्रयासों को प्रस्तुत करती है, जिनके रचनात्मक समाधान अन्य जनपदों के अधिकारियो को बेहतर कार्य हेतु प्रेरित करेंगे। इनमें से कई समाधान राज्य स्तर पर भी अपनाये जा सकते हैं।

देखा जाए तो यह पुस्तक जिला स्तर पर परिणाम आधारित योजना की क्षमता और संभावनाओं को उजागर करती है। इन समस्त प्रयासों से **"सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास"** के हमारे संकल्प को आम जन मानस तक ले जाने में सफलता मिली हैं।

मुझे आशा है कि पुस्तक में वर्णित बेस्ट प्रैक्टिसेस पाठको को चुनौती को अवसर में बदलने की ओर प्रेरित करेगी।

(योगी आदित्यनाथ)

राजेन्द्र कुमार तिवारी, आई. ए. एस.

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन

प्राक्कथन

बेस्ट प्रैक्टिसेज–2020 की संकलित पुस्तिका आप सब के समक्ष प्रस्तुत करने में मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समावेशी विकास की ओर बढ़ने का संकल्प लिया गया था। राज्य ने अपने आधारभूत सिद्धान्तों में सतत विकास एवं निवेश के साथ–साथ गरीब परिवारों, महिलाओं और बच्चों के विकास को अपने मुख्य सिद्धान्त में शामिल किया है। इन सिद्धांतों की सफलता इन्वेस्टर्स समिट, 2018 एवं उत्तर प्रदेश द्वारा Ease of Doing Business (EoDB) एवं Gross State Domestic Product (GSDP) दोनों में दूसरे स्थान के साथ–साथ बच्चों, महिलाओं और गरीब परिवारों को मिलने वाली वित्तीय सहायता में देखी जा सकती है।

COVID–19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में प्रदेश को प्रशासन और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कई चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा था। इस विश्वव्यापी महामारी को नियंत्रित करने एवं इसके व्यापक प्रभावों को कम करने में प्रदेश की दक्षता अब प्रमाणित हो चुकी है। महामारी के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा अपनाए गए अभिनव नवीन कार्य यह परिलक्षित करते हैं कि राज्य की नीतियों में जन–मानस को प्रमुखता देते हुए किये गए समाधानों के द्वारा किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। इस महामारी को नियंत्रित करने हेतु प्रदेश द्वारा लगाये गए लॉकडाउन के उपरान्त, प्रदेश सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए विभिन्न माध्यमों से उद्योगों की सहायता एवं रोजगार के नव अवसर प्रदान करते हुए उत्पादन को बढ़ाते हुए अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने का प्रयास किया गया। वर्ष 2020 प्रदेश द्वारा किये गए इस सराहनीय प्रदर्शन के लिए सभी विभागों के कर्मचारियों और जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मै, माननीय मुख्यमंत्री जी को उनकी दूरदृष्टि एवं कुशल नेतृत्त्व के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जिससे शासन के विभिन्न आयामों में सकारात्मक बदलाव संभव हो पाया है। कोविड महामारी मार्च 2020 के समय प्रदेश में लैब व टेस्टिंग की सुविधा का अत्यंत अभाव था, परन्तु आज प्रदेश में कुल टेस्टिंग लैब की संख्या 383 हो गयी है।

प्रस्तुत संकलित पुस्तक बेस्ट प्रैक्टिसेज–2020 में 25 जनपदों के 43 अभिनव प्रयासों का पहला संकलन है। इस संकलन के माध्यम से जनपदों के द्वारा किये योगदान को सराहना और उनके द्वारा अपनाए गए सतत विकास के नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है।

जिला प्रशासन और अन्य विभागीय अधिकारियों के प्रायः कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, संचालन और समीक्षा में निरंतर व्यस्त रहने के कारण, उनको जनपद में अपनाए गए अभिनव प्रयासों और उपलब्धियों के संकलन एवं संचार का समय ही नहीं मिल पाता है। इस क्रम में मै नियोजन विभाग को धन्यवाद देता हूं कि विभाग द्वारा जिला स्तर की टीमों को उनकी उपलब्धियों एवं अभिनव प्रयासों को पहचानने में सराहनीय मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस पुस्तक के संकलन एवं प्रकाशन में किये गए सराहनीय कार्य के लिए श्री के.वी. राजू, आर्थिक सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, श्री कुमार कमलेश, अपर मुख्य सचिव, नियोजन, आई.ए.एस. और उनकी टीम विशेष बधाई के पात्र हैं।

मुझे आशा एवं विश्वास है कि यह पुस्तक व्यापक रूप से प्रचारित एवं संचारित हो कर चर्चा का विषय बनेगी तथा परिशीलन एवं स्थानीय समाधानों के स्वीकार्यता हेतु संदर्भित की जायेगी। पुस्तक में संकलित उदाहरण उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में सतत विकास के समाधान को अभिसारित करने में प्रेरणा प्रदान करेंगें।

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)

कुमार कमलेश, आई. ए. एस.
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन

प्राक्कथन

सतत विकास लक्ष्य–2030 की प्राप्ति के लिए, सतत विकास का क्रियान्वयन प्रदेश के विकास की अंतिम इकाई तक आवश्यक है। विश्वभर के लिए वर्ष 2020 अभूतपूर्व चुनौतीपूर्ण था। प्रदेश में सर्वाधिक COVID–19 केस वाले स्थानों से बड़ी संख्या में वापस आए प्रवासियों के मद्देनजर प्रदेश सरकार को जहाँ एक ओर संक्रमण की रोकथाम और वही दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को गति भी प्रदान करनी थी। बेस्ट प्रैक्टिसेज–2020 की यह संकलित पुस्तक दर्शाती है कि किस प्रकार जिला स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुश्किल परिस्थितियों में नवाचार के माध्यम से संक्रमण के नियंत्रण के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और उद्योग को सहायता देने का सराहनीय प्रयास किया है।

नियोजन विभाग द्वारा सतत रूप से विभिन्न विभागों से समन्यव स्थापित करके जिलों को तकनीकी दिशानिर्देश प्रदान किया जाता रहा। नियोजन विभाग द्वारा यह भी प्रयास किया जाता रहा कि प्रदेश के व्यापक कार्यक्रमों की कार्य प्रणाली मजबूत और परिणाम आधारित हो।

बेस्ट प्रैक्टिसेज– 2020 में विभिन्न प्रकार के नवीन प्रयोग जैसे मुसहर समुदाय की सहायता, स्वास्थ्य और शिक्षा में CSR राशि का उपयोग, जल संरक्षण, काले चावल की जैविक खेती, आधुनिक कृत्रिम तालाब, जिलाधिकारी कार्यालय में वेब–आधारित पत्र संकलन सॉफ्टवेयर, लघु उद्योगों को सहयोग और संस्थागत प्रसव हेतु अंतर विभागीय सहयोग आदि को संकलित करने का प्रयास किया गया हैं, इन उदाहरणों को नियोजन विभाग द्वारा तैयार टेंप्लेट के आधार पर संकलित किया गया है।

मै माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनके सफल मार्गदर्शन व कुशल नेतृत्व के फलस्वरूप वैश्विक महामारी के समय प्रदेश के प्रवासी श्रमिको की सकुशल घर वापसी एवं उनको रोजगार प्रदान करने का कार्य सम्भव हो पाया, जिसकी प्रशंसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी की गयी।

मैं आभारी हूँ विशेष रूप से प्रो. के. वी. राजू, आर्थिक सलाहकार का जो इस संकलन के वैचारिक अवधारणा के प्रेरणा श्रोत हैं और जिन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान नियोजन विभाग का मार्गदर्शन किया।

मैं प्रमुख सचिव, नियोजन, श्री आमोद कुमार, आई.ए.एस. को उनके परिश्रम और प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद् देता हूँ। मै, विशेष सचिव नियोजन श्री आर0एन0एस0 यादव को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा इस पुस्तिका को तैयार करने के लिए नियमित रूप से मार्गदर्शित किया जाता रहा। इस पुस्तिका के संकलन में नियोजन विभाग के निदेशक डॉ आनंद मिश्र और उनकी टीम के द्वारा जनपदों के साथ समन्वय स्थापित करके गाइडलाइन्स के अनुरूप जनपदों की केस स्टडी एकत्र करने में विशेष परिश्रम किया गया है। मैं इस पुस्तक के हिन्दी संस्करण बनाने में यूनीसेफ द्वारा प्रदान की गयी सहायता के लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ।

पुस्तक में, 25 जनपदों के 43 अभिनव प्रयासों का एक संग्रह किया गया है जिसमे कृषि, आजीविका और कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, पेयजल और स्वच्छता, हस्तकला आदि क्षेत्रो के अभिनव प्रयास प्रमुख है।

मुझे आशा एवं विश्वास है कि इस संकलन के अभिनव प्रयासों से प्रेरित होकर अन्य जनपदों के अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओ द्वारा भी अभिनव प्रयासों को अपनाया जाएगा। नियोजन विभाग द्वारा अभिनव प्रयासों की जनपदों में क्रॉस लर्निंग को सहज एवं सरल बनाने हेतु इस संकलित पुस्तक में दिये गए उदाहरणों को दो संलग्नक दस्तावेज में विभाजित किया गया है पहले संलग्नक में उदाहरणों को विभाग अनुसार एवं द्वितीय संलग्नक मे सतत विकास लक्ष्य के अनुसार विभाजित किया गया है।

आशा है कि हम जल्द ही इस पुस्तक का दूसरा भाग भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

(कुमार कमलेश)

प्रो. के. वी. राजू

आर्थिक सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

प्रस्तावना

इस पुस्तिका बेस्ट प्रैक्टिसेज–2020 में जनपदों द्वारा अभिसरण और नवाचार के माध्यम किये गए विकास कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के अनुभवों को संकलित किया गया है। आशा है कि इस पुस्तिका में संदर्भित अभिनव प्रयासों को अन्य जनपदों द्वारा अपने जनपद में संचालित हो रहे कार्यक्रमों और योजनाओं में अपनाकर इन्हें कुशल और प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा सकेगा। यह पुस्तिका अन्य जनपदों के लिए स्वीकार्यता हेतु संदर्भित संसाधन में भी उपयोगी होगी और साथ ही साथ विभिन्न रणनीतियों और मॉडलों की समझ में मुल्यवर्धक विकास करने में मदद कर सकेगी।

पुस्तक में, 25 जनपदों के 43 अभिनव प्रयासों का एक संग्रह किया गया है जिसमे कृषि, आजीविका और कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, पेयजल और स्वच्छता, हस्तकला आदि क्षेत्रो के अभिनव प्रयास प्रमुख है।

इस संकलित पुस्तक बेस्ट प्रैक्टिसेज–2020 में ऐसे अभिनव प्रयासों को क्रमबद्ध रूप में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और औद्योगिक विकास आदि विकास क्षेत्रो में विलक्षण परिवर्तन के साथ–साथ इन क्षेत्रो में उल्लेखनीय प्रगति को बढ़ावा देने में भी सफल रहे है। यह संकलित पुस्तिका अन्य जनपदों के लिए संदर्भित संसाधन के रूप में कार्य करेगी।

गत कुछ वर्षो में प्रदेश द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है जिसके फलस्वरूप प्रदेश पिछड़े राज्य होने की सामान्य अवधारणा के स्थान पर निवेशकों और नवप्रवर्तकों के लिए पसंदीदा प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। सरकार द्वारा निवेशको के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए किए गए समर्पित प्रयासों ने लोगों का भरोसा और विश्वास जीता है। यह पुस्तक संकलन न होकर प्रशासन द्वारा शुरू की गई सकारात्मक हस्तक्षेपो का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि साथ–साथ लोगों एवं उनके संस्थानों द्वारा की गयी प्रगति में सामूहिक प्रयासों को भी परिलक्षित करती है।

पुस्तिका में कई सफल व्यक्तियों की कतिपय प्रमुख कहानियाँ हैं, जैसे बदायूं जिले के श्री जिया खान जिन्होंने अपनी आय बढ़ाने के लिए एक कृत्रिम तालाब में मछली पालन शुरू किया। हापुड़ जिले के श्री रमेश जिन्होंने अपने मिट्टी के बर्तनों के काम का विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री माटिकला योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपये का ऋण लेकर मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन एवं गुणवत्ता में सराहनीय सुधार किया। सहारनपुर एवं उन्नाव के स्वयं सहायता समूहों का समूह विषयक अध्ययन भी हैं जहां महिला सदस्यों ने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए एक साथ सामुदायिक प्रयास करके उद्यमों की सफल शुरुआत की है।

पुस्तिका में ऐसे अभिनव प्रयास भी सम्मिलित हैं जो जनपद के अधिकारियों द्वारा नवीन प्रथाओं विशेष रूप से कृषि और जल संसाधनों के सतत विकास के समर्थन करने की इच्छा–शक्ति को प्रदर्शित करते हैं जिसमे अमरोहा जनपद में बान नदी का कायाकल्प और अयोध्या जनपद में तमसा नदी का कायाकल्प अन्य जिलों को नदियों के जल प्रवाह एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान कर सकती है। इस पुस्तिका में कृषि के नवाचारों के संकलनो का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि क्षेत्र के नवाचार में एक कहानी बागपत जिले की है जहाँ पर किसान द्वारा गन्ने के स्थान पर लेमन ग्रास की वैकल्पिक कृषि से, आय में 2.50 से 3.00 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की बढ़ोत्तरी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र को बढावा देने के लिए अमरोहा जनपद द्वारा किया अभिनव प्रयास सराहनीय है। इस अभिनव प्रयास की सफलता में राज्य द्वारा उद्यमियों को प्रदान किये गए समर्थन एवं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के प्रचार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में परिलक्षित करता है।

इस पुस्तिका में ऐसे जनपद भी सम्मिलित हैं जिन्होंने पर्यावरण को स्वच्छ रखने की चुनौती को स्वीकार करके, नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा घरेलू कचरे को घर–घर के दरवाज़े से संग्रह करने की शुरुआत की है, इसी प्रकार बिजनौर जनपद द्वारा अपनाये गए जल संरक्षण की पहल एक अच्छी शुरुआत है।

सारांश में, यह संकलन न केवल अच्छे अभिनव प्रयासों, उनकी प्रतिकृति और सतता के कारण तैयार किया गया है, बल्कि इसका उद्देश्य यह भी रहा है कि इन अभिनव प्रयासों को अन्य जनपदों एवं राज्यों द्वारा अपनाया जाय। यह संकलन 4 आकांक्षी जनपदो यथा बहराइच, चन्दौली, सिद्धार्थनगर एवं बलरामपुर की बेस्ट प्रैक्टिस को भी प्रदर्शित करता है।

मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का अभिवादन करना चाहता हूँ कि उनके सफल मार्गदर्शन एवं नेतृत्त्व के फलस्वरूप बेस्ट प्रैक्टिसेज के संकलन का यह महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो पाया । मै, मुख्य सचिव उ०प्र०शासन श्री आर.के. तिवारी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा प्राथमिकता पर विभागों को जनपदों की बेस्ट प्रैक्टिसेज के चिन्हांकन के लिए मार्गदर्शित किया जाता रहा। मैं, श्री कुमार कमलेश, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, नियोजन का भी आभारी हूं कि उन्होंने दिन–प्रतिदिन काफी लगन से इस कार्य का अनुश्रवण किया। मैं, श्री अमोद कुमार, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, नियोजन को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने विभिन्न जिलों से समन्वय स्थापित कर बेस्ट प्रैक्टिसेज के संकलन में अहम योगदान दिया। मैं, विशेष रूप से डॉ0 आनंद मिश्र, निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग को इस कम्पेंडियम को पूर्ण करने एवं यूनीसेफ की डॉ0 पियूष एंटोनी को धन्यवाद देता हूं जिनके दवारा इस बेस्ट प्रैक्टिस का सफल संपादन किया गया।

(प्रो ·के ·वी ·राजू)

अनुक्रमणिका

जनपद / केस	उत्कृष्ट पद्धति	विभाग का नाम	पृष्ठ सं0
अमरोहा			
केस–1	ग्लास निर्यात हस्तशिल्प एवं डिजाइनर पैकेजिंग	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	01
केस–2	अमरोहा मे डम्पिंग साइट का विकास एवं सुन्दरीकरण	नगर विकास	03
केस–3	ठोस अपशिष्ट का संवहनीय प्रबन्धनः आय सृजन का वैकल्पिक माध्यम	नगर विकास	05
केस–4	एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत मृतप्राय उत्पाद को लघु उद्योग में परिवर्तन	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	07
केस–5	बान नदी का जीर्णोद्धार	ग्राम्य विकास	09
औरेया			
केस–6	परम्परागत कृषि के स्थान पर केले की कृषि में ऊतक संवर्धन विधि का प्रयोग	उद्यान	11
अयोध्या			
केस–7	फिट इण्डिया मूवमेंट– ग्राम पार्क/ओपन जिम की स्थापना	पंचायती राज	12
केस–8	तमसा नदी का कायाकल्प	ग्राम्य विकास	14
बगपत			
केस–9	लेमन ग्रास कल्टीवेशनः गन्ने की खेती का विकल्प	कृषि	16
बहराइच			
केस–10	संस्थागत प्रसव : सुरक्षित शिशु एवं मां	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	18
बलरामपुर			
केस–11	सुनहरा कल मिशन : उन्नत कृषि समृद्ध किसान	कृषि	21
बिजनौर			
केस–12	समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण– गुड़, जेगरी पाउडर एवं सिरका उद्योग	ग्राम्य विकास	23
केस–13	जल है तो कल हैः वर्षा जल संचयन	ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज	25
बदायूं			
केस–14	आधुनिक प्रोद्योगिकी का ग्रामीण मत्स्य उत्पादन में उपयोगः ग्रामीण अंचल में अतिरिक्त आय के स्त्रोत का विकल्प	मत्स्य	28
केस–15	ग्रामीण एस.एच.जी. की आशा एवं उम्मीद–सरस एवं ग्राम हाट	ग्राम्य विकास	30
बुलन्दशहर			
केस–16	जैविक कृषिः कृषि उत्पादकता एवं मृदा में सहचर्य सम्बन्ध	कृषि	32
केस–17	सुशासन– लेटर ट्रैकिंग वैब आधारित सॉफ्टवेयर	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स	34
चन्दौली			
केस–18	संवहनीय एवं लाभदायक कृषि– कालें चावल की खेती	कृषि	36
फर्रूखाबाद			
केस–19	सब पढ़े–सब बढ़े– "स्वर, लय, ताल वंदना"	बेसिक शिक्षा	38
केस–20	समूह के बढ़ते कदम – गोमय उत्पाद	ग्राम्य विकास	40
हमीरपुर			
केस–21	आरोग्य सेतु एप– सुशासन की पहल	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	42
केस–22	बकरी पालनः ग्रामीण अंचल में स्वरोजगार का विकल्प	पशुधन	45
हापुड़			
केस–23	मिट्टी के बर्तनों में स्थिरता एवं नवाचार का प्रयोग– उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	46

जनपद / केस	उत्कृष्ट पद्धति	विभाग का नाम	पृष्ठ सं0
कन्नौज			
केस–24	मिशन शक्ति– लैंगिक समानता की ओर पहल	बेसिक शिक्षा	47
केस–25	कृषि पद्धतियों में नवाचार– मिश्रित कृषि	उद्यान	49
कानपुर देहात			
केस–26	पशुओं में ईयर टैगिंग के माध्यम से टीकाकरण के प्रभाव को अधिकतम करने के लिये अभिनव प्रयास	पशुधन	51
केस–27	प्रत्येक मतदान महत्वपूर्ण– बूथमित्र	माध्यमिक शिक्षा	53
केस–28	सामुदायिक शौचालयों का संवहनीय प्रबन्धनः स्वच्छ भारत ग्रामीण एवं उ0प्र0 राज्य ग्रामीण मिशन का अभिसरण	ग्राम्य विकास	55
कासगंज			
केस–29	मोक्षदायिनी के किनारों का कायाकल्पः गंगा एवं भागीरथी वन प्रोग्राम	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	57
लखीमपुर खीरी			
केस–30	मनरेगा के सफल क्रियान्वयन की रणनीतिः ऑपरेशन चतुर्भुज	ग्राम्य विकास	59
लखनऊ			
केस–31	सामुदायिक पुलिसिंगः वन स्टाप सेन्टर	गृह	62
स्हारनपुर			
केस–32	बाल संरक्षण योजनान्तर्गत बालिका शिक्षा का प्रोत्साहन	बेसिक शिक्षा	63
केस–33	लकड़ी की उत्कृष्ट कलाकृतियां	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	64
शामली			
केस–34	कृष्णी नदी का जीर्णोद्धार कार्य	नमामि गंगे	66
केस–35	जल ही जीवन हैः गंगा के सूक्ष्म जलागम क्षेत्र का प्रबन्धन	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	68
सिद्धार्थनगर			
केस–36	सी0एस0आर0 के माध्यम से विद्यालयों का पुनरोद्धार	बेसिक शिक्षा	70
केस–37	सी0एस0आर0 के सहयोग से स्वास्थ्य क्षेत्र का रिफार्म	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	72
सीतापुर			
केस–38	आर्गेनिक फार्मिंगः मृदा स्वास्थ्य एवं संरक्षण की अनूठी पहल	कृषि	74
सुलतानपुर			
केस–39	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत पक्के आवासों के निर्माण में वर्षा जल संचयन	नमामि गंगे	76
केस–40	मुशहर समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण की अनूठी पहल	ग्राम्य विकास	78
उन्नाव			
केस–41	निर्धनता से समृद्धि की ओर बढ़ते कदम	ग्राम्य विकास	80
केस–42	इज ऑफ डूइंग बिज़नेसः उद्योगों की समस्याओं का समाधान	औद्योगिक विकास	82
वाराणसी			
केस–43	नवीकरणीय ऊर्जाः सोलर आधारित चरखा एवं लूम	हथकरघा	84

संलग्नक–1	क्षेत्रवार उत्कृष्ट पद्धतियों का विवरण
संलग्नक–2	सतत विकास लक्ष्यवार उत्कृष्ट पद्धतियों का विवरण

जनपद - अमरोहा

केस–1 : ग्लास निर्यात हस्तशिल्प एवं डिजाइनर पैकेजिंग

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	ग्राम देहरी खुर्रम, मुरादाबाद रोड, जनपद अमरोहा
कार्यान्वयन एजेंसी	:	उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र
क्षेत्र	:	जिला उद्योग संवर्धन और उद्यमिता
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

अमरोहा जिले में उत्तर प्रदेश निर्यात अवस्थापना योजनान्तर्गत, ग्लास उद्योगों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई है। यह सेंटर उत्तर प्रदेश में रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देगा। यह मुरादाबाद, संभल, रामपुर और बिजनौर के आसपास के क्षेत्रों में उत्पादन की लागत को कम करने में भी मदद करेगा।

हस्तक्षेप

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र के साथ मिलकर एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) की स्थापना की गई है, इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर में स्पेशल पर्पज वेहिकल (एस.पी.वी.) के माध्यम से कार्य किया जा रहा है।

प्रभाव

सामाजिक

जनपद के आसपास के ग्लास उद्यमियों और निर्यातकों को कांच उद्योग में शामिल तकनीकी ज्ञान का प्रसार करने के लिए इस कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की गई है। यह सेंटर राज्य के औद्योगिक विकास को तेज करेगा।

आर्थिक

परियोजना की कुल लागत 1299.98 लाख रुपये है, जिसमें से 909.98 लाख रुपये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं। इसमें राज्य का हिस्सा मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में है। 2500 लोगो को इस योजना से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार का लाभ प्राप्त होगा।

इस योजना से ग्लास निर्यात क्षेत्र का 25 प्रतिशत तक विस्तार होने की उम्मीद है। इस संयंत्र की स्थापना से, फिरोजाबाद जिले पर क्षेत्र की निर्भरता कम हो जाएगी और स्थानीय श्रम को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के भीतर नई नौकरियों के सृजन से अन्य क्षेत्रों में पलायन को कम किया जा सकता है। क्षेत्र में उत्पादन लागत में भी कमी आएगी।

मुख्य परिणाम

अब तक, ग्लास से संबंधित सभी काम ज्यादातर हाथ से किए जाते थे जिसके कारण उत्पादन का कार्य धीमी गति से होता था। इस परियोजना का उद्देश्य स्वचालित मशीनों को नियोजित करके प्रकिया को आसान बनाते हुये उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है जो उद्यमियों और निर्यातकों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

सारांश

ग्लास से सम्बन्धित जितने भी काम जैसे लेजर कटिंग, फिनिशिंग, वाटर जेट कटिंग, लेजर इन्ग्रेविंग, इटिचिंग, ग्लास लेमिलेशन, इन्सुलेशन, ग्लास कलरिंग, सैम्पुलिंग आफ ग्लास यूजिंग फर्नेस आदि जिनकी आवश्यकता उद्योगों व हैण्डीक्राफ्ट की इकाईयों को पड़ती है, वह समस्त कार्य कामन फैसिलिटी सेन्टर अमरोहा ग्लास फैक्ट्री में नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर न्यूनतम दरों पर किया जायेगा। इससे उत्पादकों का लागत मूल्य कम होने के साथ–साथ क्षेत्रीय रोजगार को अधिकतम बढ़ावा मिलेगा।

प्राप्त सीख

ग्लास से सम्बन्धित कार्य पूर्व में हाथों से किया जाता था जिसके कारण चोट का खतरा अधिक रहता था तथा तैयार माल में सुन्दरता कम रहती थी और व्यापार के लिये भेजा गया अधिकांश माल पसन्द नही किया जाता था। वर्तमान तकनीकी युग में इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन से ग्लास सम्बन्धी समस्त कार्य आटोमेटिक मशीनों द्वारा किया जायेगा, जो सुरक्षा की दृष्टि से उत्तम है, साथ ही साथ उत्पादन बेहतर फिनिशिंग एवं अन्तर्राष्ट्रीय मांग के मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप होगा।

श्री उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी, मो. नं. 9454417571 ईमेलः dmjpn@nic.in

जनपद - अमरोहा

केस–2 : अमरोहा मे डम्पिंग साइट का विकास एवं सुन्दरीकरण

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	नगर अमरोहा
कार्यान्वयन एजेंसी	:	नगर पालिका परिषद
क्षेत्र	:	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

संबंधित डंपिंग साइट बिजनौर रोड, टी.पी. नगर के पास स्थित है।शहर के कई मुहल्लों के निवासियों से कचरा एकत्र व साइट पर डंप किया जाता था। कूड़े के ढेर के कारण निरंतर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती थी।

हस्तक्षेप

विकास और सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से, जिलाधिकारी द्वारा नगर पालिका को इस स्थान को विकसित करने और क्षेत्र में अतिक्रमण पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया। डंपिंग को रोकने के लिए सड़क के किनारों पर कुडेदान रखवायें गए और पूर्व स्थल पर पार्क व झरना सहित कम कीमत की फीचर वाल का निर्माण कराया गया। ट्रैफिक कंजेस्शन जैसी समस्या को हल करने के लिए सड़क के दोनों ओर साइनेज और मार्किंग की गई तथा इंटरलाकिंग टाइल्स लगाकर चौराहे का चौड़ीकरण किया गया।

प्रभाव

बिजनौर हाईवे नगर का सबसे व्यस्त मार्ग है, जिस पर प्रतिदिन अनुमानतः 30000 से 40000 जनमानसो का आवा–गमन रहता है। वर्तमान परियोजना ने साइट को एक डंपिंग पॉइंट से एक सेल्फी स्पॉट में बदल दिया है, रात्रि में पार्क व झरना रंगीन रौशनी में एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। यह विकास शहर में स्वच्छता के मुद्दों पर प्रकाश डालता है और जनमानस में जागरूकता फैलाने में मदद करता है। इस चौराहे के चौड़ीकरण के बाद इस स्थान पर विभिन्न सार्वजनिक समारोहों का आयोजन भी किया गया है।

मुख्य परिणाम

- प्रतिदिन अनियोजित गार्बेज डंपिंग पर रोक।
- आस–पास के क्षेत्र मे ट्रैफिक जाम का समाधान।
- जनमानस को सुखद अनुभूति।
- सुगम यातायात के कारण वायु प्रदूषण में कमी।

विकल्पों को बढ़ावा

भारत के छोटे नगरो में संकीर्ण चौराहों की आकृति/आकार में सुधार, मार्गो को चौड़ा व सुन्दरीकरण करके कराया जा सकता है। यह कार्य अन्य सिविल कार्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम लागत में किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन – स्थल पर नोटिस बोर्ड एवं फाइन से निवासियों के कूडा न फेकने का व्यवाहरिक बदलाव।
- क्षेत्र का सौंदर्यीकरण।
- सुगम यातायात।

सारांश

अमरोहा शहर में इस चौराहे पर कूड़ा फेकने के कारण एक बदबूदार ढेर बन गया था। जिलाधिकारी के हस्तक्षेप ने इस क्षेत्र को एक स्वच्छ और सुंदर सार्वजनिक स्थान में बदल दिया है जिससे यातायात सुगम बनाने मे सफलता प्राप्त हुई है।

प्राप्त सीख

पैदल यात्रियों की आवा–जाही के लिए उचित साइनेज, रोड मार्किंग और पक्के रास्ते बनाकर, बहुत ही कम लागत में किसी स्थान के सुन्दरीकरण में सुधार लाया जा सकता है। इन अभिनव प्रयासों से जनमानस के सोच मे शीघ्र आवश्यक बदलाव लाया जा सकता है।

श्री उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी, मो0नं0 9454417571 ईमेलः dmjpn@nic.in

जनपद - अमरोहा

केस–3 : ठोस अपशिष्ट का संवहनीय प्रबन्धनः आय सृजन का वैकल्पिक माध्यम

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	नगर पालिका परिषद, गजरौला, जनपद–अमरोहा
कार्यान्वयन एजेंसी	:	नगर पालिका परिषद
क्षेत्र	:	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित होकर, गजरौला शहरी स्थानीय निकाय ने शहर को कचरे से मुक्त बनाने की चुनौती उठाई है। शहर प्रतिदिन 24 टी.पी.डी. ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के दिशानिर्देशों के अनुरूप गजरौला शहरी स्थानीय निकाय ने शहर में उत्पन्न कचरे के सुरक्षित संग्रह और परिवहन के लिए एक संवहनीय योजना तैयार की है।

हस्तक्षेप

नगर निकाय के 25 नगरपालिका वार्डों से एकत्र घरेलू अपशिष्ट (गीला और सूखा) का परिवहन तथा इसके पृथक्करण के लिए 60 टन क्षमता के वर्मीकम्पोस्ट एवं 500 टन की क्षमता वाले नाडेप कम्पोस्ट प्लांट का निर्माण किया गया। कन्सट्रक्शन एवं डिमोलिसन वेस्ट से 3000 प्रतिदिन क्षमता वाले प्लांट से इंटरलाकिंग टाईल्स का निर्माण किया गया तथा इन्सिनरेशन विधि द्वारा खतरनाक घरेलू कचरे का निस्तारण किया गया। रीसाइक्लिंग प्रक्रिया से बने उत्पादों जैविक खाद और अन्य उत्पादों के प्रसंस्करण की बिक्री ने नगर निकाय को आर्थिक लाभ प्रदान किया।

प्रभाव

सामाजिक

कचरा प्रबंधन से शहर में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। जनमानस के सामूहिक प्रयास से वेक्टर जनित रोगों की व्यापकता में कमी के साथ शहर का सौंदर्यीकरण भी हुआ है।

आर्थिक

- नगरीय निकाय के अतिरिक्त आय के स्त्रोतों का सृजन (रूपये 19.5 लाख वार्षिक) हुआ है।
- जैविक खाद के उत्पादन को प्रोत्साहित करने एवं कम कीमत पर वितरण से जैविक कृषि को प्रोत्साहन मिला है जिसके फलस्वरूप किसानों के आर्थिक लाभ में वृद्धि हुई है।
- सरकारी संसाधनों की भी बचत के साथ–साथ साफ–सफाई एवं स्वच्छता के कारण व्यक्तिगत चिकित्सकीय व्यय में कमी आयी है।

मुख्य परिणाम

- नगरीय निकाय में प्रतिदिन एकत्रित होने वाले 24 टी.पी.डी. कचरे का पूर्ण निस्तारण हुआ है।
- आय के नए स्त्रोतों का सृजन हुआ है।
- लीगेसी वेस्ट व कचरे के ढेरो का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हुआ है।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में नगर निकाय को नॉर्थ जोन में तृतीय स्थान एवं सिटीजन फीडबैक में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

विकल्पों को बढ़ावा

नगरीय कचरा प्रबंधन के द्वारा आय के साधन सृजित करना विकासशील एवं सीमित संसाधनों के देश में एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- कचरा प्रबंधन में जन सहभागिता को बढ़ावा
- आय के स्त्रोत सृजित करना
- प्रदूषण स्तर में कमी
- नागरिकों के स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली को बढ़ावा

सारांश

नगर निकाय के सभी 25 वार्डों में डोर टू डोर गीला एवं सूखा कचरा एकत्रित किया गया, जिसके प्रसंस्करण द्वारा जैविक खाद, नैडेफ खाद एवं इंटरलॉकिंग ईंटों का निर्माण करते हुए आय के नवीन स्त्रोतों का सृजन किया गया । इस संवहनीय प्रबंधन से प्रदूषण स्तर में कमी आई तथा नागरिको के स्वास्थ्य को प्राथमिकता प्रदान करते हुए उनके स्वास्थ्य सुरक्षा को पूर्व से गुणवत्तायुक्त बनाया गया।

प्राप्त सीख

सामाजिक जागरुकता के माध्यम से समस्या को अवसर में बदला जा सकता है। अभी भी उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों में लिगेसी वेस्ट व प्रतिदिन जनित ठोस कचरा एक विकराल समस्या है। जनसहभागिता व कार्मिको को प्रशिक्षित कर उक्त विकराल समस्या को बेहतर अवसर में परिवर्तित करते हुये कचरे का निस्तारण कर आय के बड़े स्त्रोत सृजित किये जा सकते हैं।

श्री उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी, मो0नं0 9454417571 ईमेलः dmjpn@nic.in

जनपद - अमरोहा

केस–4 : एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत मृतप्राय उत्पाद को लघु उद्योग में परिवर्तन

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	अमरोहा
कार्यान्वयन एजेंसी	:	जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र
क्षेत्र	:	हस्तशिल्प
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये तथा इसी के माध्यम से स्वतः रोजगार पैदा करने हेतु जनपद अमरोहा में प्राचीन काल से चल रहे उद्योग ढोलक (वाद्य यन्त्र) और रेडीमेड गारमेन्ट को बढ़ावा देने के लिये इन दोनो उत्पादों को एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया है।

हस्तक्षेप

इस कार्यक्रम के संचालन में मुख्यतः 04 योजनाओं की भूमिका रही है–

1. ओ0डी0ओ0पी0 प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरण योजना – इसके अन्तर्गत जनपद हेतु चिन्हित उत्पाद ढोलक (वाध्य यन्त्र) एवं रेडीमेड गारमेन्ट्स से सम्बन्धित 10 दिवसीय सामान्य व तकनीकी प्रशिक्षण देने के पश्चात् प्रशिक्षणदायी संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियो को मानदेय के रूप में धनराशि व काम करने के लिये टूलकिट प्रदान की जाती है।
2. ओ0डी0ओ0पी0 मार्जिन मनी योजना – इसके अन्तर्गत ढोलक (वाध्य यन्त्र) एवं रेडीमेड गारमेन्ट्स के उत्पादन रिपेयरिंग व व्यवसाय हेतु रूपये 25.00 लाख तक के ऋण की सुविधा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी की छूट के साथ उपलब्ध करायी जाती है।
3. ओ0डी0ओ0पी0 विपणन सहायता योजना – इसके अन्तर्गत ओ0डी0ओ0पी0 प्रोडक्ट ढोलक (वाध्य यन्त्र) एवं रेडीमेड गारमेन्ट्स के राजकीय मान्यता प्राप्त मेलें में हस्तशिल्पियों को स्टाल लगाने पर एवं मेले स्थल पर माल ले जाने व स्टाल खर्च की कुल धनराशि का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

ओ0डी0ओ0पी0 सामान्य सुविधा केन्द्र योजना – इस योजना के अन्तर्गत ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद के टेस्टिंग लैब, डिजाइन डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर, तकनीकी अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, उत्पाद प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र, रा मैटेरियल बैंक, पैकेजिंग, लेवलिंग, बार कोडिंग आदि सुविधायें हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए रूपये 15.00 करोड़ तक की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है जिसमें राज्य सरकार का अंशदान परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होता है।

सामाजिक
इस योजना के अन्तर्गत रोजगार का लाभ निष्पक्ष रूप से सभी समुदायों को प्राप्त हो रहा है।

आर्थिक
इस योजना में वर्ष 2019–20 के अन्तर्गत 200 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के पश्चात् टूलकिट वितरण किये गये जिससे लघु उद्योग के रूप में लाभार्थियों ने अपना रोजगार स्थापित किया और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। साथ ही इच्छुक लोगों ने ऋण लेकर अपनी बड़ी इकाईयां स्थापित की और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदढ़ किया है।

मुख्य परिणाम
इस योजना ने समाज के सभी वर्गों को सम्मानजनक रोजगार प्रदान किया है और यहाँ के उत्पादों को देश और विदेशो में पहचान मिली है। एक पुराने उत्पाद का पुनरुद्धार हुआ जो जनपद में लुप्त होता जा रहा था। इससे पहले इन उद्योगों के लिए उपकरण बहुत दुर्लभ थे। इस योजना के द्वारा, साधनों की कमी को पूरा किया गया और अब लाभार्थियों ने लकड़ी के लट्ठों और अन्य इलेक्ट्रिक मशीनों के साथ काम करके ऋण लेना प्रारम्भ कर दिया है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ
पूर्व में ओ0डी0ओ0पी0 उत्पाद को पहले हाथ के द्वारा तैयार करने के कारण उत्पादन की दर कम होती थी और उत्पाद में सुन्दरता नही आ पाती थी। इस योजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप वस्तुओ के उत्पादन एवं गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है।

वर्ष 2019–20
1. एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 12 इकाईयों को 185.80 लाख रूपये ऋण का लाभ उपलब्ध कराया गया है।
2. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 31 इकाईयों को 401.20 लाख रूपये ऋण का लाभ उपलब्ध कराया गया है।
3. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में 42 इकाईयों को 472.24 लाख रूपये ऋण का लाभ उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2020–21
1. एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में 20 इकाईयों को 277.00 लाख रूपये ऋण का लाभ उपलब्ध कराया गया है।
2. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में 15 इकाईयों को 117.00 लाख रूपये ऋण का लाभ उपलब्ध कराया गया है।
3. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 में 51 इकाईयों को 515.40 लाख रूपये ऋण का लाभ उपलब्ध कराया गया है।

सारांश
प्रदेश सरकार द्वारा विलुप्त हो रहे उत्पादों को सफल लघु उद्योगों में बदलने की कोशिश की गयी है।

प्राप्त सीख
इस योजना से हमें यह सीख मिली कि यदि जमीनी स्तर से दृढ़ता से काम किया जाए, तो समाज के लिए बड़े पैमाने पर बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं। नई तकनीकों की शुरूआत इन मार्गों को और बढ़ा सकती है। इस उद्योग में आगे की वृद्धि की भी परिकल्पना की गई है–कॉगो, ड्रम, तबला, सितार, गिटार, आदि बहुतायत मात्रा में तैयार किये जा रहे है। ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों के प्रवेश ने भी इस तरह के उपक्रमों को सुविधा प्रदान की है।

●●●

श्री उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी, मो0नं0 9454417571 ईमेलः dmjpn@nic.in

जनपद - अमरोहा

केस–5 : बान नदी का जीर्णोद्धार

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	अमरोहा
कार्यान्वयन एजेंसी	:	विकास खण्ड अमरोहा एवं जोया
क्षेत्र	:	जल संरक्षण
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

वर्ष 2019–20 में जनपद अमरोहा के 35 ग्राम पंचायतों से होकर प्रवाहित होने वाली अवैध रूप से कब्जे वाली बान नदी का नवीकरण और संरक्षण परियोजना मनरेगा योजनान्तर्गत प्रारम्भ किया गया। जीर्णोद्धार कार्य का समापन उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के कर कमलों द्वारा हुआ।

हस्तक्षेप

नदी की जीर्णोद्धार परियोजना ने वृहद् रोजगार सृजन के अवसर प्रदान किये, जिसमें जनपद प्रशासन के साथ–साथ जनप्रतिनिधिगण, चिकित्सक, अध्यापक, वकील, व्यापारी वर्ग, स्कूली छात्र–छात्राए जनसामान्य एवं मीडियाबन्धुओं की उल्लेखनीय सहभागिता रही। जीर्णोद्धार कार्य से नदी प्रवाह क्षेत्र के आसपास के खेतों के उत्पादकता तथा कृषि आय में वृद्धि हुई।

प्रभाव

सामाजिक

- सामाजिक उन्नयन हेतु जनान्दोलन के द्वारा जनजागरण एवं जनोन्मुखीकरण।
- लोकतांत्रिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिये नीति क्रियान्वयन में जन सहभागिता को बढ़ावा।
- प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन को समाप्त करना।

आर्थिक

- नदी किनारे 35 ग्रामों में जल व मृदा संरक्षण के उपायों तथा वृक्षारोपण से कृषि उत्पादकता व कृषकों के आर्थिक लाभ में वृद्धि।
- जैविक कृषि को बढ़ावा (30 हेक्टेयर)।

मुख्य परिणाम

- लगभग 250 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जामुक्त हुयी।
- सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास हेतु कृषि, वन, पंचायती राज व अन्य विभागों के समन्वय द्वारा कार्ययोजनाए निर्मित कराकर लक्ष्य की प्राप्ति की गयी।

विकल्पों को बढ़ावा

- नीति क्रियान्वयन में जनसहभागिता द्वारा लोकतांत्रिकीकरण को बढ़ाया जा सकता है।
- भारत सीमित वित्तीय संसाधनों का देश है और सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से बचाए गए संसाधनों और श्रमदान का उपयोग अन्य विकास के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- कुल अनुमानित लागत रूपये 4.25 करोड़ के स्थान पर मात्र रूपये 85.31 लाख व्यय हुये जिसमे लगभग 75 प्रतिशत शासकीय धनराशि की बचत हुई।
- अनुमानित 273351 मानव दिवसों में से 61434 मानव दिवसों का भुगतान मनरेगा अंश से व शेष 211917 मानव दिवसों की पूर्ति जनसहभागिता एवं श्रमदान द्वारा हुआ।

सारांश

मुख्य रूप से सार्वजनिक भागीदारी और श्रमदान के माध्यम से, क्षेत्र के अवैध भूमि पर कब्जे को समाप्त करके बान नदी के संरक्षण का कार्य पूरा किया गया । सरकारी धन का बड़ा हिस्सा (75 प्रतिशत) बचाया गया। नदी के प्रवाह क्षेत्र के आसपास वृक्षारोपण और कृषि भूमि में सुधार एवं जैविक खेती से भविष्य में इस क्षेत्र का पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित होगा।

प्राप्त सीख

सामाजिक सरोकारों की पूर्ति हेतु जनसहभागिता एवं श्रमदान एक बेहतर विकल्प हो सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में जहां संसाधनों की कमी है, सामाजिक जिम्मेदारियों की पूर्ति के लिए आम जनता को नीति कार्यान्वयन से जोड़कर विकास कार्य एक बेहतर विकल्प हो सकता है। सक्रिय नीति निर्माण की आवश्यकता है जो आम जनता के लिए अवसर पैदा कर सके, वहीं सामाजिक कल्याण में भी योगदान दे।

श्री उमेश मिश्रा, जिलाधिकारी, मो0नं0 9454417571 ईमेलः dmjpn@nic.in

जनपद - औरैया

केस–6 : परम्परागत कृषि के स्थान पर केले की कृषि में ऊतक संवर्धन विधि का प्रयोग

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	श्रीमती विटनी देवी पत्नी श्री हरनारायण ग्राम भर्रापुर, विकासखण्ड–भाग्यनगर
कार्यान्वयन एजेंसी	:	विकास खण्ड अमरोहा एवं जोया
क्षेत्र	:	कृषि
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

भारत एक कृषि प्रधान देश है। अनुकूल भौगौलिक परिस्थिति व प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी उन्नत तकनीकी एवं संसाधनों के अभाव के कारण असीमित जीविका उर्पाजन का यह क्षेत्र अपेक्षित विकास से अभी भी बहुत अछूता है। स्वाधीनता के उपरान्त कृषि वैज्ञानिको के अनुसंधान एवं प्रयोग के परिणाम स्वरूप, कृषि फसले यथा गेंहू, धान, बाजरा आदि फसलों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की गयी है। कृषि फसलों से खाद्य आवश्यकता की पूर्ति तो हो गयी है किन्तु यह फसलें कृषकों की आय में अपेक्षित वृद्धि नही कर पायी।

हस्तक्षेप

औद्यानिक फसलों यथा फल एवं शाकभाजी के उत्पादन में नवीन प्रौद्यौगिकी का समावेश कर कृषकों की आय में निश्चित रूप से कई गुना वृद्धि की जा सकती है।

प्रभाव

शाकभाजी फसलो के उत्पादन में उन्नत प्रौद्यौगिकी का समावेश जनपद में इस प्रकार का एक प्रथम प्रयास था। जिसे जनपद के किसानो द्वारा अत्यंत सराहा गया। वर्ष 2020–21 में इस तकनीकी को जनपद के 10 किसानो द्वारा अपनाया गया।

मुख्य परिणाम

जनपद में प्रथम बार श्रीमती विटनी देवी पत्नी श्री हरनारायण निवासी ग्राम भर्रापुर विकासखण्ड भाग्यनगर द्वारा उद्यान विभाग के मार्गदर्शन से 0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में केला प्रजाति जी–9, 1.8 x 1.8 की दूरी पर 1543 पौधों का रोपण किया गया। नमी संरक्षण एवं खरपतवार नियंत्रण हेतु मल्चिंग शीट का प्रयोग किया गया। भूमि की तैयारी के समय बायो उर्वरकों का प्रयोग किया गया, जिससे मृदा संरक्षण के साथ–साथ रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम की गयी। पारम्परिक फसलों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त हुए है।

क्र. सं.	फसल का विवरण	क्षेत्रफल	कुल उत्पादन (कु0 में)	उत्पादन लागत (लाख में)	कुल आय (लाख में)	शुद्ध लाभ (लाख में)
1	तकनीकी विधि से जनपद में प्रथमवार टिश्यूकल्चर केला की खेती	0.5	385.75	0.800	3.857	3.057

●●●

श्री अनूप चर्तुवेदी, जिला उद्यान अधिकारी, जनपद–औरैया, मो0नं0 9616225022, ईमेल आई0डी0– dhoauraiya@rediffmail.com

जनपद - अयोध्या

केस–7 : फिट इण्डिया मूवमेंट– ग्राम पार्क/ओपन जिम की स्थापना

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	अयोध्या
कार्यान्वयन एजेंसी	:	पंचायती राज विभाग
क्षेत्र	:	ग्राम्य विकास
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित होकर, जिले के 11 विकास खण्डों के 22 ग्राम पंचायतों में यह पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया है।

हस्तक्षेप

स्वस्थ जीवनशैली की ओर लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से पार्कों को चिन्हित कर उनमे नए और बेहतर जिम उपकरण लगाए गए। इस बात पर ध्यान दिया गया कि जिम उपकरण टिकाऊ और मानव की आवश्यकता के अनुरूप डिज़ाइन किए गए हो। ग्राम पार्क/व्यायामशाला को ग्राम पंचायत के निवासियो के आवश्यकता के अनुसार और उनकी स्वस्थ्य जीवन शैली के लिए तैयार किया गया है, विशेष रूप से युवाओ के लिए जो जिम कि स्थापना को लेकर अत्यंत उत्साहित थे।

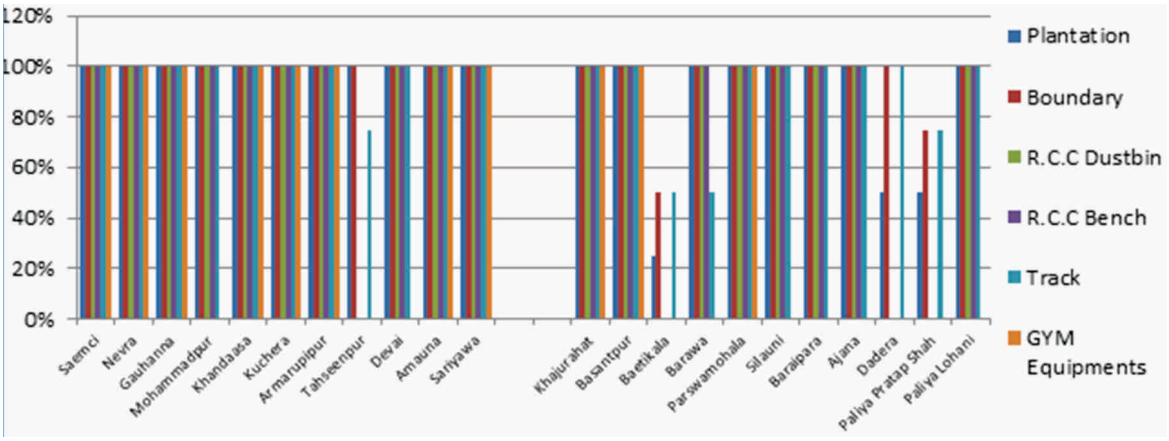

सामाजिक

इस परियोजना का अत्याधिक सामाजिक प्रभाव पड़ा है, आमतौर पर लोग सोचते थे कि बेहतर उपकरणों के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले जिम केवल बड़े शहरों और कस्बों में उपलब्ध हो सकते हैं। चूंकि ग्रामीण भारत में लोग इस तरह की जिम सुविधाओं के संपर्क में नहीं आते हैं या उनका उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए एजेंसी के लिए इन जिम उपकरणों का उपयोग करके फिटनेस और विकास के बारे में जागरूकता पैदा करना एक कठिन काम था। परन्तु अब अधिक से अधिक लोग खुद को फिट रखने के बारे में सोचने लगे हैं, नियमित शारीरिक व्यायाम करते हैं और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को समझ रहे हैं। फलस्वरूप जहां भी ये जिम स्थापित हुए है उन ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

आर्थिक

पार्क और व्यायामशाला के विकास के लिए जिम और पार्कों के निर्माण के दौरान स्थानीय श्रमिकों को लगाया गया, एवं सिविल कार्य के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री स्थानीय विक्रेताओं से क्रय कि गयी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। पार्क और जिम के आस–पास छोटी–छोटी दुकानों के होने के फलस्वरूप स्थानीय लोग अपने आसपास के क्षेत्र में स्वरोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं।

प्रभाव

शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने से लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ होता है। पार्क और जिम अब लोगों को फिट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। नियमित व्यायाम की आदत अब इन गांवों में नया मानदंड है। साथ ही इसने युवाओं को जीवन में उनकी सफलता के महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में शारीरिक तौर पर स्वस्थ्य रहने के लिए प्रेरित करने में मदद की है। इसके अतिरिक्त इससे गाँवों को और अधिक हरा–भरा बनाने में भी मदद मिली और ग्रामीणों के बीच समाजीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में कार्य कर रहा हैं। सामाजिक प्रभावों के अतिरिक्त ये पार्क और जिम अपने आसपास के छोटे व्यवसाय के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है परिणामस्वरूप इसके कारण असीमित आर्थिक लाभ की संभावना है।

मुख्य परिणाम

पार्क के आसपास रहने वाले लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता से लाभान्वित हुए है। ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र और हरे–भरे हो गए।

विकल्पों को बढ़ावा

इस परियोजना से बड़े स्तर पर दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होने की सम्भावनाये है। इससे लंबे समय तक प्राप्त होने वाला स्वास्थ्य लाभ के कारण प्रत्येक गांव इस मॉडल को आसानी से अपना सकता है।

सारांश

यह परियोजना सहयोग और सतत विकास का एक महत्व पूर्ण उदाहरण है जिसने विकास के सभी कारकों को प्रभावित किया है और अधिक से अधिक लोगो के जीवन को लाभान्वित किया है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से ''फिट इण्डिया मूवमेंट'' को जमीनी स्तर पर बढ़ावा दिया गया है।

इस परियोजना के लिए एक साथ काम करने वाले विभिन्न विभाग के पास भविष्य की परियोजनाओं में काम करने के लिए अब एक अच्छी समझ है। इस तरह के समन्वित दृष्टिकोण लागत में कटौती और सबसे प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन में मदद करते हैं। हमें स्थानीय आबादी के कौशल विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए ताकि परियोजना का स्वयं विकास हो सके और बाहर से किसी मानव संसाधन की आवश्यकता न पड़े।

●●●

श्री अनुज कुमार झा, जिलाधिकारी, अयोध्या, मो. नं0 9454417541 ईमेलः dmfai@nic.in, cdofzd@gmail.com, dcayodhya@gmail.com

जनपद - अयोध्या

केस–8 : तमसा नदी का कायाकल्प

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	अयोध्या
कार्यान्वयन एजेंसी	:	मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत
क्षेत्र	:	ग्राम्य विकास
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

तमसा नदी को बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है और वर्तमान में इसके संरक्षण और नवीकरण की आवश्यकता है।

तमसा नदी अयोध्या के 10 ब्लॉकों और 77 ग्राम पंचायतों से होकर प्रवाहित होती है। जिले मे नदी की कुल लंबाई 151 किलोमीटर है। नदी के किनारे अतिक्रमण था और कुछ स्थानों पर नदी पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी। स्थानीय समुदाय के समर्थन से अतिक्रमण हटाकर न्यूनतम 20 मीटर की चौड़ाई सुनिश्चित की गई।

हस्तक्षेप

- तमसा परियोजना में किसी भी बाहरी धन का उपयोग नहीं किया गया । मनरेगा, राज्य वित्त और 14वें वित्त से अभिसरण किया गया।
- नदी के पूरे चैनल की लंबाई में नदी का कायाकल्प पहले कभी नहीं किया गया है।
- राजस्व, सिंचाई और ग्राम्य विकास की मदद से एकीकृत रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके कारण एकल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई, इस तरह पूरे लंबाई में किए गए कार्यों में एकरूपता सुनिश्चित की गई।
- नदी तट के संरक्षण के लिए मनरेगा और वन विभाग द्वारा स्थानीय स्वदेशी पेड़ों का समानांतर वनीकरण।
- समुदाय का सहयोग।
- जल संग्रहण में वृद्धि।

- बेहतर नमी वाला क्षेत्र।
- बेहतर मिट्टी की उर्वरता और फसल उत्पादकता।
- जल जमाव की समस्या का हल।
- पारिस्थितिकी का संरक्षण।

मुख्य परिणाम

- पानी के स्थिर प्रवाह के साथ अतिक्रमण मुक्त नदी चैनल।
- स्थानीय आबादी को सतही जल उपलब्धता में वृद्धि।
- जल संरक्षण और भंडारण।
- बाढ़ और मिट्टी के कटाव में नियंत्रण।
- भूजल स्तर और सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि।
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि।
- मानसून में जल जमाव की समस्या का हल।
- नदी जलग्रहण योजना।
- सतत ग्रामीण विकास।
- मछुआरे और स्थानीय ग्रामीणों को मछली पकड़ने में सुगमता।

विकल्पो को बढ़ावा

तमसा कायाकल्प की सफलता के बाद जिला प्रशासन जिले में दो और नदियों को पुनर्जीवित कर रहा है–

- बिसुही नदी (लगभग 65 किलोमीटर)
- तिलोद की गंगा (लगभग 20 किलोमीटर)

तमसा नदी के पुनरोद्धार कार्य में कोई बाहरी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया। इस परियोजना का कार्यान्वयन मनरेगा, राज्य वित्त और 14वें वित्त के अभिसरण के माध्यम से किया गया, इसलिए कार्य को आसानी से पुनरावृत्ति की जा सकती है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- तमसा नदी को कल्याणी नदी से जोड़ना जो एक बारहमासी नदी है।
- तमसा नदी में चेकडैम बनाने की योजना।
- तमसा नदी के तट पर विकसित किए जाने वाले घाट।
- पारिस्थितिक पार्कों का विकास।

सारांश

जनपद अयोध्या ने जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। जीवन जल पर निर्भर करता है और जल संरक्षण हम पर निर्भर करता है।

"जल की हर बूंद महत्वपूर्ण है, चलो अधिक जल बचाएं।"

प्राप्त सीख

प्रकृति को हरा भरा रखने के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है।

●●●

श्री अनुज कुमार झा, जिलाधिकारी, अयोध्या, मो. नं0 9454417541
ईमेलः dmfai@nic.in, cdofzd@gmail.com, dcayodhya@gmail.com, dmfai@nic.in, cdofzd@gmail.com, dcayodhya@gmail.com

जनपद - बागपत

केस–9 : लेमन ग्रास कल्टीवेशन : गन्ने की खेती का विकल्प

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	बासौली, विकास खण्ड–छपरौली, जनपद–बागपत
कार्यान्वयन एजेंसी	:	एफ.पी.ओ. उन्नत किसान बायो एनर्जी फार्म प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड
क्षेत्र	:	कृषि
अभ्यास का वर्ष	:	2018

पृष्ठभूमि

बागपत जिले के बसौली गाँव में श्री ऋषिपाल द्वारा लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती परंपरागत विधि से की जाती थी। गन्ने की खेती पर निर्भरता अत्यधिक थी। ऐसी स्थिति में, बायो एनर्जी बोर्ड और कृषि विभाग द्वारा लेमन ग्रास की खेती के बारे में प्रचार और जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संघ जल्द ही बहुत बृहद रूप ग्रहण कर लिया तथा बायो–एनर्जी बोर्ड, लखनऊ की प्रेरणा से लगभग 750 किसानों को एक साथ इस संघ में सम्मिलित किया गया।

तकनीक

किसानो के मध्य लेमन ग्रास की खेती का प्रचार– प्रसार एवं उनको तकनीकि प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सामाजिक

संघ के प्रयासों से आपसी भागीदारी के साथ गन्ने की खेती के स्थान पर लेमन ग्रास की खेती से किसानों की आय में वृद्धि ।

आर्थिक

आय में वृद्धि	:	प्रति हेक्टेयर रूपये 2.5 से 3.0 लाख की वृद्धि
लाभार्थी किसान संख्या	:	750
लाभान्वित क्षेत्र	:	10 हेक्टेयर
योजना के लाभ	:	आर्थिक, सामाजिक, और पर्यावरणीय क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव।

मुख्य परिणाम

मिट्टी की संरचना में सुधार, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और फसल विविधीकरण प्रमुख परिणाम हैं।

सारांश

गन्ने के विकल्प के रूप में लेमनग्रास की शुरुआत के साथ, इस क्षेत्र में गन्ने पर निर्भरता कम हो गई है। मृदा संरचना में भी सुधार हुआ है और किसानों ने अपनी भूमि और संवहनीय खेती के उपायों के बारे में बेहतर समझ हासिल की है।

प्राप्त सीख

कृषि क्षेत्र में प्रचार, प्रशिक्षण और भ्रमण के माध्यम से कृषि के वैकल्पिक फसलों के विषय में जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है।

श्री प्रशान्त कुमार, उप कृषि निदेशक, मो. नं. 9412442057 ईमेल ddagbag@gmail.com

जनपद - बहराइच

केस–10: संस्थागत प्रसव : सुरक्षित शिशु एवं मां

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	बहराइच
कार्यान्वयन एजेंसी	:	जिला प्रशासन
क्षेत्र	:	स्वास्थ्य
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

जनपद बहराइच उत्तर प्रदेश का एक आकांक्षी जनपद है। वर्ष 2018 में जनपद मे संस्थागत प्रसव केवल 39 प्रतिशत था तथा अधिकांश प्रसव घरों में होते थे। इस समस्या के निराकरण के लिए, जिला प्रशासन ने सबसे पहले उन क्षेत्रों का चिन्हांकन करने का निर्णय लिया, जहाँ अधिकांश प्रसव घरों में होते थे (एनएफएचएस–4)। अधिक घरेलु प्रसव वाले क्षेत्रों का चिनाङ्कन ए.एन.एम., आशा, आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों के साथ बैठक में शामिल चयनित क्षेत्रों की माताओं के साथ चर्चा के माध्यम से किया गया। इन चर्चाओं के दौरान, यह पाया गया कि महिलाएं और परिवार के सदस्य यात्रा की दूरी और समय के कारण क्षेत्र के सी.एच.सी. या जिला अस्पताल नहीं जाते थे। प्रशासन द्वारा रूट–काज एनालिसिस के उपायों के आधार पर, इन उपकेंद्रों को प्रसव केंद्र में विकसित करने का निर्णय लिया गया। सी.एच.सी. के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इन क्षेत्रो का विस्तृत मानचित्रण किया गया, तत्पश्चात इसकी सूची विकास खंडो को अग्रतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई गई।

जिले में प्रसव केंद्र के रूप में काम करने वाले अब कुल 94 उप केंद्र हैं जो बहराइच जिले के सभी ब्लॉकों में स्थित हैं (स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन स्थानों का गूगल मानचित्र से लोकेशन भी प्रदान किया जा सकता है)

हस्तक्षेप

- संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिए चयनित सभी एल–1 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को प्रसव केन्द्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। चरणबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम उपकेंद्रों एवं ए0एन0एम0 के आवास के मरम्मत पर ध्यान केन्द्रित किया गया। तत्पश्चात इन दक्ष ए0एन0एम0 को एल–1 प्रसव केन्द्रों में नियुक्ति की गयी। ए0एन0एम0 / स्टाफ नर्स को प्रसव कार्य में दक्ष करने हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनाती कर देखरेख में प्रसव कार्य भी कराया गया। ए0एन0एम0 अपने–अपने स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर निवास करके अब दक्षता से प्रसव कार्य करा रही है।

- प्रसव केन्द्र के रूप में विकसित सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर ए0एन0एम0 को स्वास्थ्य उपकेन्द्र परिसर में उपलब्ध कराये गये आवास में निवास करना आवश्यक कर दिया गया। प्रसव केंद के मुख्य प्रवेश द्वार पर सी.सी.टी.वी. की स्थापना करायी गयी जिससे इन प्रसव केन्द्रों की निगरानी 24 घंटे मेडिकल ऑफिसर द्वारा मोबाइल पर की जा सकती है।

सामाजिक

अब यह पूर्णतया स्पष्ट हो चुका है कि सुरक्षित मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग से मातृ रुग्णता और मातृ मृत्यु दर के साथ शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। संस्थागत प्रसव केंद्र दूर होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की गर्भवती महिलाएं होम डिलीवरी पॉकेट में प्रसव के लिए लिए बाध्य थीं।

तकनीकी

जिला प्रशासन द्वारा एल–1 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को प्रसव केन्द्र के रूप में विकसित करने के कारण मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के क्रिटीकल अवस्थापना के गैप में अभूतपूर्व सुधार हुआ। स्वास्थ्य उपकेंद्रों की आधारभूत संरचना में सभी गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए, मानव संसाधन और लाजिस्टिक सुविधा को समान रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इन उपकेंद्रों पर 24X7 प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए ए.एन.एम. प्रसव केंद्र पर निवास करती हैं। अब एक गर्भवती महिला 30 मिनट के भीतर प्रसव के लिए स्वास्थ्य उप केंद्र तक पहुंच सकती है।

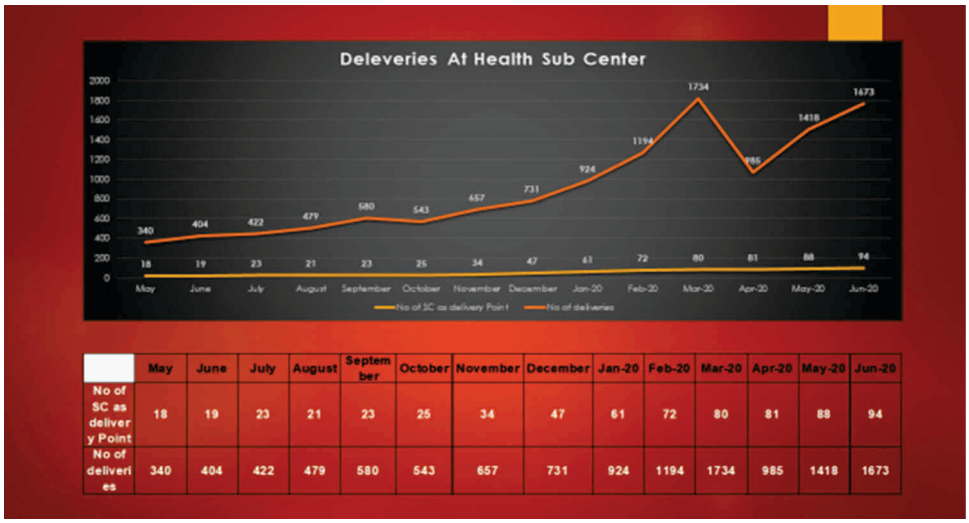

	May	June	July	August	Septem ber	October	November	December	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20
No of SC as deliver y Point	18	19	23	21	23	25	34	47	61	72	80	81	88	94
No of deliveri es	340	404	422	479	580	543	657	731	924	1194	1734	985	1418	1673

आर्थिक

इस हस्तक्षेप से, होम डिलीवरी को कम करने और संस्थागत प्रसव को बढ़ाने में सक्षम होंगे। इन चयनित स्वास्थ्य उप केंद्रों को स्वास्थ्य, ग्राम विकास, पंचायतीराज, मनरेगा, जल निगम और अन्य विभागों के साथ अभिसरण के माध्यम से एल–1 प्रसव केंद्र में परिवर्तित किया गया। इन केन्द्रों के परिवर्तन में जनपद द्वारा अलग बजट का उपयोग नहीं किया गया है। ए.एन.एम. के क्वार्टरों का उन्यन्न और मरम्मत, पानी, बिजली व्वयस्था होने के फलस्वरूप ए.एन.एम उपकेंद्रों पर निवास करके समुदाय को 24X7 सेवाएं प्रदान कर रही है।

प्रभाव

सामाजिक

समुदाय में इस प्रयास को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और अब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए उनके क्षेत्र में प्रसव के लिए लाना आसान है। इन एल–1 उपकेंद्र अस्तित्व के पूर्व , आशा के लिए गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए ले जाना मुश्किल था। सामान्यतः प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं के परिवार के सदस्य साथ में यात्रा करते थे, जिससे यात्रा की लागत में तेजी से वृद्धि हुई थी, अब इस प्रकार की लागतो में में भी कमी देखने को मिली है।

आर्थिक

ये उप–केंद्र 120000 परिवारों में महिलाओं को सीधे लाभान्वित कर रहे हैं। इस हस्तक्षेप से, बच्चे के जन्म के दौरान होने वाले चिकित्सीय व्यय को बचाया गया। संस्थागत प्रसव में वृद्धि के कारण माताओं और बच्चों दोनों के प्रसव के दौरान मृत्यु दर में कमी आई है।

मुख्य परिणाम

इस प्रयास के उपरान्त जनपद में अब 94 कार्यात्मक एल–1 प्रसव केंद्र हैं, जिससे जनपद में संस्थागत प्रसव बढ़े हैं और होम डिलीवरी में कमी आई है।

विकल्पों को बढ़ावा

यह मॉडल आसानी से अन्य जनपदों में अपनाया जा सकता है। स्वास्थ्य उपकेंद्रों को प्रसव केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया गया। उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस रणनीति का प्रयोग 03 स्तर पर किया जाता है। प्रसव कक्ष, स्टाफ आवास आदि आधारभूत संरचना में सुधार करके 24X7 घंटे प्रसव सुविधा सुनिश्चित की गयी। ग्राम प्रधान से सम्यक विचार के उपरान्त ग्राम स्तर पर फण्ड की उपलब्धता की जा सकती है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

इस सफल प्रयास के उपरान्त हम यह उद्धृत कर सकते हैं कि समुदाय के सामूहिक प्रयास के द्वारा अपनाई गयी सभी रणनीति सफल होती है। अंततः हम कह सकते है कि किसी भी परिवर्तन के लिए समुदाय से बड़ी कोई शक्ति नही है।

प्राप्त सीख

- इस अभिनव प्रयास से यह परिलक्षित होता है कि सभी कार्यो के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नही होती है। उपलब्ध तकनीक तथा कनवर्जेन्स के माध्यम से एवं प्रभावी समन्वय से किसी कार्य को भी सफलतापूर्वक संचालित किया जा सकता है।
- बेहतर नियोजन, पर्यवेक्षण और निगरानी से गंभीर समस्याओं का निदान किया जा सकता हैं।
- मौजूदा दिशानिर्देशों का उपयोग अन्य जनपदों के लिए किया जा सकता है।
- अलग से पॉलिसी फ्रेमवर्क की आवश्यकता नहीं है।
- समुदाय द्वारा उठाए गए समस्या के समाधान के लिए विभिन्न हितधारकों के क्षमतावर्धन की आवश्यकता होती है।

डॉ. सुरेश सिंह एवं बाल मुकुन्द शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच एडीटीएम पिरामल फाउण्डेशन,
मो.नं. 9454455262 / 8986720423 ईमेल : balmukund.sharma@piramalswasthya.org

जनपद - बलरामपुर

केस–11 : सुनहरा कल मिशन : उन्नत कृषि समृद्ध किसान

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	**बलरामपुर**
कार्यान्वयन एजेंसी	:	**आई.टी.सी. मिशन के तहत– सुनहरा कल, कृषि और आई.टी.सी. लिमिटेड**
क्षेत्र	:	**कृषि**
अभ्यास का वर्ष	:	**2019–20**

पृष्ठभूमि

बलरामपुर जनपद में कृषि क्षेत्र के लगभग 60–70 प्रतिशत क्षेत्र में धान, गेहूं इत्यादि खद्यानो की कृषि की जाती हैं। अधिकांश किसानो द्वारा कृषि कार्यो में पारम्परिक पद्धति का प्रयोग किया जाता हैं जिससे उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। इस पद्धति में ज्यादा उर्वरक का उपयोग करने के कारण, मिट्टी की उर्वरता भी कम हो रही है। इस पद्धति का उपयोग करने के कारण किसानों की खेती की लागत दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। इसके साथ ही साथ जनपद में धान की कटाई के बाद फसल अवशेष को जलाना भी एक बड़ी समस्या होती है।

हस्तक्षेप

जनपद के कृषि अधिकारियों एवं आई.टी.सी. ने इस स्थिति को सुधारने के लिए साथ–साथ कार्य करने का निश्चय किया गया। आई.टी.सी.– सुनहरा कल मिशन के अंतर्गत कृषि में बेहतर तकनीकी का प्रयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कृषकों को प्रशिक्षित किया गया। जिसमे सबसे पहले कृषि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियो को प्रशिक्षित किया गया, जिससे उनके द्वारा जनपद के सभी किसानो को कास्केड मोड में प्रशिक्षित किया गया। जिले के आई.टी.सी.–सुनहरा कल मिशन के क्षेत्र के पाँच विकास खंडों के 50 ग्रामो को चयनित किया गया।

प्रभाव

जीरो टीलेज तकनीकी के माध्यम से किसानों ने बुवाई से पहले बीज का उपचार किया और धान की फसल की कटाई के बाद, बिना जमीन की तैयारी के जीरो टीलेज मशीन और सुपर बीज ड्रिल के उपयोग के साथ सीधे खेत में गेहूं की बुवाई की। बुवाई के समय उर्वरकों की बेसल खुराक का उपयोग किया तथा जीरो टीलेज लाइन के बीच में उचित दूरी बनाए रखी गयी जिससे खरपतवार की समस्या भी कम हुई और परिणामस्वरुप किसानो को अतिरिक्त लागत से बचत हुई। इस विधि से बुवाई करने से किसानों को लगभग 3000–5000 रुपये प्रति एकड़ की बचत और उत्पादन में भी 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस तकनीकी के बेहतर प्रभाव के कारण अधिक से अधिक किसानो द्वारा इस विधि को अपनाया गया।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

कृषि सीज़न की शुरुआत में आई.टी.सी. द्वारा 5 विकास खंडों के 50 गाँवों में मिशन सुनहरा कल के तहत गांवों में जीरो टिलेज पर 50 नियंत्रित प्लाट में प्रत्यक्ष प्रदर्शन किए गए। किसानो द्वारा परम्परागत जुत्ताई एवं जीरो टीलेज की तुलना की गयी, जिसमे उनके द्वारा पाया

गया कि जीरो टीलेज विधि परम्परागत विधि से बेहतर है, जिसके फलस्वरूप 300 से अधिक किसानो द्वारा लगभग 400 एकड़ पर इस तकनीकी का प्रयोग किया गया।

सारांश

पारंपरिक विधि में किसान 12000–14000 रुपये प्रति एकड़ गेहूं की फसल में खर्च करते हैं। जीरो टिलेज जुताई विधि से किसान 3000–5000 रुपये प्रति एकड़ भूमि की तैयारी और बुवाई, बीज और खरपतवार प्रबंधन से बचत कर रहे हैं। यह विधि फसल की कटाई को आसान बनाती है और फसल के अवशेष खेत में ही रह जाते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है जिससे मृदा की उत्पादकता बढ़ जाती है।

प्राप्त सीख

किसान द्वारा गेहूं की जीरो टिलेज बुवाई के समय भी विभिन्न बैठकों में आई.टी.सी.– सुनहरा कल मिशन के अन्तर्गत उनको अवगत एवं आशान्वित कराया गया कि गेहू की खेती में भी जीरो टिलेज विधि के अनुसरण से कई लाभ निम्नानुसार होंगेः

- समय पर बुवाई से प्राकृतिक रूप से उत्पादन को अधिकतम किया जा सकता है।
- खेत की जुताई की कुल लागत में अधिक बचत।
- सिंचाई जल की आवश्यकता 30 से 40 प्रतिशत कम है।
- बीज दर भी पारंपरिक विधि से कम है।
- उर्वरक की आवश्यकता भी पारंपरिक विधि से कम है।
- खरपतवार प्रबंधन का जोखिम भी पारंपरिक विधि से कम है।
- बीज बोने की उचित और समान गहराई के कारण बीज का अंकुरण भी पारंपरिक विधि से अधिक है।
- टिलर की प्रति पौधा संख्या भी पारंपरिक विधि से अधिक है।

श्री ओम प्रकाश राय, परियोजना समन्वयक आईटीसी– मिशन सुनहेरा की टीम, मोबाइल नं– 6393168944 ईमेलः rai.khardiha@gmail.com

जनपद - बिजनौर

केस–12 : समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण–गुड़, जेगरी पाउडर एवं सिरका उद्योग

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	ग्राम फतेहपुर बिलंदी, विकास खण्ड बुढनपुर स्योहारा, जनपद बिजनौर।
कार्यान्वयन एजेंसी	:	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (जननी स्वयं सहायता समूह)
क्षेत्र	:	ग्राम्य विकास
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

फतेहपुर बिलंदी जनपद बिजनौर के विकास खण्ड स्योहारा का एक छोटा सा गांव है। यहाँ के निवासी श्री अनिल चौधरी और उनकी पत्नी श्रीमती ममता अपनी छोटी सी जमीन पर कृषि कार्य करते थे और अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहते थे। इसके लिए, गन्ने के रस से बने मुख्य उत्पाद जैसे कि गुड़, गुड़ पाउडर और सिरका को बार–बार बनाने का विचार आया, परन्तु वित्तीय अभाव के कारण केवल विचार ही रह जाता था।

हस्तक्षेप

श्रीमती ममता, श्री अनिल चौधरी की पत्नी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन जिला बिजनौर के "जननी स्वयं सहायता समूह" की सदस्य थीं, जिसका उद्देश्य गरीबो को गरीबी से निकालकर उन्हें बचत और रोजगार के प्रति उन्मुखीकरण करना है। उनके पति ने उक्त कार्य में समूह द्वारा सहायता करने की इच्छा व्यक्त की, जिसे श्रीमती ममता ने अपने समूह और ग्राम संगठन में वित्तीय सहायता के लिए प्रस्तावित किया। उसने नियमानुसार समूह से 15 हजार रुपये उधार लिए और उधार के पैसे से थोड़ा–थोड़ा निवेश करके बिना मसाले के गुड़ बनाने का व्यवसाय शुरू किया। अपने कार्य को विस्तार देते हुए इन्होने एक साथ तीनों वस्तुऐ–गुड़, सिरका एवं जेगरी पाउडर बनानी शुरू की। इनका उद्देश्य शुद्ध देसी तरीके से उत्पादों का निर्माण करना था। समूह की अन्य महिलायें भी इस व्यवसाय से जुड़ी, परिणामस्वरूप यह छोटा व्यवसाय एक लघु उद्योग में बदल गया।

प्रभाव

प्रारंभ में उत्पादों को स्थानीय बाजार में बेचा जाता था। जब आस–पास के लोगों ने उनके तैयार उत्पाद की प्रशंसा की, तो उन्होंने उत्साह के साथ नोएडा के एक शापिंग माल में अपना उत्पाद दिखाया, जहां से इन्हे वर्ष 2019–20 में रूपये 3.5 लाख का आर्डर इस शर्त के साथ मिला कि उनको गुड, सिरका व जेगरी पाउडर आर्कषक डिब्बे एवं बोतलों में उपलब्ध कराया जाये।

मुख्य परिणाम

आर्डर हाथ में था, समूह एक साथ था और सूची तैयार थी। अब, बड़े पैमाने पर सिरका स्टॉक के लिए, 1000 लीटर के दो टैंक, बीस हजार पैकिंग के डिब्बे और ऑर्डर पूरा करने के लिए बीस हजार बोतलें

खरीदी गईं। गुड़ 80 रुपये प्रति किलोग्राम, जेगरी पाउडर 60 रुपये प्रति किलोग्राम और सिरका 55 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। जिले में भी उनके उत्पादों की भारी मांग है। अब उत्पादों की मांग नोएडा, दिल्ली और चंडीगढ़ से आ रही है। श्रीमती ममता आगे कहती हैं कि वह और समूह की बहनें यह काम पूरी लगन से कर रही हैं। सभी समूहों की महिलाएँ तैयारी, पैकिंग, तौल आदि करती हैं, जिसके लिए उन्हें तदनुसार भुगतान किया जाता है।

विकल्पों को बढ़ावा

आजकल लोग रासायनिक वस्तुओं से जैविक उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं और इसके लिए कुछ अतिरिक्त रुपये खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। भोजन में गुड़, जेगरी पाउडर और सिरका का उपयोग एक स्वस्थ अभ्यास है। जनपद में मुख्यता गन्ने की खेती की जाती है, जिसके कारण उपरोक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए स्थानीय स्तर पर गन्ना उपलब्ध है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, तैयार उत्पाद दिल्ली, नोएडा और चंडीगढ़ को बिक्री हेतु प्रेषित किए जा रहे हैं इसी तरह, भारी मांग के कारण, इन उत्पादों को नजदीकी शहरों एवं शापिंग माल में भी बिक्री कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

माननीय प्रधांनमंत्री जी का आह्वान ''लोकल से वोकल'' हेतु उक्त अभिनव प्रयास बहुत प्रसांगिक है। गुड़ और जेगरी पाउडर चीनी का विकल्प है। यदि चीनी के स्थान पर गुड़ और जेगरी पाउडर का प्रयोग होता है तो शरीर का पाचनतंत्र भी मजबूत होता है और साथ ही साथ विभिन्न रोगों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है।

सारांश

उक्त व्यवसाय को, पंचायत स्तर पर कम पूजीं एवं कम स्थान पर आरम्भ किया जा सकता है। कच्चे माल की प्राप्ति स्थानीय स्तर पर सुविधा पूर्वक हो जाती है और निर्मित वस्तुओं को स्थानीय स्तर से लेकर शहरी स्तर तक विक्रय किया जा सकता है।

प्राप्त सीख

गन्ने की खेती प्रदेश में प्रमुख स्थान रखती है। किसान गन्ने को अधिकतर चीनी मिलों को सप्लाई करता है, जिसमें से अधिकतर किसानों को समय पर मूल्य न मिल पाने के कारण उनकी भविष्य की योजनाएं एवं पारिवारिक व्यय प्रभावित होता है। गुड़, जेगरी पाउडर, सिरके के उत्पादों को विकल्प को विकसित किया जाऐं और इसके लाभों का प्रचार प्रसार किया जाये तो किसान केवल चीनी मिलों पर निर्भर न रहकर इन उद्योगो में आपूर्ति कर आय प्राप्त कर सकता है।

श्रीमती ममता, जननी स्वयं सहायता समूह, मो0नं0–7465052800 एवं
श्री ज्ञान सिंह, उपायुक्त (स्वतःरोजगार) बिजनौर, मो0नं0–9412273440 ईमेल : anilchaudhary9720@gmail.com
जननी स्वयं सहायता समूह, मो0नं0–7465052800 एवं
श्री ज्ञान सिंह, उपायुक्त (स्वत : रोजगार) बिजनौर, मो0नं0–9412273440 ईमेलः anilchaudhary9720@gmail.com

जनपद - बिजनौर

केस–13 : जल है तो कल है: वर्षा जल संचयन

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	**ग्राम पंचायत स्याऊ, विकास खण्ड जलीलपुर, जनपद बिजनौर**
कार्यान्वयन एजेंसी	:	**ग्राम पंचायत**
क्षेत्र	:	**ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग**
अभ्यास का वर्ष	:	**2019–20**

पृष्ठभूमि

जनपद बिजनौर में विकास खण्ड जलीलपुर एवं नूरपुर ऐसे है जिनमें जल स्तर काफी नीचे पहुँच गया है। वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा चलाये गये जल शक्ति अभियान के अन्तर्गत क्रिटिकल विकास खण्डों में जल स्तर बढानें हेतु विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान विकास खण्ड जलीलपुर ग्राम पंचायत स्याऊ के ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार कटारिया एवं ग्राम प्रधान श्रीमती हेमलता चौहान द्वारा जल संचयन हेतु उत्कृष्ट कार्य किया गया।

हस्तक्षेप

वर्तमान में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण भूजल का दोहन भी बढ़ रहा है, जिसके कारण भूजल का भंडार धीरे–धीरे कम हो रहा है। जिसके फलस्वरुप, आने वाली पीढ़ियों को पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ सकता है। भारत सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान के दौरान, ग्राम प्रधान श्रीमती हेमलता ने वर्षा जल संचयन के लिए उत्कृष्ट कार्य किया गया। इस अभियान में ग्राम पंचायत में सार्वजनिक भवनों की छतों के वर्षाजल के संचयन हेतु सर्वप्रथम रेनवाटर हार्वेस्टिंग का गुणवत्तापरक निर्माण तथा ग्राम पंचायतों में स्थापित हैण्डपम्पस के अपशिष्ट जल के प्रबन्धन हेतु सोकपिटस का निर्माण कराया। ग्राम के तालाबों का नवीनीकरण तथा वृहद वृक्षारोपण कराया गया। जल संरक्षण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

प्रभाव

ग्राम प्रधान श्रीमती हेमलता व ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार कटारिया के स्थानीय प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि स्थानीय निवासी, आस–पास की ग्राम पंचायतों के लोग उनके साथ आये तथा जल संरक्षण का अभियान पूरे विकास खण्ड में वृहद स्तर पर चलाया जाने लगा। इन प्रयासों का सफल परिणाम देखकर, तत्कालीन खंड विकास अधिकारी और अन्य सरकारी कर्मचारी उनका

सहयोग करने के लिए आगे आए और जल्द ही स्कूलों, कॉलेजों, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों जैसे सार्वजनिक संस्थानों ने इस अभियान में भाग लेना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, ब्लॉक में वर्षा जल संचयन, सोख गड्ढे, जलाशय, वृक्षारोपण और जल संरक्षण के बड़े पैमाने पर निर्माण पर काम किया गया।

मुख्य परिणाम

इस अभियान का मुख्य परिणाम यह हुआ कि सम्पूर्ण जनपद में वृहद स्तर पर जल संचयन हेतु सार्वजनिक भवनों, निजी भवनों पर 850 रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 600 से अधिक सोक पिट आदि का निर्माण प्रारम्भ हुआ। जल संचयन अभियान को पूर्ण जागृति के साथ सम्पूर्ण जनपद में चलाया गया। इसमें समस्त सरकारी तन्त्र, आम जनमानस एवं निजी क्षेत्र की संस्थाएं भी सम्मिलित हुयी। जिला नोडल अधिकारी श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, आई.ए.एस. संयुक्त सचिव, उर्वरक मन्त्रालय, भारत सरकार ने जिले की अपनी यात्रा के दौरान इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव की सराहना की और भविष्य में जल संरक्षण अभियान में उनके द्वारा और बेहतर काम की उम्मीद की गयी।

विकल्पों को बढ़ावा

वर्तमान में जिस तरह से भूजल का दोहन हो रहा है, उससे यह लगता है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को पेयजल की गम्भीर समस्या से सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए आज प्रयास किया जाना अति आवश्यक है। जिसके लिए निरन्तर जल संचयन के विभिन्न विकल्पों को अपनाया जाना चाहिए। घरेलू स्तर पर भी जल संचयन की विभिन्न विधियों जैसे घरों की छतों पर कम बजट वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण, हैण्ड पम्प के साथ सोक पिट का निर्माण आवश्यक रूप से कराया जाये ताकि वर्षा जल एवं नालियों से निकलने वाले जल को पुनः भूमिगत कर संचित किया जा सके। ग्राम पंचायतो में अधिक से अधिक वृक्षारोपण कराया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों के तालाबों/जलाशयों में गन्दगी न जाने पाये इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किये जाये तथा समय–समय पर इनकी साफ–सफाई करायी जानी अति आवश्यक है। जल संचयन की इस प्रकार की विधियां समस्त ग्राम पंचायतों में लागू की जा सकती है, जिसके लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधानों को अग्रणीय भूमिका लेते हुए स्थानीय लोगों को जागरूक किया जाए तथा स्थानीय विधियों को अपनाये जाने हेतु प्रयास किये जाऐं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

भविष्य में भूमिगत जल समाप्ति की गम्भीर समस्या से बचने के लिए आज प्रयास किया जाना अति आवश्यक हैं। जल संरक्षण के विभिन्न विधियों को अपनाया जाना, भविष्य के लिए जल संरक्षण का उचित उपाय सिद्ध हो सकता है। इसके लिए वृहद स्तर पर

रेन वाटर हार्वेस्टिंग,सोक पिट, साथ–साथ वृक्षारोपण के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए तथा खेतों में वर्षा जल संचयन हेतु मेढ बन्दी, ट्रेन्च निर्माण कराया जाए जिससे वर्षा का जल खेतों से बाहर न जा सके तथा शोधित होकर पुनः भूमिगत हो सके। इस अभियान से यह स्पष्ट होता है कि जल संरक्षण हेतु लोगों का जागरूक होना अति आवश्यक है एवं इसके लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान युवा पीढी इसके लिए जागरूक हो तथा इस अभियान को सफल बनाने हेतु अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे।

सारांश

यह अभियान केवल कुछ समय के लिए चलाया जाने वाला अभियान नहीं है इसके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक भवनों पर रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण कराया जाए तथा जन सामान्य को भी इसके लिए प्रेरित किया जाये कि वर्षा जल संचयन हेतु कम बजट वाली तकनीकों को अपनाते हुए घरेलू स्तर पर जल संचयन किया जाए तथा भूमिगत जल का अधिक दोहन न किया जाए। किसानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि सिंचाई में ऐसी तकनीकों का प्रयोग किया जाये जिससे भूमिगत जल का कम से कम दोहन हो। इसके लिए किसानों को ऐसी तकनीकों/पद्धतियों का प्रशिक्षण समय–समय पर दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि किसानों को पुरानी सिंचाई पद्धति को छोड़कर नयी पद्धतियों को अपनाने के लिए जागरूक किया जा सके।

प्राप्त सीख

इस अभियान की सफलता हेतु केवल यह आवश्यक नही है कि सरकारी तन्त्र द्वारा ही केवल प्रयास किये जाये बल्कि स्थानीय निकायों/लोगों की भागीदारी भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जब तक आम जनमानस इस अभियान के साथ नही जुडेगा तब तक इसकी सफलता सुनिश्चित नही की जा सकती है। वर्ष 2019 में चलाये गये इस अभियान से यह बात पूर्णतः स्पष्ट होती है कि जल संचयन की विभिन्न विधियों को लागू करने में ग्रामीण इकाईयों की भागीदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सरकारी धनराशि से केवल निर्माण कार्य कराये जा सकते है परन्तु उनका प्रयोग एवं रख–रखाव हेतु आम जनमानस की भागीदारी की सुनिश्चिता एवं सहयोग अत्यन्त आवश्यक है।

श्रीमती हेमलता चैहान – ग्राम प्रधान (ग्राम पंचायत–स्याऊ) मोबाइल नं0–9412713364 एव
श्री अनिल कुमार कटारिया– ग्राम पंचायत सचिव, मो.नं.:–7017175857 ईमेलः anilkataria87@gmail.com

जनपद - बदायूं

केस–14 : आधुनिक प्रोद्योगिकी का ग्रामीण मत्स्य उत्पादन में उपयोग : ग्रामीण अंचल में अतिरिक्त आय के स्त्रोत का विकल्प

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	बदायूं
कार्यान्वयन एजेंसी	:	मत्स्य कृषक एजेंसी
क्षेत्र	:	मत्स्य
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश का बदायूँ जनपद गंगा नदी के किनारे बसा है। इस ऐतिहासिक जिले में लोग तालाबों या निजी तालाबों में मछली पालते थे लेकिन श्री ज़िया खान पुत्र श्री मोहम्मद सलीम खान निवासी ग्राम–ईकरी बसियानी विकास खण्ड–जगत, तहसील–सदर, जिला–बदायूँ ने व्यवसायिक स्तर पर मत्स्य पालन का कार्य प्रारम्भ किया। यह ग्राम विगत पाँच वर्षो के दौरान मछली पालन रोजगार के एक नये अवसर के तौर पर उभरा है। श्री ज़िया खान ने मत्स्य पालन को एक बड़े व्यवसायिक अवसर में बदल दिया है। श्री ज़िया खान दिल्ली की एक विश्वविद्यालय से साहित्य के पीएचडी स्कॉलर हैं।

हस्तक्षेप

श्री ज़िया खान ने निजी एवं किसानों से पूल की गई जमीन पर कृत्रिम तालाब बनाकर मछली पालन का एक सफल अभिनव प्रयोग किया है जो आधुनिक तकनीक पर आधारित है। ग्राम ईकरी में आधुनिक तकनीकी पर आधारित मत्स्य पालन अधिक लाभ देने वाली प्रजातियों का पालन, मछलियों के संतुलित भोजन, तालाबों के रख–रखाव मृदा और जल के वैज्ञानिक परीक्षण सहित परंपरागत मत्स्य पालन से कई मायनों में अलग है।

प्रभाव

श्री ज़िया खान के तालाबो में मत्स्य पालन के उत्पादन को देखकर ग्राम ईकरी के लगभग 10 कृषको द्वारा अपनी निजी जमीन को खोदकर नये तालाबो का निर्माण कराया गया है, जिससे उनको परम्परागत कृषि से कई गुना अधिक आय प्राप्त हो रही है। ग्राम ईकरी बसियानी और आस–पास के क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ भूमि पर परम्परागत कृषि के स्थान पर मत्स्य पालन होता है। इससे स्थानीय किसान थोड़े से अतिरिक्त निवेश के जरिए परम्परागत खेती की तुलना में चार से पाँच गुना ज्यादा लाभ अर्जित कर रहे हैं। मछली पालकों के अलावा मछली विक्रेता, मछली दाना सप्लाई करने वाले व अन्य सहयोगी कार्यो में सैकड़ों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। इसके साथ ही

भूजल संरक्षण और गिरते जल स्तर में सुधार जैसे तमाम पर्यावरणीय फायदे भी क्षेत्र को हुए हैं। ग्राम में आर्थिक विकास के साथ लोगों में नई तकनीक के प्रति बढ़ता रुझान और खेती के परंपरागत तरीकों के बदले आय के अन्य विकल्प खोजने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। जिन खेतों में सिंचाई के लिए इन तालाब के पानी इस्तेमाल होता है उनमें दूसरे खेतों की तुलना में खाद एवं उर्वरक का इस्तेमाल कम और पैदावार अधिक होती है।

मुख्य परिणाम

इस बेस्ट प्रैक्टिसेज से उक्त लाभार्थी की आय में पाँच गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा, लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं।

इस अभिनव प्रयास के मुख्यतः तीन परिणाम हैं:

- छोटे जोत वाले दर्जनों किसान पारंपरिक कृषि की तुलना में चार से पांच गुना अधिक लाभान्वित होते हैं।
- क्षेत्र के लोगों को तालाब पर और मछली विक्रेता के रूप में काम करने के लिए प्रत्यक्ष रोजगार।
- जल स्तर और पर्यावरण में सुधार।

प्राप्त सीख

राज्य के अन्य जिलों में ग्राम इकरी बसियानी के मत्स्य पालन के मॉडल को अपनाने की अपार संभावना है। जिन जिलों में पानी की कमी नहीं है, वहां किसान कम निवेश और कम मेहनत के साथ अपनी आय कई गुना बढ़ा सकते हैं। भविष्य में अन्य जिलों के इच्छुक किसानों द्वारा तालाबो का भ्रमण, प्रशिक्षण और स्थानीय मत्स्य किसानों से कई अनुभव प्राप्त किये जा सकते है। मछली उत्पादन को बाहरी बाजारों से जोड़कर किसानों को विपणन की सहायता प्रदान की जा सकती है।

श्री जिया खान द्वारा किए गए प्रयोग से यह स्पष्ट है कि कम से कम समय में और कम से कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। श्री जिया खान द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ मछली की विभिन्न प्रजातियों का परीक्षण करके मछली पालन के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। साथ ही, प्राकृतिक भोजन के अभाव में, कृत्रिम भोजन का उपयोग किया गया है तथा साथ ही जल संरक्षण विधि को भी अपनाया गया है।

उपरोक्त प्रयोग से यह स्पष्ट है कि उपयुक्त तकनीक का उपयोग करके अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि बेहतर तकनीकी एवं गाइडलाइन का उपयोग किया जाता है तो बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

शाह हसन जैदी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, बदायूँ। मो.नं.–9149006816 ईमेलः ulisalamkhanizia@yahoo.com

जनपद - बदायूं

केस–15 : ग्रामीण एस.एच.जी. की आशा एवं उम्मीद – सरस एवं ग्राम हाट

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	बदायूं
कार्यान्वयन एजेंसी	:	स्वयं सहायता समूह
क्षेत्र	:	राष्ट्रीय आजीविका मिशन
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

जनपद के 10 विकास खंडों में 7 सरस हाट एव 3 विलेज हाट पूर्व मे एस०जी०एस०वाई० (स्वर्ण जयंत्री स्वरोजगार योजना) योजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये थे। प्रत्येक सरस हाट में कुल 20 दुकानें एव प्रत्येक विलेज हाट मे 10 दुकानें निर्मित की गई थी।

हस्तक्षेप

पूर्व मे निर्मित उपरोक्त सभी सरस हाट एव विलेज हाट जो कि जीर्ण अवस्था में थे उनका पुनः जीर्णोद्वार कराकर सभी सरस हाट एव विलेज हाट की दुकानों को राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा संचालित महिला स्वंय सहायता समूहो को हस्तांतरित कर दी गयी है।

प्रभाव

कुल 7 सरस हाट और 3 ग्राम हाट (20 दुकानें सरस हाट और 10 दुकान ग्राम हाट) 170 दुकानें समूहों को हस्तांतरित की गईं जिनमें समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रमुख प्रदर्शनी केंद्रों पर बेचा और विकसित किया गया था।

मुख्य परिणाम

उपरोक्त 170 दुकानें स्वयं सहायता समूहो द्वारा विभिन्न केन्द्रो पर संचालित की जा रही है जिसके परिणामस्वरुप विभिन्न स्वंय सहायता समूहो द्वारा बनाये जा रहे उत्पादो को ब्लाक एवं जनपद स्तर पर बिक्री करने एवं अपनी आजीविका बढ़ाने का एक प्रमुख अवसर प्रदान हुआ एवं उनके उत्पादों को बाजार से जोड़ने में मदद मिली जिसमे उनके आजीविका संवर्धन सम्बंधित गतिविधियों में अभूतपूर्व प्रगति हुई एवं अन्य स्वयं सहायता समूहों को प्रेरणा मिली।

विकल्पों को बढ़ावा

इसी क्रम में समूहों द्वारा बनाये जा रहे, सरस शोरूम का भी जीर्णोद्वार कराकर विभिन्न उत्पादों की बिक्री एवं प्रदर्शनी के केंद्र के रूप मे विकसित किया गया। इसी के साथ स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को मार्केट से जोड़ने के लिए जनपद स्तर पर निर्मित सरस शोरूम कार्य कर रहा है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

उपरोक्त सभी केन्द्रों को संचालित करने से समूहों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों मे बिक्री करने एवं प्रदर्शन करने मे सहायता मिली जिससे उनके उत्पाद जनपद स्तर एवं अन्य जनपदों मे भी बिक्री हेतु भेजे जा रहे हैं एवं बाजार से जुडने मे मदद मिल रही है।

सारांश

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के 10 विकास खंडों में, स्वंय सहायता समूहों से पात्र और इच्छुक एक सदस्य को एक–एक दुकान आवंटित की गयी। सरस हाट और ग्राम हाट में नियमित रूप से संचालित दुकानों द्वारा उत्पादों की बिक्री की जा रही है, जिससे स्वयं सहायता समूहों से दुकान संचालित करने वाली महिलाएं महीने में लगभग 3500 रुपये कमा रही हैं। अब स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और यह अब अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन रहा है।

प्राप्त सीख

सरस हाट व विलेज हाट में स्वयं सहायता समूहों के द्वारा नियमित रूप से विभिन्न उत्पादों (जनरल स्टोर, ताज़ी हरी सब्जी की दुकान, राशन की दुकान, कपड़ों की दुकान, जूता चपल की दुकान, सौंदर्य प्रसाधन की दुकान, जूट बैग की दुकान इत्यादि) की बिक्री की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले आम जनमानस को आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है, उन्हें ग्रामीण स्तर पर ही वस्तुएं मिल जा रही हैं।

श्री चंदशेखर, उपायुक्त, एन0आर0एल0एम0, मो.नं.–941570612 ईमेलः— upsrlm.budaun@gmail.com

जनपद - बुलन्दशहर

केस–16: जैविक कृषि: कृषि उत्पादकता एवं मृदा में सहचर्य सम्बन्ध

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	**जनपद बुलन्दशहर के 04 ब्लाक (स्याना, ऊँचागांव, डिबाई और अनूपशहर)**
कार्यान्वयन एजेंसी	:	**एपोफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पुणे, महाराष्ट्र और सिमफेड, गँगटोक**
क्षेत्र	:	**जैविक कृषि**
अभ्यास का वर्ष	:	**2019–20**

पृष्ठभूमि

जिला बुलंदशहर के चार ब्लॉकों (स्याना, ऊँचागांव, डिबाई और अनूपशहर) में वर्ष 2019–20 से परम्परागत कृषि विकास योजना (पी0के0वी0वाई0), ई0ओ0एफ0सी0 (ऑर्गेनिक फार्म क्लस्टरों की स्थापना) के तहत एक उप योजना शुरू की जा रही है। ए0पी0ओ0एफ0 ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी (पुणे), एस0आई0एम0 एफ0ई0डी0 (गंगटोक) उत्तर प्रदेश राज्य के गंगा बेसिन में ऑर्गेनिक फार्म क्लस्टर्स की स्थापना में शामिल प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियां हैं।

क्लस्टर दृष्टिकोण में किसानों का चयन

एक गाँव या नजदीकी गाँव के भीतर सन्निहित पैच (जहाँ तक संभव हो) में 20 हेक्टेयर का क्षेत्र रखने वाले किसानों के समूह को पी0के0वी0वाई0 / पी0जी0एस0 समूह माना जाएगा। समूह में न्यूनतम 20 किसान शामिल होंगे। यदि व्यक्तिगत जोत कम है, तो क्लस्टर में अधिक किसान हो सकते हैं। पीजीएस प्रमाणीकरण के लिए सभी आवश्यकताओं को इस समूह (पीजीएस मैनुअल में 'स्थानीय समूह' कहा जाता है) द्वारा पूरा किया जाएगा। 500 से 1000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले 25–30 ऐसे समूह एक "क्लस्टर" का गठन करेंगे।

उददेश्य

- प्राकृतिक–संसाधन आधारित एकीकृत और जलवायु अनुकूल स्थायी कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- मिट्टी की उर्वरता के रखरखाव और सुधार को सुनिश्चित करना।
- प्राकृतिक संसाधन संरक्षण सुनिश्चित करना।
- ऑन–फार्म पोषक तत्व रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने और बाहरी स्रोतों पर किसानों की निर्भरता को कम करना।
- जैविक खेती के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करना।

प्रक्रिया

प्रोजेक्ट को–ऑर्डिनेशन यू.पी.डास्प ने जिला बुलंदशहर के गंगा बेसिन मे इस योजना को लागू करने के लिए दो एजेंसियों का चयन किया, जिसमे से प्रथम एपोफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, पुणे महाराष्ट्र एवं दूसरी सिमफेड, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम हैं। चयनित क्षेत्र में गंगा बेसिन एपॉफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी ने 39 ग्रामों में 50 क्लस्टर बनाने का काम पूर्ण कर लिया है। सभी ग्रामों के प्रत्येक क्लस्टर / जैविक समूहों में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूर्ण हो चुका है।

प्रोजेक्ट का विवरण निम्नवत हैः–

क्र.सं.	गतिविधि	प्रगति खरीफ 2020 (हे0)	प्रगति रबी 2020 (हे0)
1	कुल ग्राम पंचायतो की संख्या	30	30
2	कुल ग्राम की संख्या	39	39
3	कुल समूह की संख्या	50	50
4	पी0जी0एस0 पोर्टल पर अपलोड कुल समूह की संख्या	50	50
5	किसानो की कुल संख्या	1525	1525
6	जैविक क्षेत्रफल हेक्टेयर	1031.43	1031.43
7	धान	612.00	प्रस्तावित फसल गेहूँ
8	मक्का	104.80	प्रस्तावित फसल गेहूँ
9	ज्वार	113.50	प्रस्तावित फसल गेहूँ
10	बाजरा	46.50	प्रस्तावित फसल गेहूँ
11	उर्द	42.50	प्रस्तावित फसल सरसों
12	मूंग	10.00	प्रस्तावित फसल सरसो
13	सब्जी	22.97	प्रस्तावित फसल सरसों
14	गन्ना	51.00	प्रस्तावित फसल गन्ना
15	अन्य	27.70	प्रस्तावित फसल अन्य

हस्तक्षेप

किसानो द्वारा क्लस्टर में उर्वरक और रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर पंचगव्य, जीवामृत, घनजीवमृत जैसे जैव उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। इसके साथ खेती के लिए वर्मी कम्पोस्ट और हरी खाद का भी उपयोग कर रहे हैं।

प्रमाणीकरण

सिमफेड, गंगटोक के प्रतिनिधियों ने दो बार जैविक खेती के तहत खेतों के समूहों का निरीक्षण किया है, जिसका प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

मुख्य परिणाम

कृषक उत्पादक संगठन के गठन का कार्य निरन्तर प्रगति पर है। अभी तक लगभग 2550 एकड भूमि को जैविक खेती के अन्दर परिवर्तित की जा चुकी है। किसान द्वारा वर्तमान में विभिन्न फसल पद्धतियों के साथ अनेकों तरह की मिश्रित फसलो को अपनाया जा रहा है जिससे विभिन्न फसलो में सहजीवी सम्बन्ध का विकास होता है जिसके फलस्वरूप फसलो की उत्पादकता में सुधार हो रहा है एवं मृदा का क्षरण भी नही हो रहा है। ऐसी उम्मीद की जाती है, आने वाले दो वर्षो में किसानो के समूह द्वारा जैविक खेती से उत्पादन लागत में और कमी आएगी। परम्परागत खेती की तुलना में जैविक खेती से किसान 3 से 4 गुना अधिक मूल्य पायेंगे, जिससे आय में वृद्धि होगी।

श्री अभिषेक पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर मो.नं.–9454465052, ई–मेल : cdobul@nic.in

जनपद - बुलन्दशहर

केस–17: सुशासन–लेटर ट्रैकिंग वैब आधारित सॉफ्टवेयर

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	**जनपद बुलन्दशहर**
कार्यान्वयन एजेंसी	:	**जिला प्रशासन**
क्षेत्र	:	**सूचना एवं प्रौद्योगिकी**
अभ्यास का वर्ष	:	**2019–20**

पृष्ठभूमि

जनपद ई गवर्नेंस पर इसके बढ़ते प्रभाव के एक भाग के रूप में जीटूजी– सरकार से सरकार और जीटूसी– सरकार से ग्राहक सहभागिता में सुधार के लिए कई कदम उठा रहा है। इस संबंध में, जनपद द्वारा एक अभिनव हस्तक्षेप का प्रयास किया गया, जिससे प्रक्रियाओं का तेजी और सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जा सके और समस्याओं को अधिक प्रभावशाली तरीके से हल किया जा सके।

लेटर ट्रैकिंग वेब आधारित सॉफ्टवेयर

जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, जैसा कि कहा जाता है कि पत्रों का कार्यालय है। इस कार्यालय से दैनिक आधार पर पत्र प्राप्त और प्रेषित किये जाते हैं। जिले में 23 जुलाई, 2019 को लेटर ट्रैकिंग वेब आधारित सॉफ्टवेयर अभिनव हस्तक्षेप के साथ उपयोग में लाया गया। आगे का फ्लो चार्ट प्रक्रिया को विस्तार से बताता है

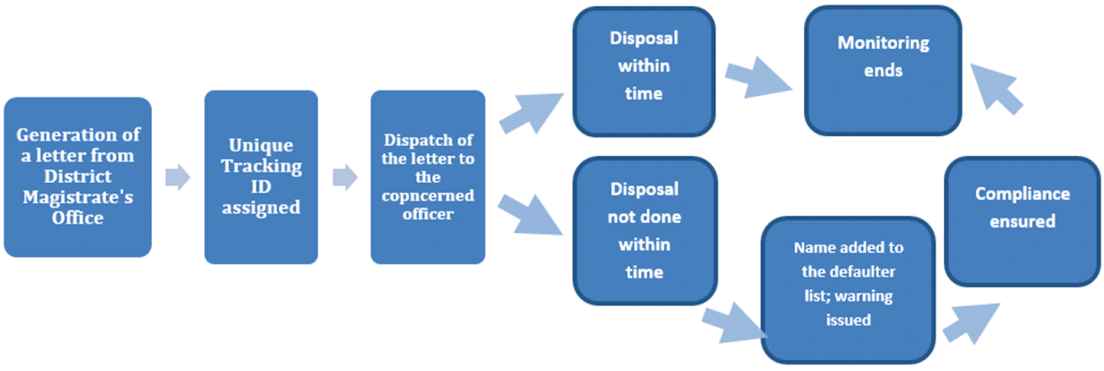

इसी तरह, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्राप्त सभी पत्र जैसे– केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त विभिन्न पत्र /शासनादेश, विभिन्न आयोगों से आदेश/पत्र, विभिन्न अदालतों से प्राप्त आदेश/पत्र एवं अन्य पत्राचार, जिन पर ससमय कार्यवाही किया जाना वाँछित होता है, उन्हें सॉफ्टवेयर में फीड किया जाता है।

प्रभाव

इस अभिनव प्रयास के माध्यम से जनपद में न केवल कानून व्वयस्था में प्रभावी नियंत्रण के साथ विकासात्मक एवं राजस्व संग्रह गतिविधियों में सकारात्मक सुधार हुआ है बल्कि अन्य उद्देश्यों की भी पूर्ति हुई है।

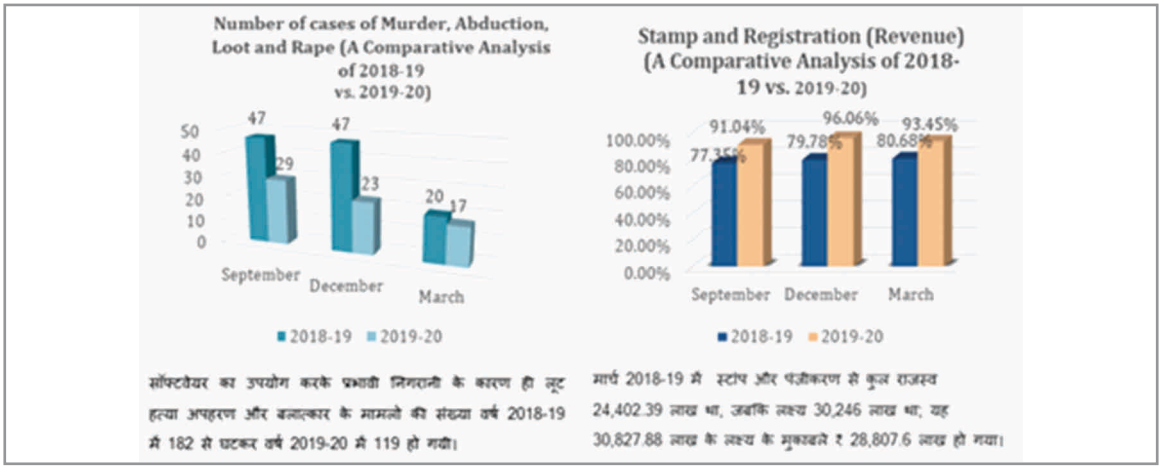

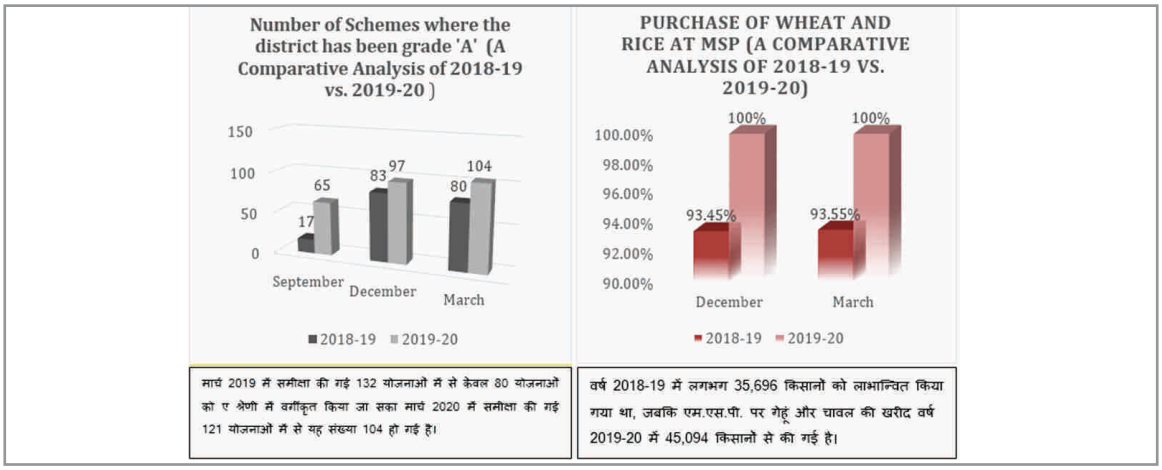

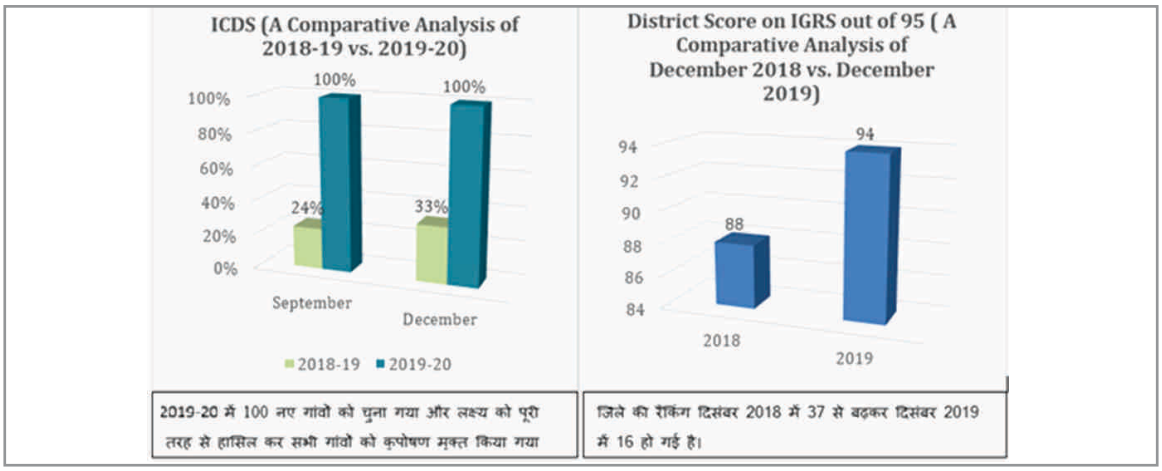

प्राप्त सीख

इस नवाचार के विस्तृत अध्ययन से विदित होता है कि जनपद बुलंदशहर ने जिले के संचार और वितरण इंटरफ़ेस में सुधार लाने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। यह ई–गवर्नेंस के साथ––साथ सरकारी प्रणाली को पुनर्जीवित करने और डिजिटल डिवाइस को पूरा करने के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल आदर्श को पूरा करता है। इससे परिलक्षित होता है कि विज़न और सक्षम नेतृत्व के साथ, प्रमुख बदलावों को लाया जा सकता है, जिससे सरकारी तंत्र को आर्म चेयर गवर्नमेंट से सिटीजन सेंट्रिक गवर्नमेंट और पैसिव पब्लिक से पार्टिसिपेटरी पब्लिक बनाया जा सकता है।

●●●

श्री रविन्द्र कुमार, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर मो.नं.–9454417563 ई–मेल: dmbul@nic.in

जनपद - चन्दौली

केस–18: संवहनीय एवं लाभदायक कृषि–कालें चावल की खेती

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	चन्दौली
कार्यान्वयन एजेंसी	:	कृषि विभाग
क्षेत्र	:	कृषि
अभ्यास का वर्ष	:	2018–19

पृष्ठभूमि

चंदौली एक आकांक्षात्मक जनपद है, जिसे उत्तर प्रदेश के चावल के मुख्य केन्द्र के रूप में भी जाना जाता है, जो कृषि कार्यों में लगे दो–तिहाई से अधिक आबादी को चावल की आपूर्ति प्रदान करता है, यहाँ सभी प्रकार के धान के उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग चंदौली ने आकांक्षी जनपद के किसानों की आय बढ़ाने हेतु स्थायी कृषि क्षेत्र में नवाचार करने की कोशिश की है। इस हेतु प्राकृतिक के रूप से काले चावल की खेती को नवाचार हेतु चुना गया। काले चावल की खेती एक ऐसी प्रजाति है जिसमे किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। जिले के सभी ब्लॉक में काले चावल की खेती की जा रही है।

हस्तक्षेप

यह सर्वोत्तम प्रथा कृषि विभाग चंदौली के सहयोग से 2018 में उत्पादित काले चावल, के अभिनव प्रयोग पर आधारित है, जिसे किसान पाठशाला, किसान संगोष्ठी और ब्लॉक स्तर पर आयोजित जिला स्तरीय किसान मेला प्रदर्शनी के माध्यम से जिले के किसानों के बीच प्रचारित किया गया है। इसके अतिरिक्त यह प्रिंट और मास मीडिया के माध्यम से भी प्रकाशित किया जा रहा है। काले चावल की खेती रसायन मुक्त है और किसानों को अन्य चावल की तुलना में अधिक कीमत मिल रही है।

प्रभाव

काले चावल में एंटी–ऑक्सीडेंट, विटामिन, फाइबर और एंटी–इंफ्लेमेट्री जैसे औषधीय गुण होते हैं। काले चावल में जिंक और आयरन का प्रतिशत अधिक होता है। काले चावल के इन गुणों ने मानव शरीर के जोखिम को कम कर दिया। अन्य प्रभावों में इस नवीन खेती से किसानो को अन्य चावल की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक उत्पादकता प्राप्त हो रही है।

मुख्य परिणाम

काले चावल की खेती के परिणामस्वरूप किसानों को रासायनिक उर्वरक का उपयोग कम करना पड़ा और अन्य प्रजातियों के धान की फसल से बेहतर कीमत मिली। किसान काले चावल की खेती करके खुश हैं और हर साल काले चावल की खेती बढ़ रही है। काले चावल की खेती किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है।

विकल्पों को बढ़ावा

चंदौली जिले के सभी किसान इस सर्वोत्तम प्रथा को अपना रहे हैं और काले चावल की खेती करके अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

चन्दौली काला चावल समिति का गठन काले चावल की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल के विक्रय हेतु किया गया है, जिसमें प्रत्येक किसान पंजीकृत है और जनपद का उत्पादित काला चावल नई मंडी में एकत्र किया जाता है और थोक भाव में उचित मूल्य पर बेचा जाता है।

सारांश

प्रारम्भ में जनपद में 30 किसानों द्वारा लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्र में काले चावल की खेती की गई थी, जिसमें 30 क्विंटल काले चावल का उत्पादन किया गया था। तत्पश्चात इस क्षेत्र में 400 हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 8000 क्विंटल का उत्पादन किया गया। चंदौली काला चावल समिति के माध्यम से निर्यात के लिए इस उत्पादन को सुखबीर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड गाजीपुर को रूपये 85 प्रति किलोग्राम पर विक्रय किया गया, जो कि सामान्य धान की कीमत से 4 से 5 गुना अधिक है, जिसने वर्ष 2020 में किसानों को और अधिक काले चावल की खेती करने के लिए प्रेरित किया है।

प्राप्त सीख

इस अभिनव प्रयोग से यह ज्ञात हुआ कि यदि अच्छी फसल का चयन किया जाय और सही तरीके से कार्य किया जाता है, तो इससे अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है।

श्री राजीव खरबर्दी, उपनिदेशक, कृषि, चन्दौली, मो.नं. 9455675946 ई–मेल:ddagchandauli@gmail.com

जनपद - फर्रुखाबाद

केस–19 : सब पढ़े–सब बढ़े– "स्वर, लय, ताल वंदना"

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	प्रा0वि0 मसैनी, राजेपुर रथौरी, फर्रुखाबाद
कार्यान्वयन एजेंसी	:	बेसिक शिक्षा परिषद
क्षेत्र	:	शिक्षा
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य सभी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना है "सब पढ़े–सब बढ़ें''। देश के कई हिस्सों की तरह,जनपद फर्रुखाबाद कम स्कूल नामांकन और उच्च ड्रॉप आउट की चुनौती का सामना कर रहा हैं। जनपद के शिक्षा विभाग के अनूठे प्रयास "स्वर,लय,ताल वंदना" के माध्यम से अधिक से अधिक बच्चों को स्कूल शिक्षा के लिए आकर्षित करने का प्रयास किया है।

हस्तक्षेप

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रार्थना सभा के आयोजन से पूर्व एक घण्टा बजता है, जो इस बात का सूचक है कि विद्यालय प्रांगण में घूम रहे बच्चे अपनी कक्षाओं में पहुचें। पाँच मिनट पश्चात प्रार्थना सभा हेतु टन–टन, टन–टन (8 बार) घण्टा ध्वनि के पश्चात ड्रम वादन आरम्भ होता है, जिस पर कदम ताल करते हुए बच्चे कक्षा से पंक्तिबद्ध होकर प्रार्थना सभा की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना कराने हेतु कक्षा 3 से 8 तक का एक–एक बच्चा प्रतिनिधित्व करता है। विश्राम व सावधान के आदेश के पश्चात् श्लोक प्रारम्भ होता है। श्लोक शिक्षक के द्वारा उच्चारित किया जाता है और बच्चों द्वारा दोहराया जाता है। प्रार्थना समापन से पूर्व दो बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है तथा दोनों बच्चों को 'स्टार ऑफ द डे' कहा जाता है। प्रार्थना के पश्चात योगाभ्यास करवाया जाता है।

प्रभाव

''स्वर, लय, ताल वन्दना'' कार्यक्रम के संचालन से सामान्य नागरिकों और अभिभावकों की शासकीय विद्यालयों के प्रति आस्था और विश्वास में वृद्धि हुई है। पीटी बैण्ड, माइक एवं विभिन्न वाद्य यन्त्रों के साथ प्रार्थना, गायन, राष्ट्रगान, एवं पठन–पाठन को रूचिकर बनाया गया। डा0 उषा राजेन्द्र पैंसिया का यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर उनके द्वारा "स्वर, लय, ताल वंदना" नियमित रूप से संस्कृत स्लोक के साथ प्रसारित की जाती है। यह स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच संस्कृत और संस्कृति के विषय में सकारात्मक प्रभाव पैदा कर रहा है।

मुख्य परिणाम

नामांकन में वृद्धि, ड्राप आउट एवं लेफ्ट आउट बच्चों की संख्या में कमी, प्रार्थना के समय एवं प्रार्थना से पूर्व उपस्थिति में वृद्धि, पैरेंट टीचर्स मीटिंग व विद्यालय प्रबन्धन समिति बैठकों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने से अभिभावकों की उपस्थिति में वृद्धि, अभिभावकों का शासकीय विद्यालयों के प्रति विश्वास में वृद्धि, बच्चों के अन्दर आत्मविश्वास में वृद्धि।

विकल्पों को बढ़ावा

प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्थित शासकीय विद्यालयों में कार्यक्रम का संचालन करने से सामान्य नागरिकों एवं अभिभावकों का शासकीय विद्यालयों के प्रति विश्वास बढ़ा है जिससे सामान्य नागरिकों को प्राइवेट स्कूलों की फीस एवं अन्य व्ययों से बचाया जा सकेगा।

सारांश

ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित शासकीय विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि, बच्चों को विद्यालय जाने के प्रति रूचि उत्पन्न करना, लेफ्ट आउट बच्चों की संख्या शून्य करना, शिक्षण को रूचिकर बनाने के उद्देश्य से जनपद में ''स्वर, लय, ताल वन्दना'' कार्यक्रम का सफल संचालन किया जा रहा है।

प्राप्त सीख

स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबन्धन से ग्रामीण शासकीय विद्यालयों के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों के विश्वास में वृद्धि सम्भव है एवं शिक्षा को रूचिकर और बेहतर बनाया जाना सम्भव हैं।

डॉ. राजेन्द्र पैंसिया, मुख्य विकास अधिकारी, मो.नं. 9454464981 ई–मेल : cdofbd@gmail.com

जनपद - फर्रूखाबाद

केस–20 : समूह के बढ़ते कदम – गोमय उत्पाद

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	बसेली, बीबीपुर, फर्रूखाबाद
कार्यान्वयन एजेंसी	:	स्वयं सहायता समूह
क्षेत्र	:	ग्राम्य विकास
अभ्यास का वर्ष	:	2020–21

पृष्ठभूमि

माननीय प्रधानमंत्री जी के ''आत्म निर्भर भारत'' आह्वान से प्रेरित होकर जनपद–फर्रूखाबाद में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ''समूह से संवृद्धि की ओर'' कार्यक्रम चलाया जा रहा हैं, जिसमें समूह की महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से पर्यावरण अनुकूल दीपक, धूपबत्ती, शुभ लाभ, ऊँ, श्री, स्वास्तिक आदि उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं जिससे समूह की महिलाओं में आर्थिक खुशहाली आयी है और उनके सामाजिक स्तर में भी परिवर्तन आ रहा है।

हस्तक्षेप

जनपद फर्रूखाबाद में गोमय उत्पाद बनाने का कार्य बढ़पुर ब्लाक के ग्राम बसेली, कमालगंज ब्लाक के ग्राम बीबीपुर, मोहम्मदाबाद ब्लाक के ग्राम ऊगरपुर व कायमगंज ब्लाक के ग्राम झब्बूपुर में दीपावली के अवसर पर समूह की महिलाओं द्वारा प्रारम्भ किया गया। दीपक बनाने के लिए गाय का गोबर, गोमूत्र, मिट्टी एवं ग्वारगम एक निश्चित मात्रा में मिलाकर उसको गूंथकर तैयार किया जाता है। इसके बाद सांचो की सहायता से विभिन्न प्रकार के गोमय उत्पाद बनाये जाते है। इस अभिनव कार्य से समूह की महिलाओं के साथ–साथ ग्रामीण युवा भी सकारात्मक रूप से प्रभावित हुए है।

प्रभाव

गोमय उत्पाद बनाने से जहां एक ओर समूह की महिलाओं के साथ–साथ अन्य ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए वही दूसरी ओर गाय का संरक्षण भी हो रहा है। जनपद में इस कार्य से जुड़ी लगभग 100 महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है।

मुख्य परिणाम

इस अभिनव प्रयास के माध्यम से गाय के संरक्षण को बढ़ावा मिला है साथ ही गौपालन के प्रति लोग जागरूक भी हुए है। दीपावली के अवसर पर महिलाओं ने अधिक से अधिक घरों तक गोबर के बने उत्पाद पहुचाने का लक्ष्य रखा। इस कार्य से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि गाय का गोबर शुद्ध

एवं पवित्र माना जाता है। गोबर से बने दीपक की मांग खूब हो रही है। यही कारण है कि कार्य प्रारम्भ होते ही आर्डर मिल गये है।

विकल्पों को बढ़ावा

प्रदेश के विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्थित गौशाला को केन्द्र मानते हुए गोमय उत्पाद के साथ, खाद, गोमूत्र, उपले आदि के उत्पादन का कार्य किया जा सकता है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

सारांश

ग्रामीण महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए जनपद फर्रूखाबाद में गोमय उत्पाद से दीपक, धूपबत्ती, शुभ–लाभ, ऊँ, श्री, इत्यादि बनाने का कार्य समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जिससे परिवारों को खुशहाली तथा रोजगार प्राप्त हो रहे है।

प्राप्त सीख

ग्रामीण बेरोजगार परिवारों को आत्म निर्भर बनाने के लिए इस अभिनव प्रयोग में वृहद संभावनायें हैं इसके लिए लोगो को प्रशिक्षित कर उत्पादन गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। इसके द्वारा "स्मृति चिन्ह" भी गोबर से बनाये जा सकते है। गौशाला स्तर पर आयोजित कार्यशाला के माध्यम से गाँव के लोगों को प्रशिक्षित कर इस कार्य को और अधिक गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया जा सकता है।

श्री मानवेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी, मो.नं. 9454417552 ई–मेलः dmfar@nic.in

जनपद - हमीरपुर

केस–21 : आरोग्य सेतु ऐप – सुशासन की पहल

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	हमीरपुर
कार्यान्वयन एजेंसी	:	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी)
क्षेत्र	:	सूचना एवं प्रौद्योगिकी
अभ्यास का वर्ष	:	2020–21

पृष्ठभूमि

आरोग्य सेतु ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन0आई0सी0) द्वारा विकसित एक कोविड–19 ट्रैकिंग मोबाइल ऐप है जिसमें कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने और कोरोना वायरस संक्रमण को ट्रैक करने में सहायता मिलती है।

माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 अप्रैल, 2020 को इस ऐप के लांच किये जाने के पश्चात जनपद हमीरपुर देश के अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों बुंदेलखंड में स्थित होने कारण इस ऐप का प्रचार प्रसार करते हुए प्रत्येक स्मार्टफोन धारक के मोबाइल फोन में डाउनलोड एवं इसका उपयोग कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था परंतु जनपद के प्रशासनिक तंत्र के दृढ़ निश्चय,अभिनव प्रयोग एवं सटीक रणनीति व जनसामान्य के सहयोग से इस कार्य में अभूतपूर्व सफलता मिली है। जनपद की अनुमानित जनसंख्या 13.79 लाख के सापेक्ष 1.75 लाख एंड्राइड मोबाइल धारकों द्वारा आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया जा चुका है जो की कुल जनसंख्या का 12.69 प्रतिशत है। इस प्रकार जनपद उत्तर प्रदेश में नौवें स्थान पर है और वाणिज्यिक और औद्योगिक रूप से विकसित जनपदों लखनऊ व नोएडा की कतार में खड़ा है।

हस्तक्षेप

- जनपद के प्रत्येक विभाग के अधिकारियों से लेकर ग्राम स्तरीय कर्मचारी जैसे ग्राम सचिव,ग्राम रोजगार सेवक,सफाई कर्मी, अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, महिला समूह की सदस्यों, पुलिस आदि के द्वारा युद्ध स्तर पर लोगों को जागरूक करते हुए उनके एंड्राइड मोबाइल पर यह ऐप डाउनलोड कराने एवं उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। इस अभिनव प्रयास के माध्यम से कोटेदारों की दुकानों में खाद्यान्न वितरण के समय ग्राहकों के मोबाइल फोनो पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोडिंग का कार्य कराया गया। जनपद में खाद्यान्न की प्रत्येक उचित दर दुकान पर एक अधिकारी नियुक्त किया गया,जिसको यह सुनिश्चित करना था कि उचित दर दुकान पर आ रहे ग्राहकों के स्मार्ट मोबाइल फ़ोन पर ऐप डाउनलोड हो। ग्राम पंचायतों एवं

नगर पंचायतों में 330 निगरानी समितियो का गठन किया गया, इन निगरानी समितियों द्वारा अत्यंत सराहनीय कार्य किया गया। निगरानी समितियों द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायतो में नियमित मीटिंग का आयोजन निश्चित समय पर किया गया और मीटिंग के उपरान्त घर घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से लोगो को प्रेरित भी किया गया।

- इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मुनादी, नुक्कड नाटक, गीत इत्यादि के माध्यम से जागरूकता लाने का कार्य किया गया है। एन.जी.ओ.,नेहरू युवा केंद्र, युवक मंगल दल तथा अन्य चिन्हित कोरोना वारियर्स को इसके प्रचार एवं प्रसार के लिए जिम्मेदारी सौपी गयी ।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस के स्मार्टफ़ोन में डाउनलोडिंग कराया जाना सुनिश्चित किया गया। पुलिस ट्रैफिक द्वारा वाहनों की चेकिंग के दौरान स्मार्टफोन धारको को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित किया गया ।विकास भवन में स्थापित कंट्रोल रूम से लाभार्थियों से मोबाइल पर संवाद स्थापित कर प्रत्येक दिवस एक्सेल शीट में मोबाइल नंबर के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सूचनाएं एकत्र की जाती थी। कंट्रोल रूम में आपेरटर के माध्यम से प्रत्येक दिवस उपलब्ध कराये मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके सूची का सत्यापन किया जाता था कि उपलब्ध करायी गयी सूची के मोबाइल नंबर पर ऐप डाउनलोड किया गया अथवा नही।
- जनपद स्तर पर ''कोरोना वार निगरानी" नामक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जिसमे निचले स्तर तक सभी अधिकारियो एवं कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया, जिससे प्रगति का अनुश्रवण व संदेशो के आदान प्रदान में सुविधा हुई है।
- जनपद के प्रत्येक कार्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है इस डेस्क द्वारा सभी आगुन्तको को आरोग्य सेतु ऐप उनके मोबाइल में चेक करने के लिए आग्रह किया जाता था।
- प्रत्येक बैंक में आने वाले प्रत्येक ग्राहक के स्मार्टफोन को चेक करने की व्यवस्था की गयी।
- उपायुक्त उद्योग को प्रत्येक औद्योगिक इकाई का निरीक्षण करते हुए वहां कार्यरत कर्मचारियों को प्रेरित करते हुए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराए जाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- उपायुक्त,वाणिज्य कर द्वारा नगर क्षेत्र में दुकानदारों को उनसे संबंधित ग्राहकों को आरोग्य सेतु डाउनलोड कराने हेतु प्रेरित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रभाव

आरोग्य सेतु ऐप के बड़े पैमाने पर मोबाइल धारकों द्वारा डाउनलोड किए जाने के फलस्वरुप कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने में अच्छी सहायता मिली है।

मुख्य परिणाम

आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के इस अभियान से जनपद के लोगों में कोरोना महामारी से लड़ने हेतु क्षमता वृद्धि हुई।

विकल्पों को बढ़ावा

इस अभियान में समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा किसी न किसी प्रकार से पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया।अन्य जनपद और प्रदेश के बाहर दूसरे राज्य के भी जनपद के इस मॉडल को अपनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया से यह भी सीखने को मिलता है कि इस तरह के प्रयास,जिनसे घर–घर तक पहुंच बनानी हो,वहां पुराने ढर्रे पर सरकारी तंत्र द्वारा किए जाने वाले प्रयास चमत्कार करने के लिए पर्याप्त नही होंगे।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

इस हस्तक्षेप से यह सीखते है कि उचित एवं प्रभावशाली रणनीति से सफलता अवश्य मिलती है। सही तरीके से जनमानस को अभिनव तरीके से प्रेरित कर और हर एक संभावना का उपयोग किए जाने पर न केवल किसी भी व्यक्तिगत लाभार्थीपरक शासकीय योजनाओं को सफल बनाया जा सकता है बल्कि जनसामान्य के प्रवृति एवं व्यवहार में बेहतर समुदाय के लिए परिवर्तन लाया जा सकता है। मोबाइल फोन अब प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक अविभाज्य अंग बन गया है। ऐसी दशा में कोरोना महामारी के समाप्त हो जाने के पश्चात इस ऐप की प्रासंगिकता बनी रह सकती है जो जनमानस के लिए उपयोगी होगा। इस ऐप में कुछ आवश्यक परिवर्तन के फलस्वरूप यह सरकारी तंत्र और जनमानस के बीच अच्छे संचार माध्यम का काम कर सकती है इस प्रकार के ऐप के माध्यम से विकास कार्यो के संबंध में ग्राउंड जीरो से फीडबैक लिए जा सकते हैं। शिकायतों के निस्तारण और योजनाओं से संबंधित सत्यापन सरल तरीके से कराया जा सकता है।

सारांश

प्रत्येक स्मार्टफोन धारक के मोबाइल फोन में डाउनलोड कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, परंतु जनपद के प्रशासनिक तंत्र के दृढ़ निश्चय, अभिनव प्रयोग एवं सटीक रणनीति से जनसामान्य के सहयोग से इस कार्य में अभूतपूर्व सफलता मिली।

प्राप्त सीख

आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित वेबसाइट success.nic.in में भी वेबसाइट को मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए सुधार की आवश्यकता है।प्रत्येक व्यक्ति का विवरण इस वेबसाइट पर प्रदर्शित नही होता है जिनको कोविड–19 के लक्षण होते है उन्ही का विवरण इस पर दिखता है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड से संबंधित समस्त मोबाइल धारकों के आंकड़े यहाँ पर प्रदर्शित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त आरोग्य सेतु ऐप केवल स्मार्टफोन में कार्य करता है जबकि देश की बहुत बड़ी आबादी के पास स्मार्टफोन न होकर बेसिक मोबाइल है, जिससे इस ऐप के लाभ से जनसँख्या का बहुत अधिक हिस्सा अछूता रह जाता है। इस प्रकार की विसंगतियों को दूर किए जाने से न केवल कोरोना महामारी के दृष्टिगत सुरक्षात्मक उपाय के अंतर्गत हमें पूरी सफलता मिल सकती है बल्कि महामारी के संक्रमण को रोकने में शत–प्रतिशत सफलता पाई जा सकती है। यही नहीं, सारे मोबाइल फोनों पर इस ऐप के संचालन से अन्य शासकीय विकास योजनाओं की सफलता हेतु विभिन्न तरीकों से इसका भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है।

श्री विकास, जिला विकास अधिकारी, हमीरपुर, मो.नं.: 9415334202 ईमेल : आई0डी0 – ddo-rd.hr@up.gov.in

जनपद - हमीरपुर

केस–22: बकरी पालनः ग्रामीण अंचल में स्वरोजगार का विकल्प

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	हमीरपुर
कार्यान्वयन एजेंसी	:	पशुपालन विभाग
क्षेत्र	:	पशुपालन
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

जनपद हमीरपुर की भौगोलिक स्थिति (वनक्षेत्र, पठारी, उबड़ खाबड़, बड़ी एवं सहायक छोटी नदियों/बरसाती नालों) के अनुसार स्थानीय निवासियों विशेष कर कम आमदनी, कम जोत वाले तथा भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा स्वरोजगार के रूप में बकरी पालन एक सहायक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा रहा है।

हस्तक्षेप

यह कार्य पूर्व में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित बकरी पालन योजना से प्रोत्साहित होकर ग्राम वासियों द्वारा अपनाया गया। इसके अतिरिक्त आई0सी0ए0आर0, नेशनल ब्यूरो आफ जेनेटिक रिर्सोसेस करनाल, हरियाणा द्वारा यहां पर पायी जानी वाली बकरी को बुन्देलखण्डी बकरी प्रजाति के नाम से पंजीकृत किया गया है।

प्रभाव

कम समय में वयस्क होने, वर्ष में दो बार बच्चे देने के कारण, कम लागत, अल्प स्थान एवं रखरखाव में कम व्यय आने के कारण सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसकी जनसंख्या सामान्य रूप से ग्रामीण अंचलों पर निवास करती है, को विशेष रूप से प्रभावित किया है। इस व्यवसाय की सबसे बड़ी खूबी है कि आकस्मिकता के समय भी आर्थिक आवश्यकता होने पर तत्काल ही उसकी पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त दुग्ध, मांस, खाल का विपणन स्थानीय रूप से हो जाता है।

मुख्य परिणाम

आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को अल्पकालीन/ पूर्णकालिक स्वरोजगार प्राप्त हुआ है तथा उसकी आर्थिक/सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है।

विकल्पों को बढ़ावा

इस बेस्ट प्रैक्टिस को बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, सीमान्त जनपदों, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पठारी स्थानों पर लागू करके आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों का आर्थिक उन्नयन करते हुये उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकते है।

सारांश

किसी भी जलवायु, वातावरण, परिस्थिति में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े, भूमिहीन व्यक्तियों के लिये आपदा में एक विशेष अवसर के रूप में स्वरोजगार के रूप में अपना कर अपना सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन कर सकते है।

प्राप्त सीख

इससे यह सीखने को मिलता है कि हम अपने को संतुलित कर सम्यक विचार करने के उपरांत इस प्रैक्टिस को अपनाएं तथा अपना सामाजिक/आर्थिक स्तर ऊंचा उठायें। इसके लिये उ0प्र0 सरकार को एक फ्रेम वर्क तैयार करे जिसमें इस विषय से सम्बंधित पशुपालन विभाग के विशेषज्ञ एवं पंचायतीराज विभाग को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कार्य योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन/पर्यवेक्षण/ मूल्यांकन/प्रभाव का अध्ययन करें तथा इसके क्रियान्वयन के लिए एक स्पेशल सेल गठित की जाए।

●●●

श्री कमलेश कुमार, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, जनपद हमीरपुर मो.नं. 9456875712 ईमेलःhamdrda@nic.in

जनपद - हापुड़

केस–23: मिट्टी के बर्तनों में स्थिरता एवं नवाचार का प्रयोग– उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	**हापुड**
कार्यान्वयन एजेंसी	:	**उ0प्र0 माटीकला बोर्ड**
क्षेत्र	:	**माटीकला उद्योग**
अभ्यास का वर्ष	:	**2020–21**

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड प्रदेश में मिट्टी के बर्तनों के उत्पादन में सभी शामिल लोगों तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहा है। बोर्ड उन्हें अपने उत्पाद में सुधार करने और आय बढ़ाने के लिए नई तकनीक अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। बोर्ड के प्रयासों से प्रेरित होकर, श्री रमेश पुत्र श्री श्रीपाल, कृष्णगंज कुम्हारो वाली गली पिलखुआ, हापुड़ के निवासी श्री रमेश ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से उत्पादन के लिए रू. 4.00 लाख का ऋण प्राप्त किया। उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड का उद्देश्य कुम्हारों की कला और व्यवसाय का विस्तार करना है।

हस्तक्षेप

श्री रमेश कक्षा 8 पास करने के बाद अपने पिता के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य करने लगे और पिता के साथ मेले, हाट, बाजारो में जाकर मिट्टी के बर्तन बेचने लगे थे। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड का गठन होने पर इन्होने कार्यालय से सम्पर्क कर विधुत चालित चाक हेतु अपना आवेदन किया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी में चयन के उपरान्त इनको उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर विधुत चालित चाक का वितरण किया गया, जिसके फलस्वरूप मिटटी के हस्तशिल्प वर्तन के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ रोजगार के अवसर में भी वृद्धि हुई है।

प्रभाव

उच्च शिक्षा प्राप्त न होने एंव तकनीकि ज्ञान कम होने पर भी उ.प्र.माटीकला बोर्ड के सम्पर्क में आने पर श्री रमेश अधिक लाभ प्राप्त होने पर आस पास के उक्त व्यवसाय से जुडे व्यक्ति प्रभावित हुए तथा उनका भी रूझान माटीकला निर्मित उत्पाद निर्माण की ओर बढ़ा है।

मुख्य परिणाम

मिट्टी के बर्तनों की बढ़ती मांग और नए बाजारों के आने से कौशल, तकनीक और उपकरणों के उन्नयन की आवश्यकता है। इन आवश्यकताओ को पूरा करने के लिए विद्युतीकृत चाक एक सरल उपाय है।

विकल्पों को बढ़ावा

माटीकला उद्योग में विद्युत चालित चाक के प्रयोग से पिलखुआ क्षेत्र के आस पास के ग्रामो में माटीकला के कारीगरो में भी उत्साह उत्पन्न हुआ है। यह योजना प्रदेश के अन्य जनपदो में भी संचालित है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

माटीकला उद्योग में उत्पादन के परम्परागत तरीको में नये बाजार की मांग के अनुसार तकनीकि एंव उपकरणों के उच्चीकरण की आवश्यकता है।

सारांश

प्रदेश में माटीकला बोर्ड के गठन के पश्चात संचालित योजनाओ से माटीकला कारीगरों में काफी उत्साह है व सभी योजनाऐं माटीकला कारीगरों के सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी एंव जीवन स्तर को विकसित करने में सहायक सिद्ध हो रही है।

प्राप्त सीख

कुम्हारी कला में उन्नत तकनीकयुक्त उपकरणों के प्रयोग से परम्परागत उद्योगो में उच्च स्तरीय उत्पाद तैयार किये जा सकते है तथा जिसमे अधिक रोजगार सृजन एंव अधिक लाभ कमा कर सामाजिक परिवर्तन भी लाया जा सकता है।

●●●

श्री राकेश कर्णवाल, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, हापुड़ मो.नं. 9149004019 ईमेल : dviohapudupkvib@gmail.com

जनपद - कन्नौज

केस–24 : मिशन शक्ति– लैंगिक समानता की ओर पहल

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	**समस्त विद्यालय (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक)**
कार्यान्वयन एजेंसी	:	**बेसिक शिक्षा**
क्षेत्र	:	**महिला सशक्तीकरण**
अभ्यास का वर्ष	:	**2020–21**

पृष्ठभूमि

जनपद कन्नौज उत्तर भारत में गंगा नदी के किनारे स्थित उ0प्र0 राज्य का एक प्रशासनिक जनपद है। जनपद इत्र के लिये विश्व प्रसिध्द है। जनपद में कुल 1459 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक (छात्रा संख्या–75163) के साथ ही साथ 5 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (छात्रा संख्या–500) संचालित हैं, जहां पर बालिकाओं को आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा प्रदान की जाती है! जनपद कन्नौज में कुल 2019 अध्यापिकाओं के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है।

हस्तक्षेप

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद की समस्त 6–14 आयु वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क एवं गुणवत्तापरक शिक्षा, बेसिक शिक्षा परिषद के संचालित परिषदीय विद्यालयों में प्रदान की जा रही है, जिसमें समाज के हर वर्ग की बालिकाओं को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

प्रभाव

बेसिक शिक्षा विभाग के बहु आयामी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी बालिकाओं को विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था के साथ ही साथ उन्हे समाज में स्वाविलम्बी और समानता के साथ जीवन यापन की शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ रहा है।

मुख्य परिणाम

- समस्त वर्गों में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि
- बालिकाओं में आत्म विश्वास की वृद्धि
- निर्णय एवं नेतृत्व की क्षमता में वृद्धि
- सुरक्षा की भावना में वृद्धि

विकल्पों को बढ़ावा

जनपद के समस्त परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक और के0जी0बी0वी0 विद्यालयों में बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान देकर उन्हे महिला सशक्तीकरण, महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया और समाज में उन्हे पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन यापन के गुण विद्यालयों में प्रदान किये जा रहे है तथा छात्राओ को स्मार्ट क्लास के माध्यम से विविध शिक्षाये भी प्रदान की जा रही हैं।इसके साथ ही आत्मरक्षा का भी प्रशिक्षण (जूडो–कराटे, ताइकांडो आदि) जनपद के विदयालयो में प्रदान किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- बालिकाओं में शिक्षा के प्रति आत्मविश्वास की वृद्धि करते हुये उन्हे उच्च शिक्षा के लिये प्रेरित किया गया।
- बालिकाओं में सुरक्षा एवं स्वालम्बन में वृद्धि।
- स्वास्थ्य सम्बंधी विषयों पर जागरूकता में वृद्धि।
- बहुआयामी शिक्षा के द्वारा बचपन से ही बालिकाओं में नवीन ऊर्जा का संचार।

सारांश

बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जनपद में बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था के साथ ही साथ उन्हें समाज में पुरुष वर्ग के साथ सभी क्षेत्रो में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जनपद के विद्यालयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

प्राप्त सीख

पुरुष प्रधान समाज में फैली रूढिवादी सोच को समाप्त कर बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिये मिशन शक्ति कार्यक्रम के द्वारा बालिकाओं में शिक्षा का आधार मजबूत करने के साथ ही साथ उनमें नेतृत्व करने और स्वयं निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर सकते हैं।

श्री के.के. ओझा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज, मो.नं.– 9453004161 ईमेल : bsaoffice.kannauj2020@gmail.com

जनपद - कन्नौज

केस–25 : कृषि पद्धतियों में नवाचार– मिश्रित कृषि

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	**ग्राम–किशवापुर, ब्लाक–जलालाबाद, जनपद–कन्नौज**
कार्यान्वयन एजेंसी	:	**उद्यान विभाग**
क्षेत्र	:	**उद्यान**
अभ्यास का वर्ष	:	**2019–20**

पृष्ठभूमि

भारत में कृषि अच्छी भौगौलिक परिस्थिति व प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी उन्नत तकनीकी एवं संसाधानो के अभाव के कारण असीमित जीविका उर्पाजन का यह क्षेत्र अपेक्षित विकास से अभी भी बहुत दूर है। विगत वर्षो में फसलो के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हासिल की गयी है, किन्तु यह फसले कृषको की आय मे अपेक्षित वृद्धि नही कर पायी है।

हस्तक्षेप

बागवानी फसलो यथा फल एवं शाकभाजी के उत्पादन मे नवीन प्रौद्यौगिकी का समावेश कर कृषको की आय मे निश्चित रूप से कई गुना वृद्धि की जा सकती है।

प्रभाव

इस पद्धति से पारम्परिक फसलो की तुलना में बेहतर परिणाम प्राप्त हो रहे है बागवानी फसलो के क्षेत्र में जनपद मे यह एक नया प्रयोग था, जिसे कृषको द्वारा सराहा गया और जिसके फलस्वरूप वर्ष 2020–21 में इस पद्धति को एक दर्जन से अधिक कृषको द्वारा अपनाया गया है।

मुख्य परिणाम

जनपद मे प्रथम बार श्रीमती मंजू देवी निवासी ग्राम किशवापुर विकास खण्ड जलालाबाद द्वारा उद्यान विभाग के मार्गदर्शन से 2.6 हे0 क्षेत्रफल में केला प्रजाति जी–9 के साथ अन्तः फसल के रूप मे शिमला मिर्च प्रजाति ऐश्वर्या की वर्ष 2019–20 में उन्नत तकनीकी का समावेश कर खेती प्रारम्भ की गयी। इस अभिनव प्रयोग में ड्रिप सिंचाई पद्धति का प्रयोग किया गया, जिससे लगभग 60 प्रतिशत पानी की बचत हुई, श्रम की बचत हुई तथा फसल की गुणवत्ता एवं उत्पादन मे वृद्धि हुई है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा ही उर्वरको का प्रयोग किया गया, जिससे लगभग 60 प्रतिशत उर्वरक की बचत हुई। नमी संरक्षण एवं खरपतवार नियंत्रण हेतु हेतु मल्चिंग शीट का प्रयोग किया गया। भूमि की तैयारी के समय बायोउर्वरको का प्रयोग किया गया, जिससे मृदा संरक्षण के साथ–साथ रासायनिक उर्वरको पर निर्भरता कम की गयी। पारम्परिक फसलो की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त हुए है।

क्र0 सं0	फसल का विवरण	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन लागत (लाख में)	कुल आय (लाख में)	PMKSY के अन्तर्गत दिया गया अनुदान (लाख में)	शुद्ध लाभ (लाख में)
1	केला तथा शिमला मिर्च की सहफसली खेती (प्रथम वर्ष)	2.60	7.80	20.50	2.568	15.26

विकल्पों को बढ़ावा

केला की खेती के साथ शिमला मिर्च, टमाटर एवं मिर्च की सहफसली खेती को अपनाने से कृषको की आय में 3–4 गुना वृद्धि हुई है। जनपद में कई कृषको द्वारा इस पद्धति को अंगीकृत किया गया है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

मुख्य फसल यथा केला, गन्ना, फल–फसलो के साथ मिश्रित खेती करने से कृषको की आय में निश्चित रूप से बढोत्तरी होगी। सेन्टर आफ एक्सीलेन्स फार वेजीटेबल के स्थापना से ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई, मल्चिंग, जैविक खाद के प्रयोग में बढ़ावा मिलेगा जिससे न केवल उत्पादन और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि मृदा एवं जल संरक्षरण में भी मदद मिलेगी।

सांराश

फल–फसल की खेती के साथ सहफसली के रूप में सब्जियो की अगेती खेती में उन्नत तकनीकी ड्रिप/ स्प्रिंकलर सिंचाई, मल्चिंग, जैविक खाद का प्रयोग कर कृषको की आय में बढोत्तरी तथा उत्पादन लागत में कमी की जा सकती है।

प्राप्त सीख

- पारम्परिक कृषि के स्थान पर व्यावसायिक कृषि को अपनाया जाना चाहिए ।
- सब्जियो की अगेती खेती से निश्चित रूप से किसानों की 3–4 गुना आय में बढ़ोत्तरी की जा सकती है।
- ड्रिप स्प्रिन्कलर पद्धति, मल्चिंग, जैविक खाद आदि का उपयोग करके कृषि की उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ायी जा सकती है, साथ ही यह पद्धति मृदा एवं जल संरक्षण में सहायक होती है।
- प्रदेश एवं देश की आवश्यकता के अनुरूप बागवानी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन के चिन्हाँकन की आवश्यकता है, तत्पश्चात् पालिसी फ्रेमवर्क तैयार कर बागवानी कृषि को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है।

श्री मनोज कुमार, जिला उद्यान अधिकारी जनपद–कन्नौज मो.नं. 9411870093 ईमेल–dhoknj@gmail.com

जनपद - कानपुर देहात

केस–26 : पशुओं में ईयर टैगिंग के माध्यम से टीकाकरण के प्रभाव को अधिकतम करने के लिये अभिनव प्रयास

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	कानपुर देहात
कार्यान्वयन एजेंसी	:	पशुपालन विभाग
क्षेत्र	:	पशुपालन
अभ्यास का वर्ष	:	2020–21

पृष्ठभूमि

जनपद कानपुर देहात में वर्ष 2020–21 के अक्टूबर माह में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका–मुंहपका नामक विषाणु जनित संक्रामक रोग का निःशुल्क टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। उक्त योजना मा० प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के प्राथमिकता वाले कार्यक्रम "आत्मनिर्भर अभियान" में सम्मिलित हैं। भारत सरकार द्वारा खुरपका–मुंहपका टीकाकरण हेतु पशुओं की ईयर टैगिंग करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना ईयर टैग वाले पशुओं का टीकाकरण वास्तविक प्रतीत नहीं होता है। जनपद में पशुपालकों में ईयर टैंगिंग को लेकर स्वीकार्यता न होने के कारण प्रारम्भ में टीकाकरण की प्रगति संतोषजनक प्राप्त नहीं हो रही थी।

हस्तक्षेप

जनपद स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मानीटरिंग यूनिट द्वारा जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा की गयी। प्रगति कम होने के कारणों का विश्लेषण किया गया। मुख्य रूप से कार्यक्रम में टैगिंग व टीकाकरण हेतु कर्मियों की कमी, पशुपालकों में ईयर टैंगिंग को लेकर स्वीकार्यता न होना, प्रमुख कारण चिन्हित किये गए। टैंगिंग व टीकाकरण कर्मियों की कमी को पूरा करने तथा टैग एप्लीकेटर के लिए एन.जी.ओ. जैसे – बैफ एवं नमस्ते इण्डिया के कर्मियों से समन्वय स्थापित किया गया तथा पंचायतीराज विभाग के स्थानीय कर्मचारियों की सहभागिता सुनिश्चित की गयी। साथ ही साथ चयनित किये गये वैक्सीनेटर /हेल्पर्स को कार्य संपादन के लिए प्रोत्साहित किया गया।

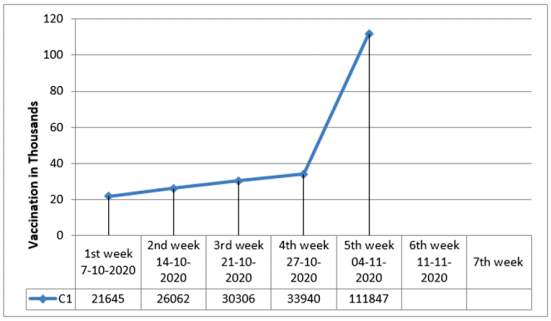

पशुपालकों में ईयर टैंगिंग की स्वीकार्यता बढ़ाने हेतु ब्लॉक मानीटरिंग यूनिट की बैठक की गयी जिसमें ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिव की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गयी। स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारियों को टीकाकरण एवं टैंगिंग की महत्ता को समझाते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सामाजिक प्रभाव का उपयोग, कार्यक्रम के सफल क्रियान्वन हेतु किया गया। पशुपालकों को जागरूक करने हेतु ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्यों, रोजगार सेवकों को सम्मिलित करते हुए गाँव स्तर पर प्रोत्साहन/जागरूकता अभियान चलाये गये। पशुओं की ईयर टैगिंग के बाद पशुपालकों को विभिन्न राजकीय योजनाओं से प्राप्त होने वाले सीधे लाभ के बारे में समझाया गया। जिलाधिकारी द्वारा बिना टैग लगे पशुओं के क्रय–विक्रय पर रोक लगा दी गयी है।

प्रभाव

कानपुर देहात के 75 ग्रामों में स्थानीय समुदायो एवं जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए प्रोत्साहन / जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे 36000 पशुपालकों ने कार्यक्रम की महत्ता को समझा और ईयर टैगिंग के पश्चात् प्राप्त होने वाले लाभों के बारे में उनकी जानकारी के स्तर में बढ़ोत्तरी हुई, जिससे खुरपका–मुंहपका टीकाकरण में अनिवार्य ईयर टैगिंग की प्रगति में वृद्धि हुई।

मुख्य परिणाम

खुरपका–मुहंपका टीकाकरण एवं पशुओं की ईयर टैगिंग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई तथा मात्र एक सप्ताह के अल्पसमय में 111847 पशुओं का टीकाकरण एवं ईयर टैगिंग की गयी।

विकल्पों को बढ़ावा

इस सफलतम प्रयास को जनपद के 10 विकास खण्डों के 150 ग्रामों में आने वाले 10 कार्यदिवसों में क्रियान्वित कराया गया और यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि यह प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से धरातल स्तर पर परिलक्षित हो।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- पिछड़े हुए टीकाकरण एवं ईयर टैगिंग की प्रगति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।
- जनपद में पशुपालकों की बड़ी संख्या में पशुपालकों के भीतर ईयर टैगिंग को लेकर भ्रांतियां दूर हुई।
- विभागीय कर्मियों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित हुआ जिसका लाभ भविष्य में अन्य विभागीय योजनाओं को परिलक्षित करने में प्राप्त होगा।
- टीकाकरण एवं टैगिंग कर्मियों को एक सीख मिली कि पशुपालकों की राजकीय योजनाओं के प्रति अस्वीकार्यता को उनको प्रोत्साहित/जागरूक करके समाप्त किया जा सकता है।

सारांश

जनपद कानपुर देहात में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चलाये जा रहे खुरपका–मुहंपका टीकाकरण एवं पशुओं की ईयर टैगिंग की भौतिक प्रगति अत्यंत कम थी। जनपद स्तरीय समीक्षा में टीकाकरण एवं टैगिंग कर्मियों की कमी एवं पशुपालकों में ईयर टैगिंग को लेकर अस्वीकार्यता इसके प्रमुख कारण चिन्हित किये गए। इन्ही प्रमुख कारणों को लक्षित करते हुए प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया गया। टैगिंग कर्मियों की कमी को पूरा करने के लिए अन्य एन०जी०ओ० जैसे बैफ, नमस्ते इंडिया से मदद ली गयी एवं पंचायती राज विभाग के ग्रामीण स्तर के कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया।

प्राप्त सीख

स्थानीय जन प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ उनके सामाजिक प्रभाव का सकारात्मक उपयोग करने के साथ–साथ पशुपालकों के लिए टीकाकरण की स्वीकार्यता बढ़ाने हेतु विभिन्न स्तर पर प्रोत्साहन/जागरूकता अभियान चलाया गया, जिससे पशुपालकों में ईयर टैगिंग को लेकर स्वीकार्यता बढ़ने के साथ ईयर टैगिंग एवं टीकाकरण की प्रगति में अप्रत्याशित वृद्धि हुई।

●●●

डॉ. देवकी नंदन लवानियाँ, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जनपद–कानपुर देहात, मो.नं. : 7080118741 ईमेल : cvokddehat@gmail.com

जनपद - कानपुर देहात

केस–27: प्रत्येक मतदान महत्वपूर्ण–बूथमित्र

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	कानपुर देहात
कार्यान्वयन एजेंसी	:	माध्यमिक शिक्षा विभाग
क्षेत्र	:	शिक्षा
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

जनपद कानपुर देहात में सामान्य लोकसभा निर्वाचन वर्ष 2019 में प्रत्येक बूथ पर असहाय/ निशक्त/महिला मतदाताओं की मदद एवं मतदान से विमुख मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर लाने हेतु जनपद में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अभिभावकों की सहमति के आधार पर बूथमित्र के रूप में नियोजित किया गया। बूथमित्र अपनी कैप एवं पहचान पत्र के साथ बूथ पर उपस्थित होकर मतदाताओं का अतिउत्साह से सहयोग किया गया। सभी बूथमित्र के रूप में नियोजित छात्र/छात्राओं को जिलाधिकारी कानपुर देहात की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर उनके कार्य की भूरि–भूरि प्रशंसा की है। इनके निरीक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु 05 बूथों पर एक शिक्षक को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में लगाया गया था।

हस्तक्षेप

अभिनव सामाजिक प्रयास यह रहा है कि छात्र एवं छात्राओं की सकारात्मक ऊर्जा के प्रयोग से बिना राजनैतिक आरोप के मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित किया गया।

प्रभाव

छात्र एवं छात्राओं द्वारा ऊर्जा और उत्साह के साथ, बूथमित्र के रूप में कार्य करने के फलस्वरूप इस अभिनव प्रयास ने अभिभावकों को राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रतिभाग करने में एवं लोकतंत्र के प्रति दायित्व व अन्य दायित्वों के बोध का सृजन कराता है। छात्र/छात्रा के उच्च ऊर्जा एवं अति उत्साह से समाज के सभी लोगों में मतदान करने के कर्तव्य का बोध हुआ और लोकतंत्र को बहुसंख्य लोगों की पसंद का जनप्रतिनिधि प्राप्त हुआ है।

मुख्य परिणाम

लोकसभा निर्वाचन 2019 में जनपद स्तर पर छात्र/छात्राओं की प्रत्येक बूथ पर बूथ मित्रों के रूप में नियोजित किये जाने से लोकसभा में मतदान प्रतिशत 58.64 प्रतिशत से बढ़कर 60.11 प्रतिशत हो गया।

विकल्पों को बढ़ावा

इस प्रयोग को अन्य जनपदों में सुरक्षात्मक उपायों के साथ अभिभावकों की सहमति के आधार पर उत्साही छात्रों को अन्य कार्यों में भी नियोजित किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

अध्ययनरत छात्र/छात्रायें अति उत्साही ऊर्जा से ओत–प्रोत एवं आदर्श भावनाओं से पूर्ण होते हैं, जिनके कारण सामाजिक गतिविधियों में उनकी भूमिका नियोजित की जानी चाहिए, साथ ही समाज में अपनी उपयोगिता एवं उससे प्राप्त प्रशंसा उन्हें गलत पथ पर जाने से रोकती है।

सारांश

छात्र/छात्राओं को जनपद में बूथ स्तर पर बूथमित्र के रूप में नियोजित करने से एक ओर मतदान को अरुचिकर मानने वाले मतदाताओं को बूथ तक लाने में मदद मिली वही दूसरी ओर यह युवाओं को भागीदारी के मूल्यों के प्रति जागरूक करने में भी मदद करता है।

प्राप्त सीख

युवा और छात्रों में क्षमता एव सकारात्मक ऊर्जा की संभावनाए बहुत अधिक होती है। इन क्षमताओं एव सकारात्मक ऊर्जा को पहचान करके इनको विकास कार्यों की ओर अग्रसर किया जाना चाहिए।

श्री अरबिन्द कुमार द्विवेदी, जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर देहात, मोबाईल संख्याः–9454457387 ईमेल आई डीः– rmsa.rbnagar@gmail.com

जनपद - कानपुर देहात

केस–28: सामुदायिक शौचालयों का संवहनीय प्रबन्धन : स्वच्छ भारत ग्रामीण एवं उ0प्र0 राज्य ग्रामीण मिशन का अभिसरण

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	कानपुर देहात
कार्यान्वयन एजेंसी	:	ग्राम्य विकास विभाग
क्षेत्र	:	सामाजिक एवं आर्थिक
अभ्यास का वर्ष	:	2020–21

पृष्ठभूमि

कानपुर देहात उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) के लिए उत्तर प्रदेश का नया इंटेंसिव जिला है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में, इस जिले के तीन ब्लॉक मैथा, रसूलाबाद और सरवनखेड़ा को इंटेंसिव ब्लॉक बनाया गया है। अब स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए विभिन्न आजीविका गतिविधियां शुरू की गई हैं।

हस्तक्षेप

पंचायती राज विभाग के तहत स्वच्छ भारत मिशन ने जिले की सभी ग्राम पंचायतों में कुल 640 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया है। एन.आर.एल.एम. प्रमुख, स्वच्छ भारत मिशन प्रमुखों और मनरेगा प्रमुख के साथ चर्चा के दौरान स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए सामुदायिक शौचालय के कार्यवाहक के रूप में एक नव अवसर मिला, जिसके लिए उन्हें रूपये 6000 मानदेय दिया जाएगा। 11 सदस्यों को शुरू में चयनित करके सामुदायिक शौचालय के कार्यवाहक बनाया गया तथा उनको चयन प्रमाणपत्र से भी सम्मानित किया गया है।

प्रभाव

यह कार्य समुदाय में गरीबों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए किया जा रहा है, यह एक सामाजिक और आर्थिक काम है। इसका सीधा प्रभाव उन 640 परिवारों पर पड़ेगा जिन्हें कार्यवाहक के रूप में चुना गया है और इसका उस समुदाय में भी व्यापक प्रभाव है जो इसका उपयोग करेगा। चूंकि देखभाल की ज़िम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को दिया जा रहा है, इसलिए सफाई की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी और इससे पूरे ग्राम पंचायत को लाभ होगा। सामुदायिक शौचालय समुदाय में विभिन्न संक्रमणों और सामाजिक दुर्व्यवहारों से समुदाय को बचाने में मददगार होगा।

मुख्य परिणाम

स्वयं सहायता समूह को गुणवत्ता एवं स्वच्छता बनाए रखने के लिए शामिल किया जा रहा है जिससे सामुदायिक शौचालय में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। यह लोगों को स्वच्छ शौचालय का नियमित उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगा एवं खुले में शौच के कारण विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों को नियंत्रित करने में भी मदद करेगा।

विकल्पों को बढ़ावा

प्रारंभ में यह 11 सदस्यों के साथ शुरू किया गया था और जल्द ही इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सदस्यों की संख्या 640 तक पहुंच जायेगी।

सारांश

जनपद कानपुर देहात को इंटेंसिव जनपद बनाया गया है और पात्र महिलाओं को आंतरिक समुदाय संसाधन व्यक्ति (ICRP) के रूप में हमीरपुर से आने वाली अनुभवी टीम द्वारा स्वंय सहायता समूहों में नामांकित किया जा रहा है। तीन महिलाओं की टीम 15 दिनों के लिए गांव में रहती है, एस.एच.जी. के लिए योग्य महिलाओं की पहचान करती है, उन्हें सर्वेक्षण के दौरान सूचीबद्ध करती है और उन्हें अपनी वास्तविक कहानी बताकर एस.एच.जी में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है। स्वंय सहायता समूहों को अपने अंतर–ऋण और आजीविका को बढ़ाने के लिए धन प्राप्त होता है तत्पश्चात वे अपनी आय बढ़ाने के लिए स्वरोजगार शुरू करने व छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों से सी.सी.एल. प्राप्त करने के भी हकदार होते हैं।

●●●

श्री हरीशचन्द्र, उपायुक्त स्वतः रोज़गार कानपुर देहात मो.नं. 8765983081 ई–मेलःdcnrlmkd@gmail.com

जनपद - कासगंज

केस–29: मोक्षदायिनी के किनारों का कायाकल्पः गंगा एवं भागीरथी वन प्रोग्राम

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	कासगंज
कार्यान्वयन एजेंसी	:	वन विभाग
क्षेत्र	:	पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

प्राकृतिक वास (नेचुरल हैबिटैट) वनस्पति एवं जीवन की वृद्धि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है । पिछले कुछ वर्षो से कासगंज जनपद पर्यावरण की खराब स्थिति की समस्या का सामना कर रहा है।जनपद में बहने वाली नदियों में अवैधानिक कब्ज़ा और रेत खनन इसका मुख्य कारण था। जनपद में बढ़ते तापमान और बढ़ते धूल प्रदूषण को लेकर लोग अक्सर शिकायत करते थे। जनपद कासगंज के वन विभाग के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सके, इसके लिए जनपद द्वारा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण एवं गंगा नदी के किनारे पर वन की स्थापना करायी गयी।

इस अभिनव प्रयास अन्तर्गत जनसहभागिता के माध्यम से पवित्र नदी गंगा के तट पर पवित्र वन की स्थापना की गयी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए, कासगंज जिला प्रशासन ने जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश सिंह के नेतृत्व में और वन विभाग के सहयोग से गंगा वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया।इस कार्यक्रम के माध्यम से सोरो विकास खंड के चंदनपुर घटियारी ग्राम पंचायत में 62.25 हेक्टेयर भूमि (गंगा वन) क्षेत्र में कुल 101000 वृक्ष लगाकर पर्यावरण सदभाव को बहाल करने का प्रयास किया गया। गंगा वन की शानदार सफलता के बाद, जिला मजिस्ट्रेट कासगंज के नेतृत्व में कासगंज जिले के दतलाना खाम में भागीरथी वन का निर्माण किया गया। भागीरथी वन में 298 हेक्टेयर भूमि में 3 लाख 57 हजार पेड़ लगाए गए।

गंगा वनः गॉव–चंदनपुर घटियारी, ब्लॉक–सोरों, तहसील– कासगंज, जिला– कासगंज
जीपीएस स्थानः 27 ° 57'17.41 "N 78 ° 42'22.22" E

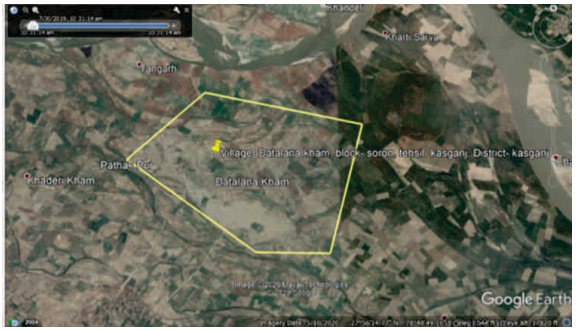

भागोरथी वन – ग्राम–दतलाना खाम, ब्लॉक– सोरों, तहसील– कासगंज, जिला– कासगंज
जीपीएस स्थानः 27 ° 56'39.17 " N78 ° 48'18.78" E

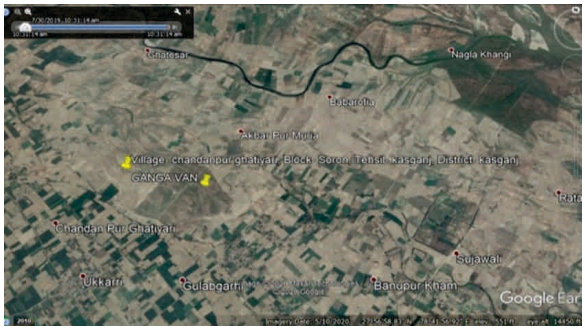

प्रभाव

452000 पेड़ों के रोपण और जल निकायों के कायाकल्प के बाद, निम्नलिखित सकारात्मक प्रभाव देखे गए:–

- वन आच्छादन में वृद्धि से पक्षियों के वास में बहाली के साथ–साथ क्षेत्र के अन्य शाकाहारी जानवरों के लिए चारे की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

- इस क्षेत्र में हरित आवरण में वृद्धि से मिट्टी के कटाव में कमी आई है। जल संरक्षण और भूजल की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है जल स्तर में कुछ इंच वृद्धि हुई है क्योंकि अब पूर्व की भांति उथले नलकूप गर्मी के मौसम में सूख नहीं रहे है।
- वन अच्छादन में वृद्धि से धूल की मात्रा में कमी के कारण वायु अधिक शुद्ध हुई है और वायु की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
- प्राकृतिक सुंदरता दृष्टिगोचर हुई है ।
- आजीविका में सुधार के लिए बहुत से इमारती लकड़ी के पेड़ और फलों के पेड़ लगाए गए हैं और इन जंगलों में ग्राम पंचायतों को हिस्सेदारी दी गई है।
- वन और जल निकायों के कारण ईको–टूरिज्म का विकास।
- फल एवं लकड़ी के माध्यम से रोजगार सृजन।

मुख्य परिणाम

इन वन कार्यक्रम के प्रभाव दीर्घ कालीन होंगे। मिट्टी का संरक्षण, भूजल का पुनर्भरण, वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण, वर्षा और कृषि के क्षेत्र में वृद्धि इत्यादि प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगा तथा वन पारिस्थितिकी को बहाल करके आर्थिक लाभ प्रदान करने में मदद करेगा।

विकल्पों को बढ़ावा

गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों के किनारे बंजर भूमि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में खाली पड़ी है। इन भूमि का उपयोग मानव निर्मित गंगा वन को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

गंगा नदी तट के किनारे और उसके आसपास जनपदों में बड़े पैमाने पर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत कटाई, रेत उठाने, देशी वनस्पतियों और जीवों को पुनर्स्थापित करने, नदी के प्रदूषण को रोकने और खेती और पीने योग्य जल के बेहतर पुनर्भरण के लिए अनेको कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

सारांश

रिवर बैंक के पास का वन आवरण समाप्त हो गया था, जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा था। परिणामी प्रभाव मृदा अपरदन, जल संरक्षण की कमी, वन जैव विविधता की हानि, प्रदूषण में वृद्धि, गर्मी में वृद्धि और खराब वायु गुणवत्ता थी। साथ ही यह सब अप्रत्यक्ष रूप से जिले की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा था। इन समस्याओं को दूर करने के लिए कासगंज जिला प्रशासन और वन विभाग ने मानव निर्मित गंगा वन कार्यक्रम शुरू किया है। आम जनमानस द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश के प्रथम

'' गंगावन'' की शुरुआत महामहिम राज्यपाल, उ0प्र0 श्रीमती आंनदी बेन पटेल द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2019 को की गयी तथा प्रदेश का सबसे बड़ा गंगावन वर्ष 2020 में ''भगीरथी वन'' के रूप में दतलाना खाम कासगंज में स्थापित है।

प्राप्त सीख

गंगा नदी भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र नदी है। मानव निर्मित वन की स्थापना पंचवटी वाटिका, नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, हरि शंकरी वाटिका, धन्वंतरी वाटिका, सुग्रीव वाटिका की स्थापना से लोगों के जीवन पर अधिक समय तक प्रभाव पड़ेगा एवं पर्यावरणीय स्थिति को सुधारने में भी मदद मिलेगी।

श्री दिवाकर कुमार वशिष्ठ, प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज मो. नं0–7839435140 ईमेल–dfokasganj@gmail.com

जनपद - लखीमपुर खीरी

केस–30: मनरेगा के सफल क्रियान्वयन की रणनीतिः ऑपरेशन चतुर्भुज

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	लखीमपुर खीरी
कार्यान्वयन एजेंसी	:	ग्राम्य विकास विभाग
क्षेत्र	:	सामाजिक एवं आर्थिक
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

मनरेगा को अभी तक केवल ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुछ दिवसों के आजीविका अर्जित करने वाले एक साधन के रूप में देखा गया है।

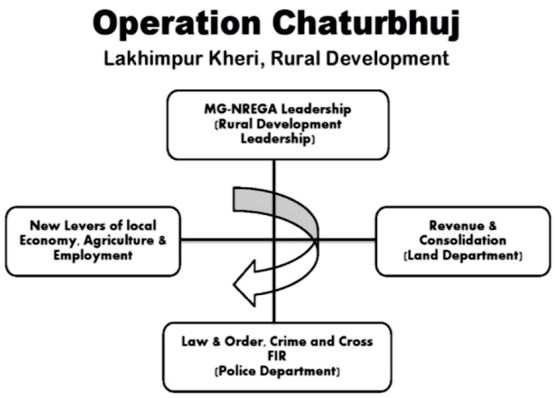

- नए दृष्टिकोण में, यह योजना, उपरोक्त के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों की गूढ समस्याओं का समाधान करती है।
- जन शिकायतों के विश्लेषण में पाया गया कि सेक्टर रोड/चकमार्गो, तालाबों व सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण के कारण आपसी रंजिश/मारपीट व क्रास एफ0आई0आर0 जैसी समस्यायें उत्पन्न होती थी, जिससे कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता के कारण ग्रामीण क्षेत्र की अर्थवयवस्था भी प्रभावित होती थी। उपर्युक्त समस्याओं के स्थायी समाधान हेतु जनपद द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत 'आपरेशन चतुर्भुज' प्रारम्भ किया गया।
- ऑपरेशन चतुर्भुज के अन्तर्गत मनरेगा योजनान्तर्गत उपरोक्त राजस्व / कानूनी समस्याओं के स्थायी समाधान प्रस्तुत करने के साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करती है।

हस्तक्षेप

ग्राम्य विकास, राजस्व और चकबन्दी, पुलिस और कृषि विभाग के सहयोग से सेक्टर मार्ग / चक रोड, सार्वजनिक तालाब, वृहद वृक्षारोपण और लाभार्थीपरक कार्य कराये गये।

- ग्राम पंचायत परसा विकास खण्ड नकहा खेरी को ऑपरेशन चतुर्भज की शुरुआत के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में चयनित किया गया था।

प्रभाव

ऑपरेशन चतुर्भुज के माध्यम से ज्यादातर छोटे और सीमांत किसानों को अपने खेत से बाजार तक परिवहन की सुविधा मिली, जो अब तक मार्ग के लिए दूसरों की भूमि पर बहुत निर्भर थे। कृषि उपकरण और मशीनरी अब आसानी से प्रत्येक क्षेत्र तक पहुँच सकते हैं। इसने भूमि विवादों को काफी हद तक कम कर दिया है। तालाबों का निर्माण करके इसे मछली पकड़ने वाले समुदाय को पट्टे पर दिया जा रहा है, जल संरक्षण के प्रयासों ने कई परिवारों को रोजगार प्रदान करने के साथ–साथ एक प्रेरणा प्रदान की है। तालाबों के किनारों पर वृक्षारोपण अभियान निश्चित रूप से पर्यावरण सुधार में मदद करेगा। उपर्युक्त प्रयासों ने कोविड–19 महामारी की अत्यंत विकट स्थिति में जनपद में प्रवासी मजदूरो के भारी संख्या में उपस्थिति के दौरान, गाँवों में रोजगार के अत्यंत बड़े अवसर प्रदान किये हैं।

मुख्य परिणाम

पायलट प्रोजेक्ट के रुप में चयनित ग्राम पंचायत परसा की एक झलक	जनपद की एक झलक (दिनांक 21.04.2020 से 31 अक्टूबर 2020)
कुल सृजित मानव दिवस– 47257	कुल सृजित मानव दिवस– 80.00 लाख
909 स्थानीय/प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया	290652 स्थानीय/प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया
296 स्थानीय/प्रवासी श्रमिको को नये जाबकार्ड बनाकर जोड़ा गया।	129204 स्थानीय/प्रवासी श्रमिको को नये जाबकार्ड बनाकर जोड़ा गया।
ग्राम पंचायत परसा में 2020–21 में 3 तालाब बनवाये गये है।	जनपद में 1850 तालाब बनवाये गये है
ग्राम पंचायत में 103 लाभार्थियों को व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्यो से आच्छादित किया गया	ग्राम पंचायत में 4000 लाभार्थियों को व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्यो से आच्छादित किया गया
72 चकरोड का निर्माण कराया गया जिनकी लम्बाई 52.00 किमी0 है।	1600 किमी0 चकरोड का निर्माण कराया गया

- इस अभियान के अन्तर्गत कोविड–19 जैसी विपदा में रोजगार उपलब्ध कराने में जनपद खीरी प्रदेश में अव्वल रहा है।भारत सरकार द्वारा प्रायोजित दिशा की बैठक में भी समस्त मा0 सांसद, मा0 विधायक एवं अन्य उपस्थित मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा इसकी अत्यन्त सराहना की गई।
- ग्राम्य विकास विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त पत्र सं0 499–38–7–2020–10–मनरेगा–2020टीसी–2 खण्ड–7 दिनांक 05–05–2020 को निर्गत किया गया था, उक्त कार्यवृत्त में आपरेशन चतुर्भुज की सफलता का विशेष उल्लेख किया गया है।

विकल्पों को बढ़ावा

- ग्राम पंचायत परसा में चलाए गए अभियान के सकारात्मक परिणामों के बाद, ऑपरेशन चतुर्भुज का विस्तार खीरी जिले के अन्य ब्लॉकों में किया गया जहाँ सकारात्मक परिणाम फिर से प्राप्त हुए। चूंकि यह अभियान अंतर्निर्मित प्रोत्साहन संरचना के तहत विकसित किया गया था, जिसमें भय मुक्त जनसमुदाय की सहभागिता भी सम्मिलित है, जिसके फलस्वरूप यह एक स्थायी समाधान प्रदान करने में सफल रहा।

- ऑपरेशन चतुर्भुज ने न केवल पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान किए, बल्कि पलायन को रोकने में भी मदद मिली है। निकटवर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वंय सहायता समूहों को निरंतर मनरेगा व सीआईबी के अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रदान किए जाने के बाद से महिला स्वंय सहायता समूहों को बहुत लाभ हुआ।
- रोजगार के पर्याप्त अवसरों और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन की संभावना बढ़ गई।
- सेक्टर / चक सड़कों के निर्माण के कारण नवनिर्मित सेक्टर / चक सड़कों के दोनों ओर किसानों की भूमि के बाजार मूल्य में वृद्धि हुई।
- लगभग 1670 निर्मित / पुनर्निर्मित तालाबों के पट्टे आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे आवंटित परिवारों की आजीविका में वृद्धि होगी।

सारांश

- लखीमपुर–खीरी ऑपरेशन चतुर्भुज के तहत कोविड–19 जैसी आपदा में दैनिक रोजगार सृजन में उत्तर प्रदेश के शीर्ष प्रदर्शन वाले जिलों में से एक था।
- भूमि विवाद से संबंधित विवादों का स्थायी समाधान कानून और व्यवस्था के मुद्दों / क्रॉस एफआईआर आदि में कमी।
- सद्भाव और विश्वास के साथ, व्यापक रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचा निर्माण, स्थानीय अर्थव्यवस्था, कृषि, पर्यावरण और जल संरक्षण में सुधार हासिल किया गया।

प्राप्त सीख

आपरेशन चतुर्भुज के सफल क्रियान्वयन से सावर्जनिक सड़को और तालाबो के अतिक्रमणकारियों से उत्पन्न समस्यायों को सफलतापूर्वक निस्तारित किया गया। ऑपरेशन चतुर्भुज अभियान से यह महसूस किया गया है कि इस प्रकार के अभियान के क्रियानवयन से न केवल व्यक्तिगत लाभ में वृद्धि होगी अपितु जनमानस भी लाभान्वित होगा। इस ऑपरेशन के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की समस्याओ का निराकरण एक छत के नीचे संभव था इसलिए सभी विभागों द्वारा इसको सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। इस अभियान से यह भी परिलक्षित होता है कि सम्बन्धित विभागों एवं आम जनमानस की सहभागिता एवं समस्त स्टेकहोल्डर्स के लिये अन्तर्निहित प्रोत्साहन संरचना सृजित करके कोई भी अभियान बिना अवरोध के स्थायी रुप से सफल बनाया जा सकता है। आपरेशन चतुर्भुज मनरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण भारत की कई समस्याओं के समाधान हेतु रामबाण साबित हो रहा है।

श्री अरविन्द सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी मो.नं. 9454416591 ईमेलः dcnregakheri@gmail.com

जनपद - लखनऊ

केस–31: सामुदायिक पुलिसिंगः वन स्टाप सेन्टर

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	लखनऊ
कार्यान्वयन एजेंसी	:	पुलिस विभाग (वन स्टॉप सेंटर)
क्षेत्र	:	सामाजिक
अभ्यास का वर्ष	:	2019

पृष्ठभूमि

एक महिला को दिनांक 04.04.2019 को रात्रि 10:45 बजे आश्रय के लिए लाया गया था। वह पनिगांव की मूल निवासी थी। कैंटीन के स्टाफ की मदद से उसकी भाषा और लहजे को समझना संभव हो गया। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि महिला मानव तस्करी का शिकार थी। इस व्यापार में शामिल लोगों के नाम भी सामने आए। गिरोह के नेता को कई प्रयासों के बाद टीम द्वारा केंद्र पर लाया गया और सभी दस्तावेजों के साथ मामला दर्ज किया गया। गैंग लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया और महिला को सुरक्षित रूप से उसके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया। घटना चारबाग रेलवे स्टेशन से संबंधित है।

हस्तक्षेप

समय पर हस्तक्षेप और मानवीय दृष्टिकोण के फलस्वरूप पीड़ित महिला को परिवार से पुनर्मिलन कराने मदद मिली हैं।

प्रभाव

इस प्रयास का सबसे बड़ा प्रभाव आम जनता में कानून और प्रशासन के प्रति विश्वास का पुनर्निर्माण है।

मुख्य परिणाम

इस अभिनव प्रयोग से पता चला है कि भविष्य में इस प्रकार के अपराधो का निराकरण किया जाएगा।

प्राप्त सीख

यदि पुलिस एवं प्रशासन द्वारा ऐसे संवेदनशील मामलों को प्यार और संजीदगी के साथ हल किया जाता है तो हम समुदाय में कानून और प्रशासन के प्रति विश्वास बहाल कर सकते है।

●●●

अर्चना सिंह, सेंटर मैनेजर, वन स्टॉप सेंटर, लखनऊ, मो.नं. 9161977776 ईमेलः asluc103@gmail.com
सुधाकर शरण पांडे, जिला प्रोबैशन अधिकारी, लखनऊ, मो.नं. 7518024011 ईमेलः lkodpo34@gmail.com

जनपद - सहारनपुर

केस–32: बाल संरक्षण योजनान्तर्गत बालिका शिक्षा का प्रोत्साहन

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	सहारनपुर
कार्यान्वयन एजेंसी	:	महिला कल्याण विभाग
क्षेत्र	:	शिक्षा
अभ्यास का वर्ष	:	2020–21

पृष्ठभूमि

भारत सरकार द्वारा बाल संरक्षण सेवा योजना के तहत संचालित स्पांसरशिप योजना के अंतर्गत जनपद सहारनपुर में वर्ष 2020 में 40 बच्चों का चिन्हांकन करके इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है जो कि प्रदेश में सर्वाधिक है। स्पान्सरशिप स्कीम के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त बालिका अंशिका गगनेजा (आयु 16 वर्ष) द्वारा सरस्वती बाल विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, बाबा लालदास रोड, सहारनपुर में अध्ययन करते हुए उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज की हाई स्कूल की परीक्षा वर्ष 2020 में 88.50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने का गौरव हासिल किया।

बालिका अंशिका गगनेजा का परिवार दो कमरों के पुराने घर में रहता था। पिता शारीरिक व मानसिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोई कार्य न कर पाते थे और माता भी गृहणी थी। जिला बाल संरक्षण इकाई को यह ज्ञात हुआ कि बालिका अंशिका गगनेजा अपने 5 भाई–बहनों के परिवार में रहती है और बालिका को शिक्षा को जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। बाल संरक्षण इकाई द्वारा बालिका को इस योजना के अन्तर्गत अच्छादित करते हुए समर्थित किया गया तथा अंशिका को प्रति माह रुपये 2000/– की दर से लाभान्वित किया गया। अंशिका ने अपना अध्ययन समय पर वित्तीय मदद के फलस्वरूप जारी रखा और कठिन परिस्थितियों व अभाव में पढ़ाई करते हुए अपनी मेहनत व लगन के बल पर उत्कृष्ट अंकों से हाईस्कूल की परीक्षा उतीर्ण कर अन्य बालिकाओ के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनी हैं।

अब अंशिका स्पांसरशिप स्कीम के अन्तर्गत स्थापित निःशुल्क बाल शिक्षा केंद्र जो एन.जी.ओ. नवजीवन सेवा केंद्र नुमाइश सहारनपुर द्वारा संचालित है उनमें बच्चो को सहायता प्रदान कर रही है साथ ही साथ वह (शिव मंदिर, गोपाल नगर) में एक बालिका शिक्षक के रूप में कार्य कर रही है और सहारनपुर के पिछड़े क्षेत्रो के गरीब बच्चों की मदद करती है।

सारांश

इस प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना उन बच्चों की मदद करती है जिन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता की अत्यंत आवश्यकता होती है। यह योजना निश्चित रूप से बच्चों को शिक्षा के लिए नामांकित करने और बाल श्रम को समाप्त करने में लाभदायक साबित होगी।

●●●

श्री पुष्पेन्द्र सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण विभाग, मो.नं.7518024001 ई–मेलः dpowwsaharanpur@gmail.com

जनपद - सहारनपुर

केस–33: लकड़ी की उत्कृष्ट कलाकृतियां

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	सहारनपुर
कार्यान्वयन एजेंसी	:	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
क्षेत्र	:	कौशल विकास
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

जनपद सहारनपुर काष्ठ कला क्षेत्र में विश्व विख्यात है। इस कला के कारीगर शहर की गलियों–गलियों में फैले है। जनपद में इमारती वन उपलब्धता है और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। पूर्व मे यह कला शहरी क्षेत्र में सिमटी हुयी थी जो अब काष्ठ कला लकड़ी खिलौने के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित हो रही है। इसकी पृष्ठभूमि कमिश्नर सहारनपुर की विशेष प्रेरणा और सहारनपुर के मुख्य विकास अधिकारी के प्रेरणा और निरंतर मार्गदर्शन द्वारा तैयार की गई थी। यह कार्यक्रम मिस नाजिया, ब्लॉक मिशन मैनेजर नागल की कड़ी मेहनत और विशेषज्ञता के कारण मूर्त रूप मे सफल हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 03 विकास खंडो की 12 ग्राम पंचायतो के 16 स्वयं सहायता समूहों की 50 महिला सदस्यों ने RSETI मटकी झरौली के माध्यम से दो सत्र मे लकड़ी खिलौने बनाने का प्रशिक्षण एवं कौशल प्राप्त किया।

हस्तक्षेप

खिलौना में अभिरुचि रखने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को विकासखंड स्तर की टीम द्वारा सूक्ष्म स्तर पर जाकर उनका चिन्हांकन किया गया। प्रशिक्षण की इस नई अवधारणा के आयोजन के लिए, पी.एन. बी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मटकी झरौली का चयन किया गया। उपरोक्त प्रशिक्षण में लकड़ी के खिलौने निर्माण के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त उपकरणों का चयन के लिए सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

इससे सामाजिक मानदंडों में बदलाव आया है, लकड़ी के खिलौने जो केवल पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से तैयार किये जाते थे परन्तु अब महिलाएं भी खिलौनों का निर्माण कर रही है। यह ग्रामीण महिलाओं के लिए एक संभावित आय सृजन एक सफल गतिविधि भी साबित हुई है।यह विशेष रूप से कोविड–19 महामारी के दौरान जब कई लोगों ने अपनी आजीविका खो दी थी इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन से रोजगार के नए अवसर सृजित हुए है।

मुख्य परिणाम

जनपद सहरनपुर का मात्र शहरी क्षेत्र काष्ठ कला के लिये ख्याति प्राप्त था किन्तु इस अभिनव प्रयास ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी इस गतिविधि में आगे लाकर लकड़ी के खिलौने बनाने का अवसर प्रदान किया है।

विकल्पों को बढ़ावा

गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के साथ ऐसे पारंपरिक कला रूपों को जनपद के विभिन्न भागों में शुरू किया जा सकता है। समूह की महिलाएं इससे पूर्व काष्ठ कला से अपरिचित थी किन्तु उनकी अभिरुचि, हौसले एवं प्रशिक्षण के कारण यह कला ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रवेश की है। विकासखंडो में इनके द्वारा बनाये गए खिलौनों का प्रदर्शन किया गया तो समूह की अन्य महिलाओं ने भी गहरी अभिरुचि दिखाई, जिसके फलस्वरूप राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना पड़ा।

सारांश

सहारनपुर जनपद की शहरी क्षेत्र में रची बसी काष्ठ पच्चीकारी कला ने समूह के माध्यम से लकड़ी के खिलौने बनाने की कला के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में दस्तक दी है। यह गतिविधि ग्रामीण महिलाओं को एक तरफ आत्म निर्भर बनाएगी तो दूसरी तरफ सहारनपुर जनपद को काष्ठ कला के हब के रूप में विकसित करेगी।

श्री अरूण कुमार उपाध्याय, उपायुक्त, एन0आर0एल0एम0 मो.नं.7351876687 ईमेलः arunkumarupadhyay25@yahoo.com

जनपद - शामली

केस–34: कृष्णी नदी का जीर्णोद्धार कार्य

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	शामली
कार्यान्वयन एजेंसी	:	ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग
क्षेत्र	:	पर्यावरण एवं जल संसाधन
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

कृष्णी नदी जनपद सहारनपुर के कृष्णी नवादा से निकलकर जनपद शामली में ग्राम चन्देनमाल, विकास खण्ड थानाभवन में प्रवेश करती है, जिसकी जनपद में कुल लम्बाई 68.40 किमी0 है। यह जनपद के विकास खण्ड थानाभवन, विकास खण्ड शामली, नगर पंचायत बनत, विकास खण्ड कांधला से होते हुए जनपद बागपत के बरनावा में हिण्डन नदी में मिल जाती है। यह हिण्डन की सहायक नदी है। जनपद की कुल 25 ग्राम पंचायतें कृष्णी नदी के किनारे अवस्थित है और नगर पंचायत बनत की सीमा से बहती हैं। जिले की 5 नगरीय निकायों की जल निकासी प्रणाली के लिए भी कृष्णी नदी एक माध्यम है। लगभग 35–40 वर्ष पूर्व इस नदी का पानी पीने योग्य था, किन्तु कालान्तर में इस नदी का जल अत्यधिक प्रदूषित हो गया तथा नदी का मूल स्वरूप एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गया। नदी के अधिकांश भूभाग पर अतिक्रमण करके स्थानीय किसानों द्वारा खेती की जाने लगी। इसके तटबन्ध के दोनो किनारों पर स्थित ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों से प्रवाहित होने वाले नालों का प्रदूषित जल सीधे इस नदी में गिरने के कारण प्रदूषण की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती रही। वर्षाकाल को छोडकर अन्य दिनों में इसमें मात्र इन्ही नालों का पानी ही प्रवाहित होता था। इस नदी के जीर्णोद्धार के लिए पृथक से कोई बजट आवंटित नहीं था, इसलिए स्थानीय स्तर पर इस कार्य को कराया जाना चुनौतीपूर्ण था।

हस्तक्षेप

शामली जिले में, कृष्णी नदी के जीर्णोद्धार की कार्य योजना तैयार करने के लिए स्थानीय स्तर पर राजस्व, सिंचाई विभाग, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, लघु सिंचाई जैसे कई विभागों के बीच एक समन्वय बैठक हुई। सबसे पहले, राजस्व विभाग की एक टीम बनाई गई और कृष्णी नदी की 155.8 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया गया। नदी के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 587.54 लाख रुपये की एक कार्य योजना तैयार किया गया। इस कार्य के लिए कोई अलग बजट आवंटित नहीं किया गया था इसलिए स्थानीय स्तर पर नदी तटबंध के दोनों किनारों पर 25 ग्राम पंचायतों के प्रमुखों और 5 नगरीय निकायों के अध्यक्ष की एक बैठक बुलाई गई और वे सभी राज्य वित्त/केंद्रीय वित्त और मनरेगा के अभिसरण से नदी के जीर्णोद्धार के लिए अभिसरण के माध्यम से कार्य कराये जाने पर सहमत हुए। इस अभिसरण के माध्यम से 25 ग्राम पंचायतो (लगभग 51.25 किलोमीटर) का कार्य पूरा हो चुका है। शहरी क्षेत्रों में 221.48 लाख रुपये एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मंजूर किया गया हैं जिससे नगरीय क्षेत्रों के नालों पर फाइटोरेमिडीएशन पॉण्ड एवं जैव विविधता पार्क आदि के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

कृष्णी नदी के जीर्णोद्धार कार्य से नदी अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित हुई तथा इसके प्रदूषण में पर्याप्त कमीं आई। इस कार्य से जनपद में पर्यावरण की दृष्टि से लगभग 3 लाख लोगो पर सकारात्मक प्रभाव पडेगा। नदी के दोनो तटबन्धों पर रोपित किये जाने वाले विभिन्न प्रजाति के पौधों से जनपद में एक हरित पट्टी भी विकसित होगी, जो कालान्तर में पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायक होगी।

मुख्य परिणाम

कृष्णी नदी के जीर्णोद्धार कार्य से नदी अपने वास्तविक स्वरूप में परिवर्तित होने से इसके जल ग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई है, साथ ही अपेक्षाकृत जल के प्रदूषण में पर्याप्त कमीं हुई है।

विकल्पों को बढ़ावा

कृष्णी नदी के जीर्णोद्धार कार्य से प्रेरणा लेकर जनपद के अन्य जल स्त्रोतों को स्वच्छ बनाने हेतु लोगों में जागरूकता आई है। जनपद शामली की सबसे बडी मामौर झील के जीर्णोद्धार कार्य के प्रयास भी प्रारम्भ किये जा रहें है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

कृष्णी नदी के अतिक्रमित भूभाग को मुक्त कराकर नदी को मूल स्वरूप में परिवर्तित किया गया। जल के प्रदूषण में पर्याप्त कमी महसूस की गयी, साथ ही नदी के दोनो तटबन्धों पर विभिन्न प्रजाति के पौधों के रोपण से जनपद में एक हरित पट्टी की संकल्पना को मूर्त रूप दिया गया।

सारांश

कृष्णी नदी के किनारे अवस्थित सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं सभी ग्राम पंचायतों के समन्वित प्रयास एवं सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से नदी की खोई हुई गरिमा को पुनर्जीवित करने में मदद मिली है। इस हस्तक्षेप से यह परिलक्षित होता है कि प्रशासन और सामुदायिक सहभागिता के अभिसरण के माध्यम से स्थानीय मुद्दे जो लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते है उनको सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है । यह हस्तक्षेप स्पष्ट रूप से यह भी दर्शाता है कि जहां इच्छा शक्ति मजबूत है, वहां रास्ते भी निकल आते है – धन कभी भी विकास के लिए बाधा नहीं बन सकता है, सामुदायिक सहभागिता से कोई भी कार्य संभव हो सकता है।

प्राप्त सीख

नदियों को फिर से जीवंत करने और उनके प्रदूषित पानी को फिर से साफ करने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। इस तरह के कार्य से जन समुदाय में नदियों और जल निकायों के महत्व के विषय में और उन्हें अपने परिवेश में पर्यावरण की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रेरणा प्रदान होगी।

●●●

सुश्री जसजीत कौर, जिलाधिकारी, मो.नं. 9654416996 ईमेल–dmshamli2012@gmail.com

जनपद - शामली

केस–35: जल ही जीवन है: गंगा के सूक्ष्म जलागम क्षेत्र का प्रबन्धन

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	शामली
कार्यान्वयन एजेंसी	:	ग्राम पंचायत–खेड़ी करमू,
क्षेत्र	:	पर्यावरण
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

सन 2019 तक जनपद शामली के विकास खण्ड शामली की ग्राम सभा खेड़ी करमू की सबसे बड़ी समस्या जल एवं पर्यावरण का दूषित होना था, इसका सबसे बड़ा कारण औद्योगिक ईकाईयों का जल छोटी कृष्णी नदी में मिल जाना था। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा जैव विविधता प्रबंधन विकास एवं नियोजन समिति का गठन किया गया तथा डा0 उमर सैफ, स्थानीय पर्यावरण वैज्ञानिक समन्वयक गंगा विचार मंच, के टीम की मदद ली गई। समिति द्वारा छोटी कृष्णी नदी पुनरोद्धार योजना तैयार की गयी। इस कार्य योजना को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया और ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019–20 में इसको वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। योजनान्तर्गत नदी में गिरने वाले प्रदूषित जलयुक्त नालों को एक साथ जोड़ा गया तथा मनरेगा योजना से 3 मी0 चौड़ा नाला बनवाया गया। प्रदूषित जल का पौधों द्वारा उपचार कर पुनर्चक्रण किया गया। उद्यमियों को समझाकर उनके उद्योगों में उपचार संयन्त्र लगवाए गए जिससे पानी प्रदूषण मुक्त हुआ तथा बदबू भी आनी बंद हो गई। जलागम क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए कच्चे चेक डैम बनाए गए ताकि जल थोड़ा रुका रहे और भूगर्भ जल को रिचार्ज करे। वर्तमान में खेड़ी करमू के पास 1 किमी0 तक नदी बिल्कुल स्वच्छ हो गई है, नदी में प्रदूषण शून्य कर दिया गया है, मछलियां और तितलियां वापस लौट आई हैं। पूरा वातावरण स्वच्छ हो गया है।

हस्तक्षेप

इस अभिनव प्रयास के माध्यम से क्षेत्र की पर्यावरण की स्थिति में सुधार करना है।

प्रभाव

इस हस्तक्षेप के फलस्वरूप जनमानस को स्वच्छ जल व स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त हो रहा है तथा भूजल स्तर में भी सुधार हुआ है।

मुख्य परिणाम

इस योजना से हम गंगा के माइक्रो वाटर शेड 2C6B4b3 को पूरी तरह पूर्व की स्थिति में वापस लाने व प्रबंधन करने का लक्ष्य प्राप्त कर पाये जो गंगा के शेष माइक्रोवाटर शेड्स को पुनर्जीवित करने में सहायक होगा।

विकल्पों को बढ़ावा

इस योजना को राष्ट्रीय नीतियों व गाइड लाईनों के अनुसार तैयार किया गया है। अतः इस अभिनव प्रयास को परिस्थियों के अनुसार थोड़े बहुत बदलाव के साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में अपनाया जा सकता है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

इस योजना के क्रियान्वयन से जनपद को प्रदूषित जल के स्थान पर स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है , जैव विविधता के कारण मछलियों तथा तितलियों का पुनः पुर्नवास हुआ है। भविष्य में जनपद द्वारा पानी की मितव्यववियता पर कार्य किया जाएगा हैं तथा जैव विविधता के लिए यहां पाये जाने वाले कछुए, घड़ियाल आदि का पुनर्वास करने की भी योजना है।

सारांश

सतत विकास लक्ष्य के गोल संख्या–6, 13 एवं 15 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खेडी व करमू द्वारा स्थानीय स्तर पर समग्र ग्राम विकास योजना के माध्यम से स्वच्छ जल के मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रयास किया। उपर्युक्त ग्राम पंचायतो द्वारा गंगा के जल को प्रदुषणमुक्त, वन्य एवं जीवो के पुनर्वास के माध्यम से मोक्षदायिनी के पुनर्जीवन एवं पुनरोद्धार में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है।

प्राप्त सीख

स्थानीय लोगों के सामाजिक–आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि उनके आस पास के वातावरण को स्वच्छ रखा जाय। ऐसे हस्तक्षेप के सफल क्रियान्वयन के लिए एवं स्थानीय स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए, स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, शिक्षाविदों आदि की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

सुश्री जसजीत कौर, जिलाधिकारी, मो.नं. 9654416996 ईमेल–dmshamli2012@gmail.com

जनपद - सिद्धार्थनगर

केस–36: सी0एस0आर0 के माध्यम से विद्यालयों का पुनरोद्धार

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	14 विकास खंडो के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सिद्धार्थनगर
कार्यान्वयन एजेंसी	:	शिक्षा विभाग
क्षेत्र	:	शिक्षा
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

सिद्धार्थनगर आकांक्षात्मक जनपद होने के कारण, जनपद प्रशासन ने सी.एस.आर. फण्ड के उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सी.एस.आर. फण्ड के अंतर्गत प्रमुखता निम्न पहल की गयी:–

हस्तक्षेप

1. पी.एफ.सी. (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन) के साथ समझौता: सरकारी विद्यालयों के उन्नयन हेतु पी. एफसी ने वर्ष 2019–20 में निम्नलिखित परियोजना / कार्य के लिए रु 9.293 करोड़ की राशि मंजूर की:

- 352 प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं बनाना
- 1067 प्राथमिक विद्यालयों में बाला पेंटिंग
- 43 स्कूलों की मरम्मत और नवीनीकरण
- बाला पेंटिंग का कार्य:– 813 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में पूर्ण हो चूका है।
- स्कूलों की मरम्मत / नवीनीकरण: – 41 स्कूलों के भवन का नवीनीकरण / मरम्मत कराया जा चुका है।
- स्मार्ट क्लास: – सभी प्रकार के उपकरणों की खरीद प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

परिणाम

- नवीन तकनीकों और शिक्षा के नए तरीकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान होगी।
- 43 स्कूलों में सामान्य मरम्मत से स्कूल का नवीनीकरण कराया गया।

2. स्माइल फाउंडेशन के साथ समझौता–

शिक्षण स्तर में वृद्धि: जिले के 12 उच्च प्राथमिक विद्यालयों और 03 राजकीय इंटर कॉलेजों में सुधार के लिए स्माइल फाउंडेशन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

परियोजनाओं का विवरण: अंग्रेजी एवं गणित प्रयोगशाला सेट, वाटर प्यूरीफायर, सौर पैनल, शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए परीक्षण, उपरोक्त स्कूलों में बच्चों का सर्वेक्षण और पूरे वर्षभर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आदि।

परियोजना की उपयोगिता/प्रभाव

- नवीन तकनीकों और शिक्षा के तरीकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।

- स्कूलों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता।
- बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण।
- गैर–पारंपरिक ऊर्जा स्रोत (सौर प्रकाश) के माध्यम से विद्युत प्रणाली।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षक।

3. शिव नादर फाउंडेशन के साथ एम.ओ.यू.
शिक्षा पहल के तहत छात्रों के समग्र सीखने के परिणामों में सुधार करना

- सीखने की नवीन कलाओ और शिक्षण तकनीकों के लिए डिजिटल सहायता सामग्री प्रदान करना।
- आई.सी.टी. पर शिक्षकों की क्षमता वर्धन और पाठ्यक्रम के प्रभावी शिक्षण को सुनिश्चित करना।

4. नंदी फाउंडेशन के साथ समझौता (नन्ही कली परियोजना)

- कक्षा 1 से 10 तक सप्ताह में छह दिन, गणित / भाषा के लिए 2 घंटे की ट्यूशन और उसके अपने समुदाय से रोल मॉडल।
- टीएलएम डिज़ाइन टेबलेट के माध्यम से अनुकूल और गतिविधि आधारित डिजिटल शिक्षण।

5. **आई.आर.सी.टी.सी. के साथ एम.ओ.यू.** – 10 स्कूल परिसरों में बालिकाओ के शौचालय हेतु रु. 10.03 लाख रुपये स्वीकृत किया गया जिसमे से 05 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है इन शौचालयों के निर्माण से बालिकाओं को स्वास्थ्य एव स्वछता का लाभ प्राप्त हुआ है।

6. ऑपरेशन कायाकल्प–

- प्रारम्भ वर्षः 2018–19
- कुल लक्षित विद्यालयः 1698
- प्रमुख कार्यः शौचालयों एवं बाउंड्री का निर्माण, बाला पेंटिंग, कमरों में टाइल्स कार्य

सारांश

उपरोक्त सभी परियोजनाओं से आधारभूत संरचना में निम्नलिखित सुधार हुआ हैः–

प्राथमिकता के बिंदु		
परिवर्तन दर		
प्राथमिक	60.87 (31 मार्च, 2018 के अनुसार)	82.36
उच्च प्राथमिक	77.15 (31 मार्च, 2018 के अनुसार)	92.3
बालिकाओ के लिए शौचालय	59.98 (31 मार्च, 2018 के अनुसार)	100
BaLA पेंटिंगः 1023 पूर्ण	201 (वर्ष 2019–20)	822
पेयजल की सुविधा		100%
स्मार्ट क्लासः 374	22 (वर्ष 2018–19)	(352 प्रगतिरत)
बिजली (माध्यमिक स्तर)	73.1 (31 मार्च, 2018 के अनुसार)	100
बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण	खराब	15 पीएस/यूपीएस
सौर प्रकाश (गैर–पारंपरिक ऊर्जा)	N/A	15 पीएस/यूपीएस
नामांकन (प्राथमिक विद्यालय)	291983 (2017-18)	296885
ऑपरेशन कायाकल्प	लक्षित 2667 विद्यालय	1698
SAT-1 एव SAT-2 परीक्षा	SAT-1 परीक्षा में लगभग 38 प्रतिशत बच्चे A और A+ ग्रेड वाले थे, अर्थात उनके मूल्यांकन में 70 प्रतिशत से अधिक अंक आए थे जबकि SAT-2 परीक्षा में लगभग 47 प्रतिशत बच्चे A और A+ ग्रेड वाले थे, अर्थात 9 प्रतिशत बच्चो ने SAT-1 की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया।	

डॉ संदीप कुमार विस्वास, अपर सांख्यकीय अधिकारी सिद्धार्थनगर। मो.नं. 8931031202 ईमेल–sb.3587@gmail.com

जनपद - सिद्धार्थनगर

केस–37: सी0एस0आर0 के सहयोग से स्वास्थ्य क्षेत्र का रिफार्म

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	**संयुक्त जिला चिकित्सालय एवं 14 प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिद्धार्थनगर**
कार्यान्वयन एजेंसी	:	**स्वास्थ्य विभाग**
क्षेत्र	:	**स्वास्थ्य**
अभ्यास का वर्ष	:	**2019–20 एवं 2020–21**

सी.एस.आर. पहल

1. एम.ओ.यू. पर एच.पी.सी.एल. के साथ हस्ताक्षरः वर्ष 2019–20 में चिकित्सा उपकरणों के क्रय हेतु रु. 1.283 करोड़ की स्वीकृति

सी.एस.आर. के तहत चिकित्सा उपकरण की खरीद

ऑक्सीजन कंसंटेटर, रेडिएंट वार्मर, ऑर्थोपेडिक ऐप सेट, सी–आर्म मशीन, भ्रूण डॉपलर, केएमसी चेयर, ऑटो एनालाइज़र, लेबर टेबल, ट्यूब सीलर, डायथर्मिक मशीन, डोनर काउच, इन्क्यूबेटर्स, आईओसीटी मशीन, एलआर फ्रीज़, बॉयल ऑपरेटर्स और ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर आदि उपकरण पी.एच.सी. / सी.एच.सी. और जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर में स्थापित किए गए हैं।

परियोजना का उद्देश्य

- ग्रामीण समुदाय में हेल्थकेयर व्यय का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण अस्पतालों गुणवत्तापूर्ण एवं नवीन उपकरण के माध्यम से बिना किसी परिवहन खर्च के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं।
- दूरस्थ क्षेत्र के कारण, संचार और परिवहन के साधन पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए सामान्य या गंभीर स्थिति में अन्य दूरस्थ स्थानों पर जाना मुश्किल और महंगा है।

परियोजना का प्रभाव

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा के साथ–साथ क्षेत्र में गरीब परिवारों के लिए गंभीर बीमारियों के खिलाफ सस्ती चिकित्सा उपलब्ध होगी।

2. मॉड्यूलर ओटी के लिए पीएफसी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर

जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर में 02 मॉड्यूलर ओटी के निर्माण के लिए वर्ष 2020–21 में रुपये 93.41 लाख की धनराशि पीएफसी द्वारा स्वीकृत की गई है।

परियोजना का उद्देश्य

- क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर (IMR) को कम करना।
- नवजात मृत्यु दर (NMR) को कम करना।
- मातृ मृत्यु दर (MMR) को कम करना।

जनपद में स्वास्थ्य की स्थिति

नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र की सीमा के पास अवस्थित जनपद सिद्धार्थनगर, प्रदेश के सबसे गरीब और पिछड़े क्षेत्रो में से एक है। सिद्धार्थनगर प्रदेश का एक आकांक्षात्मक जनपद भी है। AHS डेटा 2011–12 के अनुसार, एम.एम.आर (मातृ मृत्यु दर) प्रति लाख जीवित जन्म के लिए 304, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जन्म के लिए 87 तथा एनएमआर (नव–जन्म मृत्यु दर) 70 है।

परियोजना का प्रभाव

जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर में 02 मॉड्यूलर ओटी (ऑपरेशन थिएटर) के निर्माण के बाद, स्थानीय क्षेत्रों में IMR, MMR और NMR में कमी आएगी।

3. सी.एस.आर प्रोजेक्ट UPSICL द्वारा स्थापित

IREDA ने सीएसआर के तहत कुछ परियोजना को मंजूरी दी है, इस परियोजना को UPSICL द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, ज्यादातर काम जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर में होंगे। ये परियोजनाएं अस्पताल की अवस्थापना सुविधाओं के लिए सहायक होंगी। प्रोजेक्ट्स–हाई मास्ट, सोलर लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट, वाटर वेंडिंग मशीन, बोरवेल के साथ एचपी सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम, सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और शौचालय (पुरुष और महिला प्रत्येक के लिए 2)।

पूर्ण टीकाकरण सुधार

जिले में MMR, IMR और NMR अधिक हैं, साक्षरता दर 60 प्रतिशत है, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कम है जिसमे अपेक्षित सुधार के लिए किये गए महत्वपूर्ण निर्णय निम्नवत है–

- सुधार के लिए रणनीति तैयार की गई ।
- साप्ताहिक जिला समीक्षा बैठक की गई ।
- नियमित टीकाकरण कवरेज को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न IEC (सूचना,शिक्षा एव संचार) गतिविधियों को लागू करना जैसे –बुल्वापार्ची और दीवार पेंटिंग।
- खराब प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक की जिम्मेदारी को विभाजित किया गया।
- ब्लाक स्तर और जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक के बाद टीकाकरण बढ़कर 78.60 प्रतिशत हो गया।

खुशखबरी

पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनवाएगी मॉड्यूलर ओटी, 94 लाख आएगी लागत

मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर से लगेगा मातृ और शिशु मृत्यु पर अंकुश

एहतेशाम उद्दीन अहमद

मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर के फायदे

सिद्धार्थनगर। प्रसव के दौरान प्रसूता और नवजात की होने वाली मृत्यु पर जल्द ही अंकुश लगेगा। जिला अस्पताल में दो मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर बनाने की योजना है। यह मॉड्यूलर ओटी पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (पीसीआई) की ओर से कॉरपोरेट सामाजिक सरोकार (सीएसआर) के तहत बनवाया जाएगा। मॉड्यूलर ओटी की मद में 93.41 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

नेपाल सीमा से सटा सिद्धार्थनगर प्रदेश के अति पिछड़े जिलों में शामिल है। एनुअल हेल्थ सर्वे 2011-12 के अनुसार सिद्धार्थनगर में प्रसव के दौरान प्रति एक हजार शिशुओं में 70 शिशु मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। यही नहीं जिले में नवजात मृत्यु दर भी 87 प्रति हजार है जो कि प्रदेश और देश की नवजात मृत्युदर से बहुत अधिक है। जिले में प्रति एक लाख गर्भवती में 304 की प्रसव के दौरान मौत हो जाती है। में प्रसव के दौरान शरीर के सभी इसका कारण जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होना माना जाता है। डीएम दीपक मीणा के अनुसार मॉड्यूलर ओटी होने से जिले के दूरदराज क्षेत्र में अने वाली हाई रिस्क प्रसूताओं को समय पर इलाज मिल सकेगा। मॉड्यूलर ओटी महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, फेफड़े, रक्तचाप आदि की निगरानी की जा सकेगी। पीसीआई ने सीएसआर के तहत मॉड्यूलर ओटी बनवाने के लिए 93.41 लाख रुपये जारी किया है। मॉड्यूलर ओटी निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था का चयन कर जल्द निर्माण शुरू करवाया जाएगा।

प्रत्यक्ष सुधार

- पूर्ण टीकाकरण (12–23 माह) में 78.60 प्रतिशत
- CSR प्रोग्राम के तहत HPCL द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों की उपलब्धता के कारण ग्रामीण जनता की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
- 02 मॉड्यूलर ओ.टी. के पूरा होने के बाद आईएमआर, एनएमआर और एमएमआर में काफी कमी आएगी।

डॉ संदीप कुमार बिस्वास, अपर सांख्यकीय अधिकारी सिद्धार्थनगर। मो.नं. 8931031202 ईमेल–sb.3587@gmail.com

जनपद - सीतापुर

केस–38: आर्गेनिक फार्मिंग: मृदा स्वास्थ्य एवं संरक्षण की अनूठी पहल

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	ग्राम–जमायतपुर, ब्लाक–खैराबाद, तहसील–सदर, सीतापुर
कार्यान्वयन एजेंसी	:	कृषि विभाग
क्षेत्र	:	कृषि
अभ्यास का वर्ष	:	2019–20

पृष्ठभूमि

रसायनों के असंतुलित प्रयोग से कई नई बीमारियाँ पैदा हो रही है। अत्यधिक प्रदूषण और पर्यावरण की बिगड़ती परिस्थितियों के कारण मानव स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित है। यदि समय रहते हमने धीरे–धीरे जैविक खेती की ओर पुनः कदम न बढाये तो भविष्य में कई तरह की समस्याये उठ खड़ी होगी। अतः रासायनिक एवं जैविक के मिले जुले प्रयोग का प्रचार– प्रसार खेती बाड़ी में आवश्यक है।

हस्तक्षेप

प्लॉट–एः प्रयोगात्मक प्लाट के अन्तर्गत फसल धान प्रजाति–एन0डी0आर0–2064 संस्तुत पोषक तत्व की मात्रा का 50 प्रतिशत जीवामृत और जैविक खाद से एवं 50 प्रतिशत रासायनिक उवर्रक यूरिया एवं डीएपी।
प्लॉट–बीः कंट्रोल प्लाट के अन्तर्गत धान प्रजाति–एन0डी0आर0–2064 संस्तुत रासायनिक उवर्रक की मात्रा का 100 प्रतिशत।

प्रभाव

जैविक उर्वरकों के प्रयोग से पर्यावरण को होने वाली हानि को कम किया जा सकेगा।

- जनपद सीतापुर में लगभग 163000 हेक्टेयर धान कीं खेती होती है जैविक कृषि के द्वारा यूरिया के प्रयोग में 2–3 बैग प्रति हे0 की बचत होगी। इस प्रकार 38.51 करोड रुपये सरकारी अनुदान की भी बचत होगी।

- किसानो द्वारा रासायनिक उर्वरक यूरिया के 2–3 बैग प्रति हेक्टेयर कम क्रय करने पर 618 रूपये की बचत जिससे मृदा स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक कार्य जैसे हरी खाद , वर्मी कंपोस्ट आदि पर व्यय करने में सक्षम।

मुख्य परिणाम

- भूमि की संरचना में सुधार होने के कारण रसायनिक खेती के मुकाबले कम सिचाई की आवश्यकता होती है।
- पौधे स्वस्थ्य होने के कारण इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है जिस कारण बीमारियो एवं कीड़ो का प्रकोप कम होता है।
- जैविक उर्वरक के उपयोग से प्राप्त उत्पादकता रासायनिक उर्वरक के उपयोग के बराबर है तथा खाद्यान्न की गुणवत्ता बेहतर बेहतर होने के कारण धान के अंतर्गत कुल 163000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर इस अभिनव प्रयास का प्रभाव पड़ेगा।

विकल्पों को बढ़ावा

रासायनिक उर्वरकों का उपयोग वैकल्पिक पोषण विधियों द्वारा कम किया जा सकता है। मृदा स्वास्थ्य तथा अनाज की गुणवत्ता के संरक्षण के दृष्टिगत इस अभिवन प्रयास को पूरे प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

आर्थिक दृष्टि से प्रति हे0 रूपये 2300/– की बचत (यूरिया, डीएपी एवं पोटाश पर) होती है। मृदा जीवांश की मात्रा में वृद्धि होती है जिसके कारण रबी सीजन की फसल में कम रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है।

सारांश

धान की खेती में 50 प्रतिशत रासायनिक उर्वरक शेष 50 प्रतिशत जैविक उर्वरकों से समन्वित पोषक प्रबन्धन किया जाये तो 100 प्रतिशत रासायनिक खेती के मुकाबले प्रति हे0 (यूरिया, डीएपी एवं पोटाश पर) रू0 2300/– तक की बचत होती है। इस प्रकार यदि जनपद में 50 प्रतिशत रासायनिक उर्वरक एवं 50 प्रतिशत जैविक उर्वरकों से खेती को प्रोत्साहित किया जाये तो केवल यूरिया से सब्सिडी के रूप में 38.51 करोड रुपये सरकारी अनुदान की बचत हो सकती है। यह अभिनव प्रयोग ब्लाक स्तर पर आस–पास के क्षेत्रीय कृषकों को प्रभावित कर रही है। जनपद स्तर पर भी इस का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

प्राप्त सीख

इस संबंध में शासन स्तर पर नीति निर्माण की आवश्यकता है।

- धान के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में प्रतिवर्ष हरी खाद का प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ढैंचा, सनई के बीज पर 50 से 100 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था। वर्तमान में कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनों में हरी खाद के प्रयोग हेतु बीज पर अनुदान दिया जा रहा है।
- वर्मी कंपोस्ट/ कंपोस्ट के प्रयोग पर प्रति हेक्टेयर अनुदान की व्यवस्था।

श्री अरविन्द मोहन मिश्रा, उप कृषि निदेशक, सीतापुर, मो.नं. 9453125201 ईमेल–ddastp34@gmail.com

जनपद - सुल्तानपुर

केस–39: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत पक्के आवासों के निर्माण के द्वारा वर्षा जल संचयन

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	**ग्राम पंचायत– डीह ढग्गूपुर, ब्लाक–कूरेभार, जनपद–सुलतानपुर**
कार्यान्वयन एजेंसी	:	**ग्राम्य विकास**
क्षेत्र	:	**जल संरक्षण**
अभ्यास का वर्ष	:	**2020–21**

पृष्ठभूमि

वर्ष 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न सभी को आवास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिये ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत पूरे देश में 2.95 करोड़ आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसमे से 14.6 लाख आवासों का निर्माण उत्तर प्रदेश में कराया जाना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइन पैरा 8.1 में प्राविधानित है कि मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से बायो फेन्सिंग, रास्तो का निर्माण, मृदा संरक्षण व अन्य मूलभूत सुविधायें आवास के लाभार्थियों को प्रदान की जा सकती है। इसी क्रम में ग्राम पंचायत डीह ढग्गूपुर विकास खण्ड कूरेभार जिला सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री आवासों पर वर्षा जल संचयन संयत्र की स्थापना की शुरुआत पाईलट आधार पर की गयी, जिसके फलस्वरूप क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में भूमिगत जल संचयन से सुधार हुआ है साथ ही साथ आवास के समीप जलभराव, छत के रिसाव इत्यादि समस्याओं से भी निदान प्राप्त हुआ है। इस अभिनव प्रयास के माध्यम से लाभार्थियों के सामाजिक–आर्थिक परिवेश में भी सुधार हुआ है।

हस्तक्षेप

प्रत्येक प्रधानमंत्री आवासों की छतों के पानी को पी0वी0सी0 डाउन पाइप से फ़िल्टर चैम्बर के माध्यम से, रिचार्ज पिट में पहुँचाकर ग्राउंड रिचार्ज किया गया। यह रिचार्ज पिट एक वर्ष में 20000 ली0 रिचार्ज करने की क्षमता रखता है। लाभार्थियों से सम्पर्क कर इस अभिनव प्रयोग को उनके आवासों में स्थापित करने के लिए प्रेरित किया गया। सामाजिक जागरूकता से लाभार्थियों के व्यवहार में आमूल–चूल परिवर्तन आये जिससे लाभार्थियों के स्वच्छता व्यवहार में सराहनीय परिवर्तन आया है। लाभार्थियों द्वारा आवास के समीप पोषण वाटिका की स्थापना करके महिलाओ एवं बच्चो के पोषण में सुधार किया गया। इस कार्यक्रम से कोविड–19 के महामारी के समय आवास के लाभार्थियों को मनरेगा योजनान्तर्गत रोजगार भी उपलब्ध कराया गया।

प्रभाव

- जल स्तर को बढ़ाने में मदद के साथ स्वच्छता एवं सफाई तथा जल बचाने की आदतों में सुधार।
- 100 दिनों के मनरेगा से रोजगार से परिवार की आय में वृद्धि ।
- परिवार की पोषण जरूरतों को पोषण वाटिका के माध्यम से पूर्ति।
- राज मिस्त्री को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित करके रोजगार के नए अवसरों का सृजन।
- प्रधानमंत्री आवास से भावनात्मक जुड़ाव।
- आवास के रखरखाव के मरम्मत में लगने वाली लागत में कमी।
- जल उपलब्धता से नकदी फसल एवं अधिक उपज की प्रबल संभावनायें।

मुख्य परिणाम

इस अभिनव प्रयोग से क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, वर्षभर पेय योग्य जल ,सिंचाई के लिए पर्याप्त जल इत्यादि प्रभाव ने लाभार्थियों को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। इसके अतिरिक्त आवास के लाभार्थियो के व्यवहार में सामाजिक रूप से परिवर्तन परिलक्षित हुये। साथ ही साथ इन लाभार्थियों में सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास और सहभागिता की भी बढ़ोत्तरी हुई है।

क्र0	इकाई	औसत अनुमानित वर्षा (मि0मी0)	प्रधानमंत्री आवास की संख्या	संचयन होने वाले जल की अनुमानित मात्रा (लाख ली0)
1.	प्रधानमंत्री आवास	1009	01	0.20
2.	ग्राम पंचायत डीह ढग्गूपुर	1009	197	39.40
3.	विकास खण्ड कूरेभार	1009	4326	865.20
4.	जनपद सुलतानपुर	1009	44796	8959.20
5.	उ0प्र0	990	1461516	292303.20
6.	सम्पूर्ण भारत	650	22144067	4428813.40

विकल्पों को बढ़ावा

ग्राम पंचायत के उपर्युक्त जल संचयन के इस अभिनव प्रयोग को पूरे देश में लागू किया जा सकता है।

सारांश

प्रधानमंत्री आवास में वर्षा जल संचयन का अभिनव प्रयोग मनरेगा योजना के अभिसरण द्वारा ग्राम पंचायत डीह ढग्गूपुर में किया गया। इस हस्तक्षेप से लाभार्थियों के लाभ के साथ समाज को भी लाभान्वित किया गया है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप जल स्तर में बढ़ोत्तरी के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव देखने को मिले है। छत के पानी को सीधे जमीन पर पहुंचाने से भूमिगत जल स्तर में सुधार के साथ लाभार्थी का आवास भी जर्जर होने बच रहे है जिससे आवास की उम्र भी बढ़ गई।

प्राप्त सीख

इस प्रयोग को बृहद स्तर तक ले जाने के लिए सही नीति एवं उत्तम प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

●●●

श्री रविश गुप्ता, आई.ए.एस., जिलाधिकारी, सुलतानपुर, मो.नं.–9454417542 ईमेल–dmsul@nic.in

जनपद - सुल्तानपुर

केस–40: मुशहर समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण की अनूठी पहल

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	**ग्राम पंचायत दिखौली, विकास खण्ड दूबेपुर, जनपद सुल्तानपुर**
कार्यान्वयन एजेंसी	:	**ग्राम्य विकास**
क्षेत्र	:	**आर्थिक एवं सामाजिक**
अभ्यास का वर्ष	:	**2020–21**

पृष्ठभूमि

मुशहर जाति सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रदेश के सबसे पिछड़े समुदायों में से एक है। यह समुदाय सामान्यता निम्न गैंगेटिक जोन और यूपी के तराई बेल्ट में पाए जाते हैं। समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिए, सरकार द्वारा कई योजनाये संचालित की जा रही हैं। योजनाओं के कवरेज और प्रभाव को बढ़ाने के लिए योजनाओं के अभिसरण का दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। योजनाओं के अभिसरण का एक अच्छा उदाहरण सुल्तानपुर जनपद के ब्लॉक दुबेपुर के ग्राम दिचौली में प्रस्तुत किया गया है।

हस्तक्षेप

इस अभिनव प्रयास का उद्देश्य मुशहर समुदाय के परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में सुधार लाना था। ग्राम पंचायत दिखौली के 14 मुशहर परिवारों को इस अभियान के प्रारंभ में चयनित किया गया, इन परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर में सुधार के निम्लिखित कार्यक्रमों का संचालन किया गया–

- समस्त परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण/मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आच्छादित किया गया।
- स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत समस्त परिवारों में इज्जतघर का निर्माण कराया गया।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत परिवारों को गैस सिलेण्डर का लाभ प्रदान किया गया।
- सौभाग्य योजना के अन्तर्गत इन परिवारों के आवासों में विद्युतीकरण कराया गया ।
- प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत परिवारों के बैंक में खाते खुलवाये गए ।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत समस्त परिवारों को सस्ते दर पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है।
- सभी परिवारों को पशुपालन विभाग के बैक यार्ड पोल्ट्री योजना के अन्तर्गत अच्छादित किया गया, जिसमें 50 चूजे तथा 30 किग्रा राशन शामिल है।
- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सभी परिवारों को जॉब कार्ड एवं रोजगार उपलब्ध कराया गया।
- परिवार की महिलाओं को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूह से जोड़कर उनमें आपसी समन्वय के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त किया गया है।

- मनरेगा योजना अन्तर्गत परिवारों को 100 दिन का रोजगार के अतिरिक्त परिवारों को प्रोजेक्ट उन्नति के तहत सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुशहर जाति के पारम्परिक व्यवसाय दोना–पत्तल की शुरुआत करायी गयी।
- प्रत्येक परिवार में बकरी पालन को बढावा देने हेतु गोट शेड का निर्माण कराया गया है तथा पशुपालन विभाग से समन्वय स्थापित करके प्रत्येक मुशहर परिवार को 10–10 बकरी के बच्चे उपलब्ध कराके परिवारों को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाया गया ।
- परिवार की महिला सदस्यों को समूह से जोड़कर उनके परिवार के पारम्परिक व्यवसाय दोना–पत्तल को बढावा देने हेतु मनरेगा योजना से आजीविका कार्य कलाप के लिए वर्क शेड का निर्माण कराया गया।

प्रभाव

अभिनव प्रयास के माध्यम से समाज के सबसे पिछड़े, वंचित, आर्थिक रूप से पिछड़े मुशहर समुदाय को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अभिशरण के माध्यम से समुदाय को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त करके उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा गया। इस अभिनव प्रयास के फलस्वरूप मुशहर समाज मुख्य धारा में जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुआ है और इनके सामाजिक समावेश में भी वृद्धि है।

मुख्य परिणाम

इस हस्तक्षेप में विभिन्न योजनाओ के अभिसरण के माध्यम से इन 14 परिवारों में रहन–सहन के स्तर में अत्यधिक सुधार हुआ है।

विकल्पों को बढ़ावा

प्रदेश में लगभग 298000 आबादी मुशहर जाति की है, जो मुख्य रूप से चूहा पकड़ने वाली जाति से सम्बोधित होती है। यह अभिनव प्रयोग प्रदेश के वंचित मुशहर परिवारों में क्रियान्वित करके उनके जीवन में सामाजिक व आर्थिक रूप से बदलाव लाया जा सकता है तथा समाज की मुख्य धारा में जोड़कर उन्हें एक आदर्श जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

विभिन्न योजनाओं के अभिसरण एवं फ्लैगशिप कार्यक्रम समाज के सबसे पिछड़े वंचित, गरीब परिवारों के "प्रोजेक्ट उन्नति" के माध्यम से इन परिवार को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर इनकी आजीविका संवर्धित कर सकते है और जीवन स्तर में सुधार ला सकते है।

सारांश

इस अभिनव प्रयास के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के फलस्वरूप फ्लैगशिप कार्यक्रम के माध्यम से मुशहर समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला और इनका जीवन सम्मान पूर्वक हुआ है।

प्राप्त सीख

विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के सुव्यस्थित अभिसरण के माध्यम से समाज में वंचित, शोषित वर्ग के परिवारों को समाज की मुख्य धारा में जोड़कर उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर में अमूल–चूल परिवर्तन लाया जा सकता है।

●●●

श्री रविश गुप्ता, आई.ए.एस., जिलाधिकारी, सुलतानपुर, मो.नं.–9454417542 ईमेल:dmsul@nic.in

जनपद - उन्नाव

केस–41: निर्धनता से समृद्धि की ओर बढ़ते कदम

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	उन्नाव
कार्यान्वयन एजेंसी	:	वैभव लक्ष्मी महिला स्वंय सहायता समूह
क्षेत्र	:	सामाजिक
अभ्यास का वर्ष	:	2018–19

पृष्ठभूमि

सीमा ग्राम–रानी खेड़ा खालसा, विकास खण्ड– हसनगंज, जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इनकी उम्र 32 वर्ष और परिवार में 5 सदस्य है। वैभव लक्ष्मी महिला समूह में इनके द्वारा तीन वर्ष पूर्व सदस्यता ग्रहण की गयी थी। वैभव लक्ष्मी महिला समूह के सदस्यता के पूर्व गरीबी और सामाजिक पाबन्दी के कारण मेरे पिता मुझे स्कूल नहीं भेज सके, उन दिनों स्कूल जाना मेरे लिये सपनें जैसा था। शादी के बाद अपने दो बच्चे एवं पांच सदस्यों वाले सयुक्त परिवार की मदद के लिये मै घर के काम काज में जुड़ गई। मेरे पति प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव रानी खेड़ा खालसा में जेन्टस कपड़ो के सिलाई का कार्य करते हैं। बाजार में रेडीमेड गारमेंट के कारण पति की आय बहुत कम हो गयी जिससे घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया।

समूह के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार

मै फरवरी, 2018 अपने पड़ोसियों की सहायता से समूह के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका का हिस्सा बनी।इस समूह का नाम वैभव लक्ष्मी था। आज इस समूह से जुड़े मुझको तीन वर्ष हो गए है। स्वयं आज मै गर्व के साथ कहती हूँ कि अपने समुह के साथ तीन वर्ष की मेरी यात्रा ने मुझे एक नया उद्देश्य व एक नया जीवन दिया है।इस समूह ने मेरे आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में नव परिवर्तन लाया है।

समूह को मजबूती से खडा किया

स्वयं सहायता समूह के साथ मेरी यात्रा में समूह के अन्य सदस्यों के साथ मैंने भी समूह की साप्ताहिक बैठकों में 10 रुपए बचाना शुरू किया। अपने आंतरिक कॉर्पस से समूह ने उपभोग की छोटी–मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने सदस्यों को शुरू में 2 प्रतिशत मासिक की ब्याज दर से ऋण प्रदान करना शुरू किया जिससे समूह की महिलाए अपनी छोटी–छोटी जरुरतो को पूरा कर सके । धीरे–धीरे आय के अन्य श्रोत भी उत्पन्न होने लगे।

आजीविका संवर्धन

मैंने अपनी आजीविका बढाने के लिए 50000 रुपये का ऋण समूह से लिया और आजीविका में वृद्धि के लिये मिट्टी के दीपक व मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने का कार्य प्रारम्भ किया।

स्वंय व दूसरों की मदद करने के लिए ICRP के कार्य का चयन

हमने समूह से जुड कर लाभ प्राप्त किये जिससे अनेक परिवार का सामाजिक व आर्थिक विकास हुआ। वह लाभ दूसरो को देने के लिए आईसीआरपी टीम से जुडी व प्रशिक्षण प्राप्त कर दूसरे विकास खण्ड व दूसरे जिले जाना शुरू किया जिससे मेरी स्वयं की आय रू0 400 से 500 प्रतिदिन की होती है। अब मै अपने पति को आर्थिक मामलो में मदद करती हूँ।

कोविड–19 के दौरान समुदाय की मदद

इस विश्वव्यापी महामारी कोविड–19 में जब पूरा विश्व परेशान था समूह की सदस्य होने के कारण हमने अपनीं जिम्मेदारी को समझा और घर– घर जा कर समुदाय को इस महामारी के विषय में लोगो को जागरूक किया। हम समूह की महिलाओं द्वारा ग्रामवासियों के लिए "फिस्टफुल ऑफ ग्रेन्स" के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमे हम सभी द्वारा फिस्ट फुल ग्रेन के दान के माध्यम से गरीब परिवारों की मदद की है।

समूह से जुड़ने के अनुभव

मै समूह से जुड़कर अपने परिवार व अपने पति को आर्थिक रूप से मजबूती दी है अब मै परिवार एवं समाज की मदद करने में सक्षम हूँ ।

"मुझको विश्वास था कि मै कर सकती हूं और मैंने करके दिखाया"

●●●

श्री प्रदीप कुमार, उपायुक्त एन0आर0एल0एम0, उन्नाव, मो.नं. 9412338302 ई–मेलःdmmuunnao1@gmail.com

जनपद - उन्नाव

केस–42 : इज ऑफ डूइंग बिजनेस : उद्योगों की समस्याओं का समाधान

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	उन्नाव
कार्यान्वयन एजेंसी	:	जिला प्रशासन
क्षेत्र	:	आर्थिक
अभ्यास का वर्ष	:	2020–21

पृष्ठभूमि

प्रदेश की राजधानी लखनऊ तथा औद्योगिक नगरी कानपुर के मध्य स्थित उन्नाव के समक्ष स्वयं की पहचान बनाने की एक विशिष्ट चुनौती सदैव से विद्यमान रही है। दिनांक 25 मार्च 2020 से तीन माह के लाकडाउन आरम्भ होने के साथ ही 600 से अधिक पंजीकृत, अपंजीकृत लघु, मध्यम इकाईयों में एक लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार देने वाले उन्नाव के समक्ष भयंकर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया तथा अनेक उद्यमियों द्वारा उन्नाव से अपनी औद्योगिक इकाईयों को हटाने का मन भी बना लिया गया था।

हस्तक्षेप

ऐसे में जिलाधिकारी द्वारा उद्योगो की समस्याओं का अविलम्ब निस्तारण करने के उद्देश्य से नगर मजिस्ट्रेट, उपायुक्त उद्योग, सहायक श्रमायुक्त की सदस्यता में एक समिति का गठन करते हुए, विभिन्न समस्याओं हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निस्तारण उसी दिन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये तथा स्वयं प्रतिदिन अपने टीम–11 के साथ प्रातः 11.00 बजे तथा सांय 08.00 बजे औद्योगिक समीक्षा बैठक में उद्यमियों की समस्या का अविलम्ब नियमानुसार समाधान सुनिश्चित किया गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 11 मई, 2020 को प्रमुख उद्यमियों के साथ विशिष्ट बैठक तथा 25 मई, 2020 को जिला उद्योग बन्धु की बैठक में उद्योगो को आवश्यक राहत पहुंचाने के उपायों पर व्यापक विचार विमर्श करते हुए आवश्यक समाधान अविलम्ब सुनिश्चित किया गया।

प्रभाव

लॉकडाउन के उपरान्त उपर्युक्त समस्त अनुश्रवण के परिणाम स्वरूप उन्नाव में समस्त पंजीकृत 09 वृहद, 67 मध्यम श्रेणी, 113 लघु उद्योगों, 09 राईस मिलों, 09 फ्लोर मिलों, 02 आयल मिलें, 52 टेनरियों, 69 चर्म उत्पाद एवं 100 से अधिक आर्गेनिक मैन्योर इकाइयां सहित प्रदेश में सर्वप्रथम लगभग बारह हजार उद्योगों, सूक्ष्म इकाईयों में सर्वप्रथम संचालन आरम्भ हुआ।

मुख्य परिणाम

निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त समस्त आन–लाइन व समस्त आफ–लाइन आवेदन पत्रों के शीघ्रातिशीघ्र गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया तथा उद्यमियों के फीडबैक के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा माह मई 2020 से आरम्भ ईज आफ डूईंग बिजनेस रैंकिग में उन्नाव लगातार चार माह में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है।

विकल्पों को बढ़ावा

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में उद्योग विभाग में प्रत्येक शुक्रवार मध्यान्ह् 12.00 बजे समाधान दिवस तथा प्रत्येक बुधवार व गुरूवार को अपरान्ह 01.00 से 04.00 बजे निवेश मित्र समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है जिसकी पाक्षिक/मासिक समीक्षा स्वयं जिलाधिकारी द्वारा की जाती है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

इस प्रकार जनपद में उद्योगों के प्रति विशिष्ट सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ है तथा उन्नाव प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने में सफल रहा है।

सारांश

उद्यमियों के समस्याओं के नियमित अनुश्रवण तथा अविलम्ब समाधान किये जाने की प्रक्रिया को अपनाये जाने से 20 विभागों की 146 सेवाओं से सम्बंधित आवेदन पत्रों का तत्काल गुणवत्तापूर्ण निस्तारण विभागों ने महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के रूप में अंगीकृत किया गया। जिलाधिकारी द्वारा कोविड–19 की महामारी के समय व्यस्त दिनचर्या में भी उद्यमियों से मुलाकात कर उनकी समस्या का तत्काल निस्तारण करवाना इस प्रक्रिया का सबसे महवपूर्ण पहलू है।

प्राप्त सीख

किसी समस्या का नियमित अनुश्रवण और इसके समाधान से आवेदक को राहत के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण सकारात्मक माहौल से प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है।

●●●

सुश्री रोचना श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, उन्नाव मो.नं.–8004737655 ईमेल:dcdicunnao@gmail.com

जनपद - वाराणसी

केस–43 : नवीकरणीय ऊर्जाः सोलर आधारित चरखा एवं लूम

तथ्य पत्रक

कार्यान्वयन का स्थान	:	गांधी आश्रम, सेवापुरी, वाराणसी
कार्यान्वयन एजेंसी	:	खादी उद्योग
क्षेत्र	:	हथकरघा
अभ्यास का वर्ष	:	2017–18

हस्तक्षेप

हस्त चालित चरखा एवं लूम को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालन

प्रभाव

- स्थानीय कत्तिनों एवं बुनकरों को रोजगार हेतु प्रेरित करना।
- प्रभावित लोगों की संख्याः 150 व अधिक।
- प्रभावित क्षेत्रः आस–पास के 10 से ज्यादा गांव।

मुख्य परिणाम

क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों (ज्यादातर महिलायें) को सोलर चरखा एवं सोलर लूम के माध्यम से कताई एवं बुनाई से नियमित रोजगार उपलब्ध हो रहा है। क्षेत्र की कामगार महिलाएं अपना घरेलू कार्य समाप्त करने के पश्चात केंद्र पर आती है तथा 5 से 6 घंटे कार्य कर अतिरिक्त आय अर्जित करती है, जिसके फलस्वरूप इन कामगारों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर में सुधार हुआ है। इसके पूर्व में कामगारों को प्रतिदिन रूपये 100/– से रूपये 125/– की आमदनी होती थी,परंतु सोलर चरखा एवं लूम का प्रयोग करने से उनकी आमदनी रू. 200/– से रू. 250/– प्रतिदिन होने लगी है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग से कामगारो के श्रम में कमी आयी है तथा उत्पादन में बढोत्तरी हुई है।

विकल्पों को बढ़ावा

इस कार्यक्रम (सोलर चरखा एवं सोलर लूम) को विकासखंड के अन्य क्षेत्रों जहां अभी भी हस्त चालित चरखे संचालित हो रहे, को आसानी से अपनाया जा सकता है

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- लोगों के मध्य जागरुकता
- कताई एवं बुनाई का प्रशिक्षण
- विपणन की व्यवस्था

सारांश

वर्ष 2017–18 के दौरान खादी ग्राम उद्योग, विद्यालय सेवापुरी की स्थापना के पश्चात क्षेत्र के 10 से ज्यादा गांवों के कत्तिनों एवं बुनकरों को प्रशिक्षण देकर सोलर चरखा एवं सोलर लूम पर कार्य करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। पूर्व मे क्षेत्र के कत्तिन व बुनकर हाथ से चालित चरखा व लूम का प्रयोग करते थे जिसमें श्रम की मात्रा अधिक होती थी तथा उत्पादन व आय भी कम होती थी। नई तकनीक (सोलर चरखा व सोलर लूम) के प्रयोग से कामगारो के मेहनत मे कमी आई है, उत्पादन में बढोत्तरी हुई है जिसके फलस्वरूप उनकी आय मे भी वृद्धि हुई है। महिला कामगार इस अतिरिक्त आय से अपने दैनिक खर्चो की भरपाई कर लेती है।

प्राप्त सीख

इस कार्यक्रम से यह सीख मिलती है कि इस तकनीकि के प्रचार–प्रसार से ग्रामीण क्षेत्र के लोगो मुख्यतया महिलाओ को भी लाभ प्रदान किया जा सकता है तथा उनके श्रम मे कमीं करते हुए उनकी उत्पादन एवं आय मे वृद्धि की जा सकती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कत्तिनो एवं बुनकरो को जागरुक करते हुए उन्हे प्रशिक्षण देकर इसका लाभ दिया जा सकता है ।

श्री डी. एस. भाटी, निदेशक / प्रभारी, मो.नं. 9311456677 ईमेल:kvicvaranasi@gmail.com

संलग्नक–1 क्षेत्रवार उत्कृष्ट पद्धतियों का विवरणः

केस	जनपद	उत्कृष्ट पद्धति	विभाग का नाम	पृष्ठ सं.
क्षेत्रः कृषि एवं संवर्ग				
केस–6:	औरेया	परम्परागत कृषि के स्थान पर केले की कृषि में ऊतक संवर्धन विधि का प्रयोग	उद्यान	11
केस–9:	बागपत	लेमन ग्रास कल्टीवेशनः गन्ने की खेती का विकल्प	कृषि	16
केस–11:	बलरामपुर	सुनहरा कल मिशन – उन्नत कृषि समृद्ध किसान	कृषि	21
केस–14:	बदायूं	आधुनिक प्रोद्योगिकी का ग्रामीण मत्स्य उत्पादन में उपयोगः ग्रामीण अंचल में अतिरिक्त आय के स्त्रोत का विकल्प	मत्स्य	28
केस–16:	बुलन्दशहर	जैविक कृषिः कृषि उत्पादकता एवं मृदा में सहचर्य सम्बन्ध	कृषि	32
केस–18:	चन्दौली	संवहनीय एवं लाभदायक कृषि– कालें चावल की खेती	कृषि	36
केस–22:	हमीरपुर	बकरी पालनः ग्रामीण अंचल में स्वरोजगार का विकल्प	पशुधन	45
केस–25:	कन्नौज	कृषि पद्धतियों में नवाचार– मिश्रित कृषि	उद्यान	49
केस–26:	कानपुर देहात	पशुओं में ईयर टैगिंग के माध्यम से टीकाकरण के प्रभाव को अधिकतम करने के लिये अभिनव प्रयास	पशुधन	51
केस–38:	सीतापुर	आर्गेनिक फार्मिंगः मृदा स्वास्थ्य एवं संरक्षण की अनूठी पहल	कृषि	74
क्षेत्रः शिक्षा				
केस–19:	फर्रूखाबाद	सब पढ़े–सब बढ़े– ''स्वर, लय, एवं ताल वंदना''	बेसिक शिक्षा	38
केस–24:	कन्नौज	मिशन शक्ति– लैंगिक समानता की ओर पहल	बेसिक शिक्षा	47
केस–27:	कानपुर देहात	प्रत्येक मतदान महत्वपूर्ण– बूथमित्र	माध्यमिक शिक्षा	53
केस–32:	सहारनपुर	बाल संरक्षण योजनान्तर्गत बालिका शिक्षा का प्रोत्साहन	बेसिक शिक्षा	63
केस–33:	सहारनपुर	लकड़ी की उत्कृष्ट कलाकृतियां	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	64
केस–36:	सिद्धार्थनगर	सी0एस0आर0 के माध्यम से विद्यालयों का पुनरोद्धार	बेसिक शिक्षा	70
क्षेत्रः ग्राम्य विकास				
केस–7:	अयोध्या	फिट इण्डिया मूवमेंट– ग्राम पार्क/ओपन जिम की स्थापना	पंचायती राज	12
केस–12:	बिजनौर	समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण– गुड़, जेगरी पाउडर एवं सिरका उद्योग	ग्राम्य विकास	23
केस–15:	बदायूं	ग्रामीण एस.एच.जी. की आशा एवं उम्मीद – सरस एवं ग्राम हाट	ग्राम्य विकास	30
केस–20:	फर्रूखाबाद	समूह के बढ़ते कदम – गोमय उत्पाद	ग्राम्य विकास	40
केस–28:	कानपुर देहात	सामुदायिक शौचालयों का संवहनीय प्रबन्धनः स्वच्छ भारत ग्रामीण एवं उ0प्र0 राज्य ग्रामीण मिशन का अभिशरण	ग्राम्य विकास	55
केस–30:	लखीमपुर खीरी	मनरेगा के सफल क्रियान्वयन की रणनीतिः ऑपरेशन चतुर्भुज	ग्राम्य विकास	59
केस–40:	सुल्तानपुर	मुशहर समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण की अनूठी पहल	ग्राम्य विकास	78

केस	जनपद	उत्कृष्ट पद्धति	विभाग का नाम	पृष्ठ सं.
केस–41:	उन्नाव	निर्धनता से समृद्धि की ओर बढ़ते कदम	ग्राम्य विकास	80
क्षेत्रः स्वास्थ्य				
केस–10:	बहराइच	संस्थागत प्रसवः सुरक्षित शिशु एवं मां	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	18
केस–37:	सिद्धार्थनगर	सी0एस0आर0 के सहयोग से स्वास्थ्य क्षेत्र का रिफार्म	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	72
क्षेत्रः औद्योगिक विकास				
केस–1:	अमरोहा	ग्लास निर्यात हस्तशिल्प और डिजाइनर पैकेजिंग	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	01
केस–4:	अमरोहा	एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत मृतप्राय उत्पाद को लघु उद्योग में परिवर्तन	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	07
केस–23:	हापुड़	मिट्टी के बर्तनों में स्थिरता एवं नवाचार का प्रयोग– उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	46
केस–42:	उन्नाव	इज ऑफ डूइंग बिजनेस : उद्योगों की समस्याओं का समाधान	औद्योगिक विकास	82
केस–43:	वाराणसी	नवीकरणीय ऊर्जाः सोलर आधारित चरखा एवं लूम	हथकरघा	84
क्षेत्रः जल संसाधन/संरक्षण				
केस–3:	अमरोहा	ठोस अपशिष्ट का संवहनीय प्रबन्धनः आय सृजन का वैकल्पिक माध्यम	नगर विकास	05
केस–5:	अमरोहा	बान नदी का जीर्णोद्धार	ग्राम्य विकास	09
केस–8:	अयोध्या	तमसा नदी का कायाकल्प	ग्राम्य विकास	14
केस–13:	बिजनौर	जल है तो कल हैः वर्षा जल संचयन	ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज	25
केस–29:	कासगंज	मोक्षदायिनी के किनारों का कायाकल्पः गंगा एवं भागीरथी वन प्रोग्राम	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	57
केस–34:	शामली	कृष्णी नदी का जीर्णोद्धार कार्य	नमामि गंगे	66
केस–35:	शामली	जल ही जीवन हैः गंगा के सूक्ष्म जलागम क्षेत्र का प्रबन्धन	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	68
केस–39:	सुल्तानपुर	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत पक्के आवासों के निर्माण में वर्षा जल संचयन	नमामि गंगे	76
क्षेत्रः सूचना एवं प्रौद्योगिकी				
केस–17:	बुलन्दशहर	सुशासन– लेटर ट्रैकिंग वैब आधारित सॉफ्टवेयर	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स	34
केस–21:	हमीरपुर	आरोग्य सेतु एप– सुशासन की पहल	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	42
केस–31:	लखनऊ	सामुदायिक पुलिसिंगः वन स्टाप सेन्टर	गृह	62
क्षेत्रः स्वच्छता				
केस–2:	अमरोहा	अमरोहा मे डम्पिंग साइट का विकास एवं सुन्दरीकरण	नगर विकास	03

संलग्नक–2 सतत विकास लक्ष्य वार उत्कृष्ट पद्धतियों का विवरणः

केस	जनपद	उत्कृष्ट पद्धति	विभाग का नाम	पृष्ठ सं.
गोल संख्याः 1				
केस–22:	हमीरपुर	बकरी पालनः ग्रामीण अंचल में स्वरोजगार का विकल्प	पशुधन	45
केस–26:	कानपुर देहात	पशुओं में ईयर टैगिंग के माध्यम से टीकाकरण के प्रभाव को अधिकतम करने के लिये अभिनव प्रयास	पशुधन	51
केस–28:	कानपुर देहात	सामुदायिक शौचालयों का संवहनीय प्रबन्धनः स्वच्छ भारत ग्रामीण एवं उ0प्र0 राज्य ग्रामीण मिशन का अभिशरण	ग्राम्य विकास	55
केस–30:	लखीमपुर खीरी	मनरेगा के सफल क्रियान्वयन की रणनीतिः ऑपरेशन चतुर्भुज	ग्राम्य विकास	59
केस–41:	उन्नाव	निर्धनता से समृद्धि की ओर बढ़ते कदम	ग्राम्य विकास	80
गोल संख्याः 2				
केस–6:	औरेया	परम्परागत कृषि के स्थान पर केले की कृषि में ऊतक संवर्धन विधि का प्रयोग	उद्यान	11
केस–9:	बागपत	लेमन ग्रास कल्टीवेशनः गन्ने की खेती का विकल्प	कृषि	16
केस–11:	बलरामपुर	सुनहरा कल मिशनः उन्नत कृषि समृद्ध किसान	कृषि	21
केस–16:	बुलन्दशहर	जैविक कृषिः कृषि उत्पादकता एवं मृदा में सहचर्य सम्बन्ध	कृषि	32
केस–18:	चन्दौली	संवहनीय एवं लाभदायक कृषि– कालें चावल की खेती	कृषि	36
केस–25:	कन्नौज	कृषि पद्धतियों में नवाचार– मिश्रित कृषि	उद्यान	49
केस–38:	सीतापुर	आर्गेनिक फार्मिंगः मृदा स्वास्थ्य एवं संरक्षण की अनूठी पहल	कृषि	74
गोल संख्याः 3				
केस–7:	अयोध्या	फिट इण्डिया मूवमेंट– ग्राम पार्क/ओपन जिम की स्थापना	पंचायती राज	12
केस–10:	बहराइच	संस्थागत प्रसव : सुरक्षित शिशु एवं मां	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	18
केस–21:	हमीरपुर	आरोग्य सेतु एप– सुशासन की पहल	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	42
केस–37:	सिद्धार्थनगर	सी0एस0आर0 के सहयोग से स्वास्थ्य क्षेत्र का रिफार्म	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	72
गोल संख्याः 4				
केस–19:	फर्रूखाबाद	सब पढ़े–सब बढ़े– ''स्वर, लय, एवं ताल वंदना''	बेसिक शिक्षा	38
केस–36:	सिद्धार्थनगर	सी0एस0आर0 के माध्यम से विद्यालयों का पुनरोद्धार	बेसिक शिक्षा	70
गोल संख्याः 5				
केस–20:	फर्रूखाबाद	समूह के बढ़ते कदम – गोमय उत्पाद	ग्राम्य विकास	40
केस–24:	कन्नौज	मिशन शक्ति– लैंगिक समानता की ओर पहल	बेसिक शिक्षा	47
गोल संख्याः 6				
केस–2:	अमरोहा	अमरोहा मे डम्पिंग साइट का विकास एवं सुन्दरीकरण	नगर विकास	03
केस–3:	अमरोहा	ठोस अपशिष्ट का संवहनीय प्रबन्धनः आय सृजन का वैकल्पिक माध्यम	नगर विकास	05
केस–13:	बिजनौर	जल है तो कल हैः वर्षा जल संचयन	ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज	25

केस	जनपद	उत्कृष्ट पद्धति	विभाग का नाम	पृष्ठ सं.
केस–35:	शामली	जल ही जीवन हैः गंगा के सूक्ष्म जलागम क्षेत्र का प्रबन्धन	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	68
केस–39:	सुल्तानपुर	प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत पक्के आवासों के निर्माण में वर्षा जल संचयन	नमामि गंगे	76
गोल संख्याः 7				
केस–43:	वाराणसी	नवीकरणीय ऊर्जाः सोलर आधारित चरखा एवं लूम	हथकरघा	84
गोल संख्याः 8				
केस–1:	अमरोहा	ग्लास निर्यात हस्तशिल्प और डिजाइनर पैकेजिंग	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	01
केस–4:	अमरोहा	एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत मृतप्राय उत्पाद को लघु उद्योग में परिवर्तन	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	07
केस–12:	बिजनौर	समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण– गुड़, जेगरी पाउडर एवं सिरका उद्योग	ग्राम्य विकास	23
केस–14:	बदायूं	आधुनिक प्रोद्योगिकी का ग्रामीण मत्स्य उत्पादन में उपयोगः ग्रामीण अंचल में अतिरिक्त आय के स्त्रोत का विकल्प	मत्स्य	28
केस–15:	बदायूं	ग्रामीण एस.एच.जी. की आशा एवं उम्मीद – सरस एवं ग्राम हाट	ग्राम्य विकास	30
केस–23:	हापुड़	मिट्टी के बर्तनों में स्थिरता एवं नवाचार का प्रयोग– उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम	46
केस–33:	सहारनपुर	लकड़ी की उत्कृष्ट कलाकृतियां	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	64
गोल संख्याः 9				
केस–17:	बुलन्दशहर	सुशासन–लेटर ट्रैकिंग वेब आधारित सॉफ्टवेयर	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स	34
केस–42:	उन्नाव	इज ऑफ डूइंग बिजनेसः उद्योगों की समस्याओं का समाधान	औद्योगिक विकास	82
गोल संख्याः 10				
केस–40:	सुल्तानपुर	मुशहर समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये सरकारी कार्यक्रमों के अभिसरण की अनूठी पहल	ग्राम्य विकास	78
गोल संख्याः 12				
केस–29:	कासगंज	मोक्षदायिनी के किनारों का कायाकल्पः गंगा एवं भागीरथी वन प्रोग्राम	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	57
गोल संख्याः 13				
केस–5:	अमरोहा	बान नदी का जीर्णोद्धार	ग्राम्य विकास	09
केस–8:	अयोध्या	तमसा नदी का कायाकल्प	ग्राम्य विकास	14
केस–34:	शामली	कृष्णी नदी का जीर्णोद्धार कार्य	नमामि गंगे	66
गोल संख्याः 16				
केस–27:	कानपुर देहात	प्रत्येक मतदान महत्वपूर्ण– बूथमित्र	माध्यमिक शिक्षा	53
केस–31:	लखनऊ	सामुदायिक पुलिसिंगः वन स्टाप सेन्टर	गृह	62
केस–32:	सहारनपुर	बाल संरक्षण योजनान्तर्गत बालिका शिक्षा का प्रोत्साहन	बेसिक शिक्षा	63

प्रदेश वही, सोच नई

रु.1.40 लाख करोड़ का गन्ना मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान

4 नये एक्सप्रेस-वे

46 साल से लंबित बाण सागर परियोजना पूर्ण

5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट

4.25 लाख सरकारी नौकरी

8 एयरपोर्ट संचालित, 13 अन्य एयरपोर्ट एवं 7 हवाईपट्टी का विकास

नोएडा में फिल्म सिटी की स्थापना निवेश और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

10 शहरों में मेट्रो परियोजनाएं

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 7 लाख 60 हजार बेटियां लाभान्वित

30 नये मेडिकल कॉलेज

2 एम्स की स्थापना

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख 52 हजार से अधिक कन्याओं का विवाह

अनुदान रु. 35000 से बढ़ाकर रु. 51000 किया गया

उत्तर प्रदेश बना देश में दूसरी बढ़ी अर्थव्यवस्था

प्रति व्यक्ति आय हुई लगभग दोगुनी

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश में दूसरा स्थान

हर घर नल योजना के तहत प्रदेश की 30 हजार ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की योजना क्रियान्वित

1.38 लाख सरकारी स्कूलों का कायाकल्प

बेस्ट प्रैक्टिस हेतु सम्पर्क करें। email : dirppd@nic.in (मो.नं. 919889319645)